खण्ड-215, अंक-10
शुक्रवार, 4 भाद्रपद, शक संवत् 1882
(26 अगस्त, 1960 ई0)

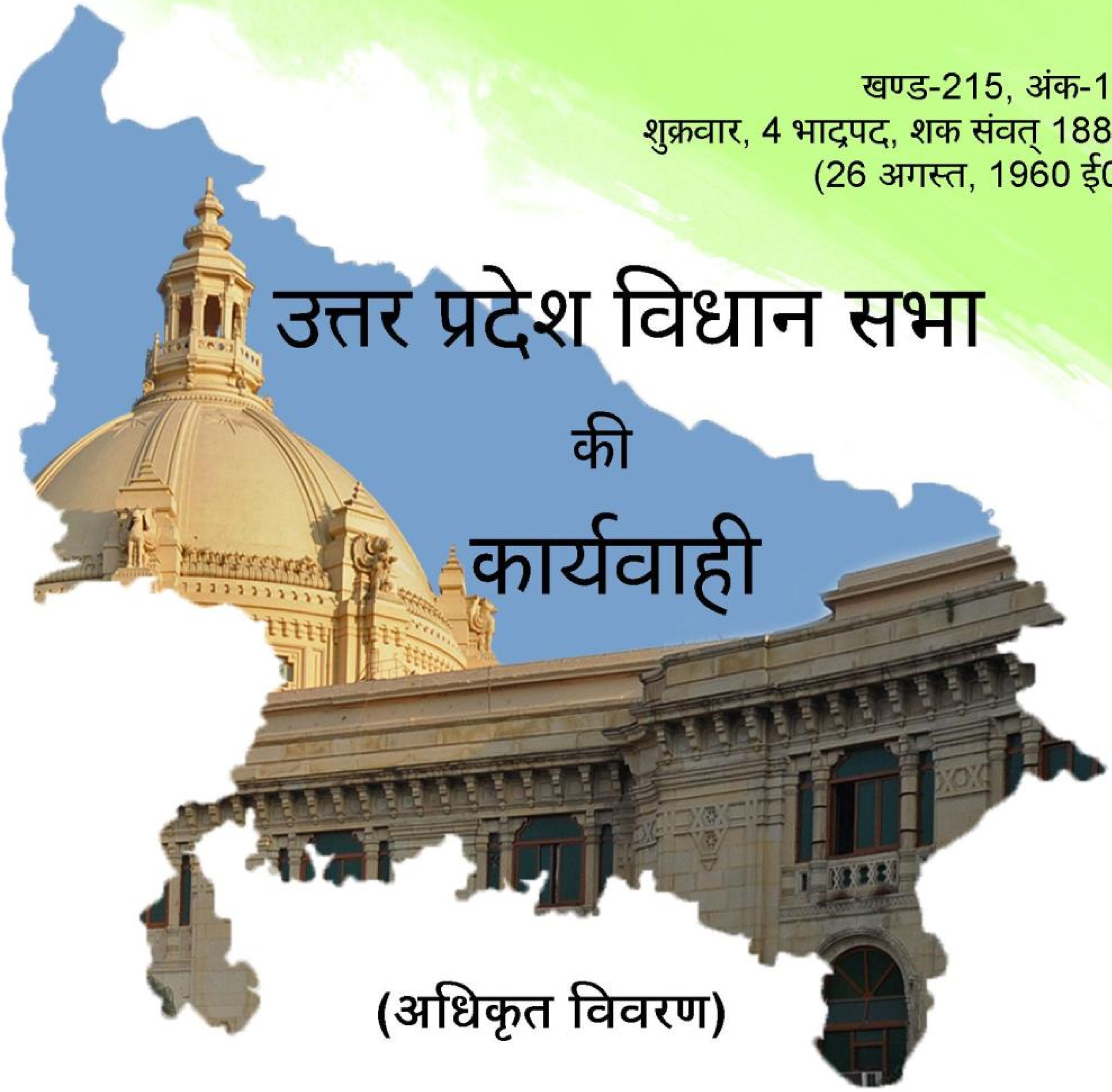

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 215 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २६ अगस्त, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६६

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभय राम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाश नारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री

गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरगाज सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दालाराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बररान, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री

पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजन लाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती

राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वंशरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शम्सुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशरनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर

नंग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुधामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २६ अगस्त, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मेडिकल कालेज, लखनऊ के पैथालोजी विभाग में सामान की खरीदारी में गड़बड़ी

१—श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास श्री गौरीशंकर राय, एम० एल० ए० ने १५ अप्रैल, १९६० को मेडिकल कालेज, लखनऊ के पैथालोजी विभाग के सामानों की खरीद के विषय में की गई गड़बड़ियों के सम्बन्ध में जांच करने के लिये कोई पत्र लिखा था? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन-सी कार्यवाही हुई है?

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—जी हां। पत्र की एक प्रतिलिपि लखनऊ विश्वविद्यालय को उचित कार्यवाही हेतु भेजी गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस तारीख को उस पत्र की प्रतिलिपि विश्वविद्यालय को भेजी गयी थी और अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है, मैंने २२ अप्रैल को उसे भेज दिया था और मैंने वाइस-चांसलर से भी सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि वे इन्क्वायरी कर रहे हैं और बहुत जल्दी रिपोर्ट भेजने वाले हैं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी उस पत्र की मुख्य-मुख्य बातें सदन की जानकारी के लिये बताने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर आपकी आज्ञा हो तो इस पत्र को पढ़ दूं?

श्री उपाध्यक्ष—अगर छोटा हो तो पढ़ दीजिये।

श्री हुकुम सिंह विसेन—वह इस प्रकार है—

"RESPECTED THAKUR SAHEB,

There are some very serious irregularities existing in the finances of the Department of Pathology and Bacteriology at King Georges Medical College, Lucknow, that have come to my notice. Since your ministry is concerned with the running of this Medical College, I consider it my duty to place the following facts before you, so that you may take such action as you consider necessary.

A firm by the name of Satish Chandra Shambhu Nath, Babuganj, Lucknow, which later on came to be known as Shambhu Nath and Sons, Babuganj, Lucknow, has been supplying varying types of goods, viz. animals, grain, furniture, chemicals, etc. and also undertaking repairs of mechanical and electrical instruments and other precision equipment worth thousands of rupees for past seven and eight years in this department. I am told that the partners of this firm have been and are still in the employ of one of the senior members in the staff of this department. Therefore, this firm has invariably been favoured in various ways with the placement of orders. I understand that there is also evidence of financial transaof tions between this firm and some of the senior members of the Department -o Pathology and Bacteriology.

During the annual audit of the King George's Medical College for 1958-59, some of these irregularities were pointed out by the auditors. I am further informed that the auditors addressed a personal communication to the University authorities demanding a probe in the transactions of this firm with the Department of Pathology and Bacteriology.

A news item to this effect appeared in the two local Hindi Dailies of April 9, 1960, which I am sure, must have come to your notice.

I will take this opportunity to further inform you that two of the clerks connected with the audit of the store purchase of the Department of Pathology have been harassed and finally suspended from their service, presumably for failing to prevent the passage of certain incriminating papers to the auditors.

In the background of what has happened in Lucknow University during the past few months, this episode brings further disrepute to the Medical College. As, in your capacity as Health Minister of this State, you are intimately connected with the affairs of Medical College, I approach you with the request to kindly give your personal attention to this matter.

With personal regards.

Yours sincerely,

GAURI SHANKER."

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस शम्भूनाथ ऐंड को० फर्म का नाम लिया गया है, उसमें जो शम्भूनाथ हैं वह उन डाक्टर के ड्राइवर हैं जिनके खिलाफ आरोप हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस वक्त मैं कुछ कह नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष--मैं निवेदन करूंगा कि अब मामला जांच के लिए पहुंच गया है और जब रिपोर्ट आ जायगी तभी माननीय न्याय मंत्री इस स्थिति में होंगे कि कुछ बता सकें। जो इंटेरेस्टेड हों वह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भेजेंगे कि क्या रिपोर्ट आयी और वह मंजूर कर लिये जायंगे।

मैं न्याय मंत्री जी से इस मामले का सीरियस नोटिस लेने के लिए कहूंगा कि अप्रैल में खत गया और लखनऊ से अब तक जवाब नहीं आया, यह ताज्जुब की बात है।

श्री हुकुम सिंह विसेन---वाइस-चांसलर को मैंने रिमाइंड किया है।

ऐण्ड ही हैज़ प्रोमिस्ड टु एक्सपीडाइट (and he has promised to expedite)।

श्री रामसुन्दर पांडेय---बस, एक सवाल और करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---आप घबराते क्यों हैं, बाद को मालूम हो जायगा।

विश्वविद्यालय जांच आयोग

*२---**श्री गौरी शंकर राय** (जिला बलिया)---क्या सरकार सदन में समय-समय पर व्यक्त किये गये विचारों एवं विश्वविद्यालयों की विभिन्न समस्याओं को देखते हुये सरकार द्वारा हाल में नियुक्त विश्वविद्यालय जांच आयोग के निर्देश के पदों की सीमा बढ़ाने एवं व्यक्तियों में कोई परिवर्तन करने का विचार कर रही है?

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)--- जी नहीं।

श्री गौरी शंकर राय---यह देखते हुए कि इस कमीशन में ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें विश्वविद्यालय में अध्यापन तथा प्रशासन का अनुभव हो, क्या सरकार कुछ और लोगों को इस आयोग में सम्मिलित करने पर विचार करेगी?

श्री दीनदयालु शास्त्री---अपना खयाल यह है कि जो उचित व्यक्ति थे उनको इसमें रखा गया।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---अभी उत्तर में जो चीजें मालूम हुई हैं, उनको देखते हुए क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जो जांच कमीशन बैठाया गया है उसको मेडिकल कालेज का मामला भी, उसे यूनिवर्सिटी का ही भाग समझ कर, सुपुर्द किया जायगा?

श्री दीनदयालु शास्त्री---जो आयोग की परिधि में आयेगा उस सभी पर विचार होगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस विश्वविद्यालय कमीशन के जो सदस्य चुने गये हैं उनके लिए कोई विशेष योग्यता निर्धारित थी?

श्री उपाध्यक्ष---उनका मतलब है किन आधारों पर रखे गये।

श्री दीनदयालु शास्त्री---यह तो उनकी नामावली देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि क्या योग्यता है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी इस कमीशन की टर्म्स आफ रेफरेंस को विस्तृत करने पर विचार कर रहे हैं?

श्री दीनदयालु शास्त्री---अपना यह जवाब है कि इसमें अधिक बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---इनमें से कमीशन के कौन साहब ऐसे हैं जो शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ हों?

श्री दीनदयालु शास्त्री—यह तो नामावली से स्पष्ट है कि कौन कैसा है।

श्री उपाध्यक्ष—आप भी तो कुछ जानते होंगे ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—मेरी राय में तो सभी योग्य हैं अगर शिक्षा के स्तर को देखा जाय।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि शिक्षा भी एक टेक्निकल विषय है और इसके भी विशेषज्ञ होते हैं, विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलर, प्रोफेसर, इत्यादि। तो यह देखते हुये कि इस कमीशन की परिधि में शिक्षा के विषय भी हैं, जैसे लड़कों की पढ़ाई का स्तर गिरना, पाठ्यक्रम इत्यादि, क्या मंत्री जी इस कमेटी को अधूरी नहीं समझते हैं कि इसमें कुछ शिक्षा के विशेषज्ञ भी बढ़ाये जावें ?

श्री उपाध्यक्ष—आप चाहते हैं कि टर्म्स आफ रेफ़रेंस में ये आ जावें ?

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—जी हां।

श्री दीनदयालु शास्त्री—टर्म्स आफ रेफरेंस की धारा १२ में है कि—

"To make any recommendation on matters not covered by the above terms of reference which, in the opinion of the Commission, are necessary in the interest of the Universities mentioned above."

इससे स्पष्ट है कि टर्म्स आफ रेफरेंस बढ़ाने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—परसोनेल के बारे में सरकार कोई विचार करेगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—यह विचार किया गया कि अनुभवी लोग अधिक उपयोगी होंगे।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि शिक्षा जगत में इस बात पर बहुत असन्तोष है कि यह उसका एक प्रकार से अपमान है कि इस कमीशन में शिक्षा के विशेषज्ञ नहीं रखे गये हैं, जब कि हमेशा ऐसा होता आया है ?

श्री उपाध्यक्ष—यह बात तो सरकार के जानने की नहीं है कि हमेशा ऐसा होता आया है। असन्तोष के बारे में आप उत्तर दे सकते हैं।

श्री दीनदयालु शास्त्री—अपना विचार यह है कि अभी तक किसी को असन्तोष नहीं हुआ।

श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि विश्वविद्यालयों में पी० ए० सी० भेजने की अक्सर जरूरत पड़ती है तो कोई पुलिस का आदमी भी इस कमीशन में रखा जाय ?

(हंसी, उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कमीशन के कितने सदस्य ऐसे हैं जिनका किसी विश्वविद्यालय या कालेज से सीधा सम्बन्ध रहा हो ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—सभी ने विश्वविद्यालय की ऊंची से ऊंची शिक्षा पाई है।

श्री गौरीशंकर राय—टर्म्स आफ रेफरेंस में लिखा है कि कमीशन खोज के कार्यों के गुणों और मात्रा दोनों का मूल्यांकन करेगा और परसोनेल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी रिसर्च गाइड की हो या उसके सम्पर्क में रहा हो तो रिसर्च के मूल्यांकन के लिये कोई व्यक्ति बाहर से बुलाया जायगा ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिये मूथम इन्क्वायरी कमेटी बैठी और उससे सब को सन्तोष हुआ वैसे ही हम समझते हैं कि इससे भी सब को सन्तोष होगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पैनल बनाने के पहले देश के या प्रदेश के विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलरों से य. प्रसिद्ध प्रोफेसरों इत्यादि से सम्पर्क स्थापित किया गया था कि वे भी कमीशन में आने की स्वीकृति दें ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने फरमाया कि मूथम कमेटी से बड़ा सन्तोष हुआ तो इस कमीशन का भी उसी तरह से निर्माण किया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या इस कमीशन के और मूथम कमेटी के टर्म्स आफ रेफेरेन्स एक ही हैं या भिन्न हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—यह कमीशन इस बात की भी जांच करेगा कि मूथम कमेटी की सिफारिशें कहां तक कार्यान्वित की जा सकती हैं ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी स्पष्ट रूप से बतावेंगे कि कमीशन के परसोनेल में कितने लोग पी-एच० डी० हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—यह माननीय सदस्य नामावली में देख सकते हैं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय शिक्षा मन्त्री स्पष्ट रूप से बताने का कष्ट करेंगे कि इस कमीशन में कोई सदस्य ऐसे भी हैं जिनका विश्वविद्यालय से या कालेज से मैनेजमेन्ट में सम्बन्ध रहा हो ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—कमीशन के सदस्य नियुक्त करते समय इस बात पर विचार नहीं किया गया ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

कानपुर में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों के हथकड़ी डालना

*१—**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक १४ जून, १९६० को कानपुर पुलिस द्वारा सोशलिस्ट सत्याग्रहियों (सर्वश्री राम आसरे, छोटे लाल, दयाराम व डुग्गी) को हथकड़ी पहना कर कोर्ट से जेलखाना, कानपुर ले जाया गया था ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी हां। यह बात सही पाई गई ।

*२—**श्री मोतीलाल अवस्थी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने उक्त घटना की जांच कराई है ? यदि हां, तो उसपर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। घटना से सम्बन्धित दो पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

*३-५—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—[९ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

आर० पी० सिंह, सब-इन्सपेक्टर, ललौली के विरुद्ध लड़की छिपाने का आरोप

*६—श्री रघुनाथसहाय यादव (जिला फतेहपुर)—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ३ अगस्त, १९६० को ललौली थाने (जिला फतेहपुर) की इमारत को एक बड़ा जन-समूह इसलिये घेरा डाले रहा कि गांव की एक लड़की थाने के अन्दर बन्द थी ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी नहीं ।

*७—श्री रघुनाथसहाय यादव—क्या यह भी सही है कि लड़की को रात में गायब कर दिया गया जो अब तक नहीं मिली ?

श्री रामस्वरूप यादव—लड़की को पुलिस ने गायब नहीं किया। उसकी तलाश जारी है।

*८—श्री रघुनाथसहाय यादव—क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लड़की के अभिभावक और उससे सम्बन्धित करीब दो दर्जन व्यक्तियों को जेल में बन्द कर दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं,जिन व्यक्तियों को धारा १०७/११७जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है उनमें लड़की के पिता, चाचा या निकट के सम्बन्धी नहीं हैं ।

श्री रघुनाथसहाय यादव—जिस व्यक्ति की लड़की या बहन गायब हुई है क्या उसने कोई अर्जी डी० एस० पी० को दी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—दरख्वास्त पर ही कोतवाल ने सब-इन्सपक्टर के क्वार्टर की तलाशी ली थी।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या इसका कुछ पता है कि उस लड़की को थानेदार ने गायब नहीं किया तो किसने किया ?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी इसकी खोज जारी है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस लड़की के अभिभावकों ने दरख्वास्त देकर स्पष्ट आरोप लगाया है कि दरोगा ने उनकी लड़की को भगाकर अपने क्वार्टर में रख लिया ? यदि हां, तो ऐसे गम्भीर आरोप की जांच किससे कराई जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जब यह आरोप लगाया गया तभी तो कोतवाल ने स्वयं थानेदार के क्वार्टर की तलाशी ली। लड़की वहां नहीं मिली

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—जब थानेदार के विरुद्ध स्पष्ट आरोप था तो उसकी जांच न करने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—उनके क्वार्टर की तलाशी ली गई परन्तु लड़की नहीं मिली।

कुंवर श्रीपालसिंह—अगर उस थानेदार ने लड़की को गायब नहीं किया तो किस कसूर में उसका ट्रांसफर किया गया या लाइन हाजिर किया गया, जो कुछ भी किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष--क्या उस थानेदार के खिलाफ अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या इस गम्भीर आरोप की, जिसे सब गांव वाले तथा कांग्रेस के एक आदरणीय सदस्य सही होना बताते हैं, सरकार कोई जांच कराने की कृपा करेगी कि इसमें थानेदार का कितना हाथ रहा ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस पर विचार किया जायगा।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)--माननीय मन्त्री जी ने कहा कि क्वार्टर की तलाशी ली। तो एलीगेशन क्वार्टर की जांच कराने का था या लड़की के भगाने का और छिपाने का ?

श्री रामस्वरूप यादव--रिपोर्ट यह थी कि लड़की १५ दिन से घर से गायब है और श्री आर० पी० सिंह, सब-इन्सपेक्टर लखौली के क्वार्टर में है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जब थानेदार जैसे व्यक्ति के खिलाफ यह आरोप था कि उसने लड़की को भगाया तो क्या सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि उस थानेदार का स्थानान्तरण कर दे ताकि उस लड़की का पता लग सके ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने अभी निवेदन किया कि आज प्रश्नों के सम्बन्ध में जो चर्चा हुई है उसके प्रकाश में विचार किया जायगा।

श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)--क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि जिन मेम्बर साहब ने सवाल किया है उनके यहां २२-२३ तारीख के दरमियान चोरी हो गई ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, जहां तक चोरी का सवाल है आज सुबह प्रश्नकर्ता मेम्बर साहब ने मुझे टेलीफोन पर सूचना दी थी कि उनके यहां चोरी हो गई है।

[२६ अगस्त, १९६० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

टाउन एरियाओं में अनिवार्य शिक्षा

*१--**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की कितनी टाउन एरियाओं में इस वक्त अनिवार्य शिक्षा दी जा रही है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--२७ टाउन एरियाओं में इस समय अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा दी जा रही है।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतायेगी कि जिन टाउन एरियाज में अनिवार्य शिक्षा नहीं दी जा रही है उनमें सरकार अनिवार्य शिक्षा दिये जाने का प्रबन्ध कब तक करेगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--आर्थिक कमजोरियों के कारण अभी तक टाउन एरियाज में अनिवार्य शिक्षा जारी नहीं की गई है। विचार यह है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार से यदि रुपया मिला तो इसपर विचार किया जायगा।

पुलिस थानों में मेहतरों का वेतन

*२--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों में जो मेहतर लोग सफाई के लिये रखे जाते हैं उन्हें माहवारी क्या वेतन दिया जाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—(१) जिला मुख्यालय के थानों पर पूर्ण कालिक मेहतरों को २७–१/२–३२ रुपये के वेतन-क्रम तथा मुख्यालय के बाहर थानों पर २२–१/२–२७ रुपये के वेतन-क्रम में रखा जाता है तथा उन्हें नियमानुसार महंगाई और नगर प्रतिकर भत्ता भी मिलता है।

(२) अल्प कालिक मेहतरों को कम से कम दो रुपये तथा अधिक से अधिक २५ रुपये प्रतिमास पर रखा जाता है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि अभी गवर्नर महोदय के भाषण के समय जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये साढ़े पांच रुपया बढ़ोत्तरी की घोषणा की गई थी क्या उस बढ़ोत्तरी को इन मेहतरों से भी लागू करना चाहती है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है मेहतरों के लिये अलहदा पे कमेटी बनी थी उसके अनुसार उनकी तनख्वाह कायम की गई थी।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो मेहतर थाने में काम करते हैं उनको २ रु या माहवार तनख्वाह दी जाती है वह तो और ज्यादा कम है। इन सब बातों को देखते हुये क्या सरकार उनकी तनख्वाह बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार ने इस पर विचार किया था लेकिन उस पर बहुत खर्चा आ रहा है। अब फिर हेड क्वार्टर्स से सूचना मंगाई गई है, आंकड़े एकत्रित हो जाने पर विचार किया जायगा कि क्या सम्भव हो सकता है।

*३—**श्री गनेशचन्द्र काछी**—[९ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

गोपालपुर गोलीकाण्ड तथा लखीमपुर कोतवाली के कांस्टेबिल श्री असदुल्ला खां के गोली लगना

*४—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या फर्रुखाबाद जिले के इन्दरगढ़ थाने के गोपालपुर गांव में ११ फरवरी, १९६० को डाकुओं एवं पुलिस दल में लगातार ८ घन्टे तक गोली चलने का समाचार उन्हें मिला है ? यदि हां, तो क्या वे पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८९१ पर)

*५—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या फरवरी के द्वितीय सप्ताह में खीरी जिले की लखीमपुर कोतवाली में तैनात पुलिस हेड कांस्टेबिल श्री असदुल्ला को, ग्राम छाउछ में दिन दहाड़े किसी डाकू ने गोली से मार दिया है ? यदि हां, तो क्या वे इस घटना का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं, कान्सटेबिल असदुल्ला खां पर एक फरार अभियुक्त ने ५–२–६० को गोली चलाई परन्तु उसकी मृत्यु नहीं हुई। घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८९१ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि घटना स्थल पर कुल कितने डाकू थे और उनमें से कितने भाग गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी लेकिन एक व्यक्ति पुन्ना तथा उसके तीन साथी गिरफ्तार कर लिये गये हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--यह गांव छाउछ, लखीमपुर से ६ फर्लांग के फासले पर है; वहां यह घटना घटी। इसमें कौन-कौन व्यक्ति पकड़े गये और उसमें अभी तक क्या तफ्तीश हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव--उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर के उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिये पुलिस गई थी जब कि उसने फायरिंग कर दी और उसी सिलसिले में एक कांस्टेबिल को चोट लगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने व्यक्तियों पर अदालत में मुकदमा चल रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मुकदमा कितने व्यक्तियों के खिलाफ चल रहा है यह तो इस वक्त नहीं मालूम है लेकिन उनके खिलाफ दफा ३९९, ४०२ और ३०७ का मुकदमा चल रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ३ डाकू मौके पर पकड़े गये, उनके पकड़े जाने के बाद पुलिस को उन डाकुओं के गैंग का या अन्य डाकुओं का बाद को पता चल सका ?

श्री रामस्वरूप यादव--पुलिस को काफी पता लग चुका है और कार्यवाही हो रही है। शिनाख्त वगैरा हुई और उसके बाद मुकदमा अदालत में भेज दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय गृह मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस स्टेशन पर जो रिपोर्ट हुई है वह कितने व्यक्तियों के खिलाफ हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, व्यक्तियों के नाम के लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष--प्राइमरी रिपोर्ट यानी फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट के समय ही भविष्य में आप यह सूचना मंगा लिया करें। इस तरह की सूचना भेजने के लिये आपकी तरफ से उनको पहले ही हिदायत होनी चाहिये।

श्री रामस्वरूप यादव--हर मुकदमे की एफ० आई० आर० भेजने के लिये आदेश देंगे तो उसमें उतनी ही कठिनाई पड़ेगी। जनरल बातें जो होती हैं उनकी सूचना तो दे ही देते हैं। बहुतों में यह होता है कि ३९९ और ४०२ की सूचना होती है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रतिलिपि आप न मंगावें, लेकिन जो उत्तर आपका आता है उसमें उन व्यक्तियों के नाम मोटे तौर पर आने चाहिये जिनके खिलाफ मुकदमे हैं।

श्री रामस्वरूप यादव--डकैती की एफ० आई० आर० में नाम बहुत कम होते हैं। उसमें यही होता है कि इतने व्यक्ति हैं।

श्री उपाध्यक्ष--ठीक है।

लखनऊ में एक स्थायी अध्यापक का प्राविडेंट फण्ड न कटना

*६--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या लखनऊ नगर में कुछ ऐसे भी सरकारी सहायता प्राप्त इन्टरमीडिएड कालेज हैं जिनमें कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो ८-१० साल से कार्य कर रहे हैं किन्तु स्थायी होते हुये भी उनका प्रावीडेंट फन्ड नहीं कटता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--जी हां, केवल एक।

नियुक्ति के समय आयु प्रतिबन्ध के कारण एक अध्यापक योजना में सम्मिलित नहीं हो सका।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नियुक्ति के समय उनकी अवस्था क्या थी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—नियुक्ति के समय इनकी अवस्था ४४ वर्ष थी। लेकिन कायदे के अनुसार ४० वर्ष से अधिक के इसमें नहीं आ सकते थे।

श्री मदन पांडेय—बहुत से कार्यों में एक्सेप्शन दिया जाता है, तो क्या इस व्यक्ति के लिये भी विचार किया जायगा कि उसका स्थायीकरण किया जाय ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—पहले ४० वर्ष था, फिर ५२ में ४० से ५४ वर्ष कर दिया गया परन्तु अध्यापक ने उसमें शामिल होना नहीं चाहा।

परसरामपुर थाने में एक हवालाती की मत्यु

*७—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को पता है कि जिला बस्ती के परसरामपुर थाने की हिरासत में गत १ जून से १५ जून, १९६० के अन्दर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, दिनांक ६ जून, १९६० में यह घटना हुई। इस सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई गई।

*८—**श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु थाने की हिरासत में हो गई उसको पुलिस ने बहुत मारा था ? यदि हां, तो पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं, मृतक व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने गई थी उस व्यक्ति ने पुलिस वालों पर आक्रमण किया और भागा। उसे पकड़ते समय पुलिस ने बल का प्रयोग किया और उसके चोटें आईं। पुलिस का इस सम्बन्ध में दोष नहीं पाया गया।

श्री ऊदल—क्या माननीय गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो व्यक्ति हवालात में मर गया, उसका पोस्टमार्टम भी किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसका जो पोस्टमार्टम किया गया, उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—रिपोर्ट में बतलाया गया है कि चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हुई।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि उस व्यक्ति ने पुलिस पर हमला किया तो क्या उसके फलस्वरूप पुलिस वालों के भी चोटे आईं और कोई मारा भी गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—मरा तो कोई नहीं लेकिन चोटें आई हैं, थानेदार के भी चोटें आई हैं।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब उस व्यक्ति को पकड़ा गया और वह भागा तो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में भागने में गिरने की चोटों से मरने की बात है या बलपूर्वक मारी गई चोटों की बात है ?

श्री रामस्वरूप यादव—वह चोटें संभवतः लाठी की चोटें है जिनसे वह मरा।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस थानेदार के चोटें आई हैं उनका डाक्टरी मुआयना हुआ है ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, मुआयना उनका हुआ, उनके ५ चोटें आईं और सिर में एक तेज आले की भी चोट थी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस व्यक्ति के जो चोटें आईं, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केवल लाठी की ही चोटों का जिक्र है या किसी दूसरी तरह की चोटों का भी जिक्र है ?

श्री रामस्वरूप यादव—सभी चोटों का उसमें जिक्र है, १५ चोटें लिखी हैं, उसमें कन्ट्रजन और कन्टूज्ड उण्ड (contused wound) दोनों तरह की हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि अव्वल तो वह पुलिस की चोटों से मरा है और दूसरे हवालात के अन्दर मरा है इसकी कोई जुडीशियल इन्क्वायरी कराने की कृपा करेंगे कि वह हवालात में क्यों मरा ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसकी तो जरुरत नहीं है क्योंकि जांच तो हो गई कि उसके चोटें आई हैं और हवालात में ही वह मरा है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब उस व्यक्ति के शरीर पर चोटें थीं तो उसको अस्पताल में क्यों दाखिल नहीं किया गया और नहीं किया गया तो उसके इलाज की क्या व्यवस्था वहां की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस संबंध में थोड़ी कमी सब-इंसपेक्टर ने जरूर की, उसके बारे में वैभागिक कार्यवाही हो रही है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास इस तरह की शिकायत भेजी गई है कि वस्तुतः ऐसा नहीं था कि बाहर चोटें आईं बल्कि हवालात में उस को मारा गया और वहीं वह मर गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है, शिकायत यही थी कि वहीं गांव में मारा गया और वहीं वह मर गया।

सोशलिस्ट सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी

*९—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि पिछले मई और जून में कितने सोशलिस्ट सत्याग्रही गिरफ्तार हुए और कहां-कहां ?

*१०—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गिरफ्तार किये गये सत्याग्रहियों पर किन-किन दफाओं में मुकदमें चलाये गये या चलाये जा रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—वांछित सूचना संलग्न तालिका "अ" और "ब" में दी गई है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८९२–८९४ पर)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह सत्याग्रह जून के बाद बन्द हो गया या अभी चल रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैं समझता हूं शायद वह अपने आप ही अब बन्द सा है बाकी हल्के-हल्के कुछ चल सा भी रहा है।

श्री देवनारायण भारतीय--मंत्री जी ने जो सूचना माननीय पालीवाल जी को दी है क्या वह उसको सदन की जानकारी के लिये पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--वह तो बहुत लम्बी है, मंत्री जी गिरफ्तारियों की कुल संख्या बता दें ।

श्री रामस्वरूप यादव--मई में १५८८, जून में २९७, कुल १८८५ । ३१ जुलाई तक २०११ हुई और १५ जुलाई तक १६५३ मुकदमें फैसले हुए और सजायें हुईं ।

श्री उपाध्यक्ष--यह भी आप बता दें कि किन-किन दफाओं में मुकदमे चले ?

श्री रामस्वरूप यादव--१८८, १४३, १८६, १२६, ४२७, ३५३, ४४८, २२८, १४३ और बहुत-सी इसी तरह की दफायें हैं जिनमें चलाये गये ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सत्याग्रहियों पर एक ही साथ १०७ बटा ११७ और ११७ आई० पी० सी० प्रदेश में कई जगह चलाई गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, संभव हो सकता है । जिसने जैसा अपराध किया, मुकदमा उसी के हिसाब से चलता है ।

श्री देवनारायण भारतीय--वे कौन-कौन सी आई० पी० सी० की धाराएं हैं जो सोशलिस्ट सत्याग्रहियों पर नहीं लगाई गई हैं ?

(हंसी--उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री गेंदासिंह--इस बात को देखते हुए कि इस वक्त अब सत्याग्रही शामिल नहीं हो रहे हैं और कोई बखेड़े की बात नहीं है, जो लोग आजकल जेल में हैं उनको छोड़ देने के प्रश्न पर और उन पर से मुकदमा वापस ले लेने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--श्रीमन्, इनमें से कितने आदमी १०९, ११०, ३९५ और ३९६ में चालान हुए हैं जिनके आचार्य जी वकील थे ?

श्री रामस्वरूप यादव--३९५, ३९६ में, मैं समझता हूं . . . .

श्री उपाध्यक्ष--मेरे खयाल में आपको सूचना की जरूरत है ।

श्री उग्रसेन--क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि देवरिया जिले में ३९५ में भी सत्याग्रहियों की गिरफ्तारियां हुईं ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह सूचना देवरिया जिले की इस वक्त तो मेरे पास अलग से नहीं है । इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सोशलिस्ट सत्याग्रहियों को सरकार ने सत्याग्रही स्वीकार कर लिया है और यदि स्वीकार कर लिया है तो अनेक दफाओं में चालान होने के क्या कारण हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--सोशलिस्ट अपने को सत्याग्रही कहते हैं । माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह भी वैसा ही पूछा है । लेकिन अपराध जो किये हैं उनके अनुसार जिस धारा का अपराध किया है उसी में मुकदमा चलाया गया है ।

श्री टीकाराम पुजारी--क्या सरकार भी सोशलिस्ट बनना चाहती है?

श्री उपाध्यक्ष--(श्री राम स्वरूप यादव से) इसका आप सोच समझकर लिखित उत्तर भेजियेगा। (हंसी)

श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार को ऐसी सूचना है कि जितने भी सोशलिस्ट सत्याग्रही हैं उनके मामले में जितने भी पुलिस के गवाह हैं उनमें ९० प्रतिशत से अधिक हिस्ट्रीशीटर और चोर हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह बात ठीक नहीं है और ऐसी आशा भी नहीं की जाती है।

श्री मदन पांडेय--इन सत्याग्रहियों में अधिक से अधिक सजा कितने दिन की मिली है और कम से कम कितने दिन की मिली है ?

श्री रामस्वरूप यादव--सूचना की आवश्यकता है।

*११--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--[२५ अगस्त, १९६० को उत्तर दिया गया।]

सोशलिस्ट सत्याग्रहियों की जिलेवार गिरफ्तारी

*१२--**श्री उग्रसेन**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ३० जून, १९६० तक दफा १०७/११७ सी० आर० पी० सी० तथा ११७ आई पी० सी० में जिलेवार कितनी गिरफ्तारियां सोशलिस्ट सत्याग्रह में हुईं ?

श्री रामस्वरूप यादव--वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८९५ पर)

श्री उग्रसेन--यह जो १०७, ११७ सी० आर० पी० सी० में ३० जून तक ३९६ गिरफ्तारियां हुईं और ११७ आई० पी० सी० में ७७ और १५ और हुई कुल मिलाकर जो ४८८ हुई ३० जून तक, तो क्या यह सही है कि इनमें से ८५ फीसदी के लिये २७, २८, २९ अप्रैल को ही वारन्ट कट गये थे कि गल्ला गोदाम लूटना चाहते थे ?

श्री उपाध्यक्ष--आपका प्रश्न है कि क्या वारण्ट २७, २८, २९ अप्रैल को ही इश्यू हो गये थे।

श्री रामस्वरूप यादव--जिस दिन कि जिला अधिकारियों को आशंका होगी कि जुर्म करेंगे और शान्ति भंग करेंगे उसी दिन कटे होंगे।

श्री उपाध्यक्ष--राज्य स्तर पर कोई सूची नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं।

श्री गौरीशंकर राय--श्रीमन्, १०७ और ११७ में गिरफ्तारियां हुईं सारे प्रदेश के अन्दर, तो क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री के क्षेत्र में उनके प्रतिद्वंद्वी श्री प्रभुनारायण सिंह को अकेले प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट में रखा गया है ?

श्री उपाध्यक्ष--यह तो लिखकर आप पूछिए।

श्री उग्रसेन--सरकार को इस बात की सूचना है कि जितने वारन्ट निकले वह एक ही दिन निकले। तो मंत्री जी कारण बतायें कि सारे प्रान्त में एक ही दिन अशान्ति होने का कैसे अंदेशा हो गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस वक्त मेरे पास यह सूचना नहीं है कि किस-किस दिन वारन्ट निकले। लेकिन जिस दिन जिलाधिकारियों को आशंका होगी कि यह जुर्म करेंगे और उनका पकड़ना आवश्यक है तो उसी दिन वारन्ट जारी हुए।

श्री उग्रसेन--मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं ....

श्री उपाध्यक्ष---बताने की बात नहीं है, आप पूछिये ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जिस समय सोशलिस्ट पार्टी के विधायक यहां सदन में मौजूद थे और बहुत से लोगों ने भाषण भी दिये उसी दिन उनके वारन्ट काट दिये गये ?

श्री उपाध्यक्ष---यह तो स्पैसिफिक सवाल है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि सत्याग्रह के दौरान में जो प्रदेश भर में दफा १०७/११७ में गिरफ्तार किये गये उनमें से अधिकांश लोगों को मैजिस्ट्रेटों ने छोड़ दिया है क्योंकि जिन्हें गिरफ्तार किया गया वह कचहरी में वकालत करते समय और स्कूलों में पढ़ाते समय पकड़े गये थे ?

श्री उपाध्यक्ष---दफा १०७/११७ के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव---जी हां ।

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो सभी जानते हैं कि एक समय में ऐसी आवाज उठायी गई थी कि एकदम शान्ति भंग करना चाहते हैं इसलिये जिला अधिकारियों को १०७/११७ की आवश्यकता हुई, लेकिन जिससे आशा नहीं की जा सकती थी कि अपराध नहीं करेगा उसको गिरफ्तार नहीं किया गया ।

श्री चन्द्रजीत यादव---मेरे प्रश्न का जवाब नहीं हुआ । मैंने यह पूछा था कि क्या सरकार को जानकारी है कि बड़े पैमाने पर गलत लोगों को गिरफ्तार किया गया और बड़े पैमाने पर अदालतों ने यह कह कर छोड़ दिया कि गलत तरीके से लोगों को पकड़ा गया जब कि उनको अदालतों में वकालत करते या स्कूलों में पढ़ाते समय गिरफ्तार किया गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव---मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---जिन दफाओं में लोग गिरफ्तार हुए हैं सरकार उनके छोड़ने पर विचार कर रही है क्योंकि दूसरे सत्याग्रह का रूप उन्होंने सोचा है और उसमें वह लोग आ सकें ? यानी दफा १०७/११७ में सोशलिस्ट सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये तो क्या मंत्री जी इस पर विचार कर रहे हैं कि अब सत्याग्रह का रूप दूसरा हो रहा है इसलिये उनको छोड़ दें और अगर दूसरे रूप में कानून तोड़ें तो पकड़ा जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी कोई ऐसा विचार नहीं है । लेकिन जो सत्याग्रह करने वाले होते हैं वह अगर ऐसा विचार दिखायेंगे जिससे देश में शान्ति कायम हो तो सोचा जा सकता है ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी को सूचना है कि दफा १०७/११७ की जितनी अपीलें सेशन जज के यहां हुईं करीब-करीब सभी अपीलें मंजूर हुई हैं और उन्होंने कार्यपालिका के विरुद्ध आक्षेपपूर्ण नोट लिखा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसी तो सूचना कोई नहीं है ।

*१३-१४---**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)---[९ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

शरकोट का गोलीकाण्ड

*१५---**कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बिजनौर जनपद के शरकोट नामक स्थान पर ५ जुलाई, १९६० की रात्रि को मुहर्रम के समय किन परिस्थितियों में गोली चलानी पड़ी ? इसका पूर्ण विवरण तथा हताहतों की संख्या क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव--सैयदों व कसाइयों के अखाड़ों में कुछ झगड़ा होने व आपस में लाठी चलने के कारण शांति भंग होने पर भीड़ को तितर बितर करने व शांति व्यवस्था कायम करने के लिये पहले लाठी चार्ज किया गया और भीड़ ने जब इसकी परवाह न करके, मजिस्ट्रेट तथा पुलिस पर ईंट पत्थर की बौछार करके आक्रमणकारी रूप धारण किया तो मजिस्ट्रेट को फायरिंग का आदेश देना पड़ा। गोली लगने से ३ व्यक्तियों की मृत्यु हुई और ९ व्यक्ति घायल हुए। घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८९६ पर)

कुंवर श्रीपालसिंह--मंत्री जी बतायेंगे कि इन सैयदों और कसाइयों में झगड़ा क्यों हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव--कुछ दिन पहले तो चबूतरे के संबंध में झगड़ा था। लेकिन जिस दिन यह जलूस निकाल रहे थे तो पहले कसाइयों का जलूस आगे चलना चाहता था और सैयद भी चाहते थे कि उनका जलूस पहले चले। उसी सिलसिले में झगड़ा हो गया, लाठी चली और पथराव हो गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--इस बात को देखते हुए कि पुलिस की गोली से ८ घायल हुए और तीन आदमी मरे क्या सरकार ने इसकी जांच करायी है कि गोली ठीक तरह से चलायी गई थी या ज्यादा फोर्स इस्तेमाल किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--उसकी मैजिस्टीरियल जांच हुई और रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)--मंत्री जी बतायेंगे कि झगड़ा सैयदों और कसाइयों में था तो सरकार को क्यों गोली चलानी पड़ी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री नन्दराम--मंत्री जी बतायेंगे कि गोली चलाने की क्या परिस्थिति पैदा हो गई थी और किसके आदेश से गोली चलायी गई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैजिस्ट्रेट जो ड्यूटी पर था उसके आदेश से।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ताजिये में आग लग जाने से झगड़ा बढ़ गया तो ताजिये में आग कैसे लग गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव--उस झगड़े में किसी अनजान व्यक्ति ने आग लगा दी या अपने आप लग गयी, इसकी अभी सूचना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मैजिस्ट्रियल इन्क्वायरी का जो परिणाम निकला उसमें क्या निष्कर्ष निकाला गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--उन्होंने गोली चलाना न्यायसंगत माना है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--मैजिस्ट्रियल इन्क्वायरी उसी ने की जिसने गोली चलाई या उसी स्तर का दूसरा मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव--दोनों ही फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट थे लेकिन दूसरे मैजिस्ट्रेट एस० डी० एम० ने जांच की।

श्री प्रतापसिंह--सदन की इस भावना को देखते हुए कि तीन दिन से लगातार यह जवाब दिया जा रहा है कि गोली चलाने से ८ घायल, ३ मरे तो क्या सरकार इस संबंध में एक कमेटी बैठायेगी जो इस पर विचार करे कि कब गोली चलाना चाहिये और कब नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव--उसके तो नियम बने हुए हैं और उन्हीं नियमों के अन्तर्गत मैजिस्ट्रेट को आदेश देने का अधिकार होता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या पुलिस कमीशन इस पर विचार कर रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव--पुलिस कमीशन के टर्म्स आफ रिफरेंस बहुत से हैं । सब पर वह विचार कर रहा है ।

कुंवर श्रीपालसिंह--जिस ताजिये में आग लगा दी गयी वह कसाइयों का था या सैयदों का ?

श्री रामस्वरूप यादव--कसाइयों का ताजिया था और कुछ कागज जल गया था ।

*१६--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--[९ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

कुमायूं विश्वविद्यालय स्थापित करने का आश्वासन कार्यान्वित न हो सकना

*१७--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार नैनीताल उत्तरी क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य द्वारा १९५६ में प्रस्तुत कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ पर २४ अगस्त, १९५६ को हुए विवाद के अवसर पर शिक्षा मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को देखते हुए कुमायूं विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार कर रही है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--जी नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि जो उन्होंने आश्वासन २४ अगस्त, ५६ को दिया था "मुझे केवल एक बात का सन्देह कुमायूं विश्वविद्यालय के संबंध में है कि वह किस चीज का, किस बात की वहां शिक्षा देनी चाहिये । एक पर्वतीय क्षेत्र में आवश्यक शिक्षा क्या होगी, यह बड़े विवाद का प्रश्न हो सकता है । उसके लिये कितने छात्रों की संख्या उपलब्ध होगी, यह भी एक प्रश्न है। तो मुझे इसमें इंकार नहीं है कि जो नारायण दत्त जी ने अपना प्रस्ताव रखा है कि यह जनमत के लिये घुमा दिया जाय लेकिन मैं समझता हूं कि ३ महीने का समय इसके लिये बहुत कम है । अगर वह ७, ८ महीने मान लें तो हम जनमत के लिये इसे प्रसारित कर दें जिससे सरकार को पता चल जाय कि कितना इसमें व्यय होगा और किस प्रकार का यह विश्वविद्यालय होगा । मैं इतना जरूर चाहता हूं कि आजकल की जो यूनिवर्सिटी की प्रथा है उसे छोड़कर हम किसी और प्रकार की यूनिवर्सिटी स्थापित करें तो वह देश के लिये, प्रान्त के लिये, कल्याणकारी होगा । तो मैं समझता हूं कि नारायण दत्त जी मान लेंगे कि यह ८ महीने के लिये प्रसारित कर दिया जाय"। तो इस आश्वासन को पूरा करने के लिये २४ अगस्त सन् ५६, से आज तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--भूतपूर्व मंत्री महोदय ने नारायणदत्त जी से केवल यह चाहा था कि वे तीन महीने की अवधि के स्थान पर ८ महीने की अवधि मांग लें इस बिल को प्रसारित करने के लिये । उसके बाद असेम्बली की मियाद खत्म हो गई इसलिये इस प्रस्ताव को समाप्त समझा गया ।

[**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**--हर जोन में करीब-करीब १, १ यूनिवर्सिटी है । कुमायूं और उत्तराखण्ड दो डिवीजन ऐसे हैं जिनकी समस्यायें बिलकुल भिन्न हैं, रहन-सहन भिन्न है, तो वहां के लिये उपयुक्त शिक्षा दिलाने के लिये वहां सरकार क्या एक युनिवर्सिटी खुलवाने की कृपा करेगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--हमारे प्रदेश में पहले से ही काफी विश्वविद्यालय हैं, इसलिये इस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं कि कुमायूं में विश्वविद्यालय खोला जाय या न खोला जाय ।

श्री प्रतापसिंह—जो थर्ड फाइव ईयर प्लान की ड्राफ्ट रिपोर्ट निकली है उसमें तीन यूनिवर्सिटीज में कुमायूं में भी एक यूनिवर्सिटी खोलने का विचार है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—यदि भारत सरकार से इस सम्बन्ध में कुछ मदद मिलेगी तो जैसा प्रतापसिंह जी चाहते हैं उस पर विचार किया जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जो थर्ड फाइव ईयर प्लान बनाया जा रहा है उसमें मेरठ और कानपुर के अलावा कुमायूं विश्वविद्यालय का भी नाम है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—मैंने प्रताप सिंह जी के प्रश्न के उत्तर में साफ कहा है कि यदि भारत सरकार से इस सम्बन्ध में कुछ मदद मिलेगी तो विचार किया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—आपने प्रस्तावना भेजी है कि कुमायूं में कोई विश्वविद्यालय खोला जाय या नहीं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—वह तो माननीय सदस्य ने खुद भी स्पष्ट कर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने यह कहा कि भारतीय सरकार ने कुछ ऐसा सोचा है, उत्तर प्रदेशीय सरकार ने अपनी तरफ से कुछ सुझाव भेजे हैं या नहीं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—हम तो कई विश्वविद्यालयों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आवश्यकता भारत सरकार से मदद की है ।

श्री उपाध्यक्ष—उसमें कुमायूं का विश्वविद्यालय है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी हां, उसका नाम भी आया है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया गया था लेकिन विधान सभा समाप्त हो गई इसलिये वह प्रस्ताव भी समाप्त हो गया तो इस टैक्नेलिटी को छोड़कर उसकी आवश्यकता को देखते हुये कि कुमायूं में विश्वविद्यालय की आवश्यकता है । क्या सरकार इसको प्राथमिकता देगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—ठाकुर हरगोविन्दसिंह जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया था । मैं उसको पढ़े देता हूं । वह इस प्रकार है कि "उसके लिये कितने छात्रों की संख्या उपलब्ध होगी, यह भी एक प्रश्न है । तो मुझे इसमें इन्कार नहीं है कि जो नारायणदत्त जी ने अपना प्रस्ताव रखा है कि यह जनमत के लिये घुमा दिया जाय लेकिन मैं समझता हूं कि तीन महीने का समय इसके लिये बहुत कम है । अगर वह ७–८ महीने मान लें तो हम जनमत के लिये इसे प्रसारित कर दें जिससे सरकार को पता चल जाय कि कितना इसमें व्यय होगा और किस प्रकार का यह विश्वविद्यालय होगा" ।

श्री गेंदासिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह निर्णय कब हुआ है कि एक असेम्बली के प्रस्ताव को उसके जीवन भर में ही माना जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—यह तो स्पष्ट है, उनसे क्या पूछना ।

श्री गेंदासिंह—इसलिये है श्रीमन्, कि असेम्बली समाप्त हो गई तो प्रस्ताव भी समाप्त हो गया ।

श्री उपाध्यक्ष—अगर असेम्बली डिजाल्व नहीं हुई होगी और कोई प्रस्ताव होगा तो विचार होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जब आश्वासन के रूप में इसे स्वीकार कर लिया है कि यह आश्वासन था तो यह लैप्स किस प्रकार हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष---वह कहते हैं कि स्पष्ट आश्वासन नहीं था । इसलिये मेरा खयाल है कि मामला आश्वासन समिति के सामने है या नहीं इस पर बहस नहीं होगी । आश्वासन था या नहीं इस पर आपस में बहस करें ।

श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि वर्तमान शिक्षा विभाग फाइव ईयर प्लान में कुमायूं में एक एक्जामिनिंग यूनिवर्सिटी हो, इस पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो उसको एक्जामिनिंग यूनिवर्सिटी के बजाय कुमायूं यूनिवर्सिटी का रूप देने की कृपा करेंगे ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---इसके संबंध में मैं अभी कुछ कहने में असमर्थ हूं ।

*१८---**श्री प्रतापसिंह**---[९ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

राजकीय बालिका विद्यालय, नैनीताल की इमारत

*१९---**श्री प्रतापसिंह**---क्या गृह मंत्री को यह ज्ञात है कि राजकीय बालिका विद्यालय, नैनीताल इस समय जिस इमारत में है वह पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था सरकार की ओर से हो रही है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---जी हां, तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में धन उपलब्ध होने पर विद्यालय भवन का विस्तार किया जायगा ।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस समय धनाभाव के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात को ध्यान में रखते हुये और सरकार मैटरोपोल होटल को लेना चाहती है, वहां के प्रिन्सिपल ने लिखा है कि इसको कालेज को दिया जाय क्योंकि वर्तमान इमारत में विस्तार नहीं हो सकता है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है उसका मुझे ज्ञान नहीं है लकिन हमारी योजना में इसके विस्तार के लिये ५० हजार रुपये का अनुमानित व्यय होने की सम्भावना है और वित्तीय वर्ष में रुपया नहीं है इसलिये हम सोच रहे हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के शुरू होने पर इसको कार्यान्वित किया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ही इसका कार्य शुरू कर दिया जायगा ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---मैंने कहा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम इसको रख रहे हैं । प्रथम वर्ष में रखेंगे या द्वितीय वर्ष में रखेंगे यह कहना सम्भव नहीं है ।

*२०-२१---**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)---[९ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*२२---**श्री माताप्रसाद** (जिला जौनपुर)---[९ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*२३-२४---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)---[९ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

मुख्य अध्यापकों की नियुक्तियां लोक सेवा आयोग से न होना

*२५---**श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २५० रुपये से ५०० रुपये के ग्रेड के मुख्य अध्यापकों की नियुक्तियां लोक सेवा आयोग के द्वारा कितने समय से नहीं की गई हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---१९५३ से ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ से अब सेवा आयोग से नियुक्तियां न कराने के क्या कारण हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—१९५७ में एक चुनाव समिति बनाई गई थी जिसमें नीचे लिखे लोग थे :—

१—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल,
२—श्री विनोदचन्द्र शर्मा,
३—श्री सी० एन० चक,
४—श्री राजाराव सिंह, अतिरिक्त शिक्षा संचालक ।

इन्होंने चुनाव कर दिया था जिसको १५ जनवरी, १९६० को स्वीकार कर लिया गया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सात वर्षों में कितनी नियुक्तियां मुख्य अध्यापकों की हुईं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—२५ रिक्तियाँ थीं और वह इस कमेटी ने स्वीकार कीं ।

श्री गेंदासिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या वजह थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन से न करवा कर दूसरी कमेटी नियुक्त की गई ? दूसरी बात यह कि क्या आइन्दा अब सरकार ऐसा न करेगी और पब्लिक सर्विस कमीशन से ही नियुक्तियां करायेगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—इस कमेटी में पब्लिक सर्विस कमीशन से श्री राधाकृष्ण जी थे और जो उसने चुनाव किया उसको पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्वीकर किया ।

श्री उपाध्यक्ष—और बताइये कि भविष्य में क्या होगा ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—भविष्य के सम्बन्ध में जैसी कि परिस्थिति होगी उस पर विचार करेंगे ।

श्री सुरथबहादुरशाह—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किस रूल के आधार पर यह नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन से न होने के कारण इस कमीशन द्वारा कराई गईं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—यह नियुक्तियां जो हो गई थीं, यह पब्लिक सर्विस कमीशन के पास अप्रूवल के लिये भेजी गई थीं या नहीं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—मैंने तो कहा कि इस कमेटी ने जो फैसला लिया उसकी स्वीकृति पब्लिक सर्विस कमीशन ने दी ।

श्री सुरथबहादुरशाह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जो नियुक्तियां कर दी गई थीं, तो उनको रूल का ज्ञान क्यों नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने कहा कि नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या यह सही है कि १९५३ से अब तक बहुत-सी ऐसी जगहें खाली हैं जिसके कारण वहां पर शिक्षा ठीक से नहीं हो रही है, जैसे कि इलाहाबाद में ?

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रश्न केवल मुख्य अध्यापकों के बारे में है । इसके लिये दूसरा नोटिस दीजिये ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो यह नियुक्तियां हुई हैं यह अनियमित हुई हैं और इनको नियमित करा देने के लिये सेवा आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—यह तो बता चुके हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्वीकृति दे दी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो कमेटी स्थापित की गयी, इसकी स्थापना पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वीकृति होने के बाद की गयी या पहले स्थापित हो गयी, बाद में स्वीकृति ली गयी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—कमेटी पहले बैठी । उसने एक फैसला दिया । उस फैसले की सहमति लोक सेवा आयोग से प्राप्त की गयी ।

महमूदाबाद थाना क्षेत्र में विभिन्न अपराधों की घटनायें

*२६—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९५९ से ३० सितम्बर, १९५९ तक सीतापुर जिले के अन्तर्गत थाना महमूदाबाद में कत्ल, डकैती, चोरी और राहजनी की प्रतिमाह कितनी रिपोर्टें दर्ज हुईं ?

श्री रामस्वरूप यादव—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ. ८९७ पर)

*२७—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त अवधि में दर्ज रिपोर्टों में कितने धन और जन का नुकसान हुआ (यानी कितने व्यक्तियों की मृत्यु और कितने धन का नुकसान रिपोर्टों में लिखे अनुसार हुआ) ?

श्री रामस्वरूप यादव—कत्ल की घटनाओं में ४ व्यक्तियों की जान गई । डकैती और चोरी की घटनाओं में २५,७५६ रुपये की हानि हुई । राहजनी की कोई घटना नहीं हुई ।

*२८—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त अवधि में उपरोक्त जुर्मों में दर्ज रिपोर्टों में से कितनी रिपोर्टों के मामलों को न्यायालय भेजा गया और उनमें से कितने मामले सफल हुए और कितने असफल हुए ?

श्री रामस्वरूप यादव—कत्ल के दोनों मामले न्यायालय भेजे गये जिनमें से एक मामले में अभियुक्त सजायाब हुए और दूसरे में रिहा हुए । डकैती के दोनों मामलों को न्यायालय भेजा गया जिसमें से एक में अभियुक्तों को सजा हुई और दूसरे में अभियुक्त रिहा हुए । चोरी के १० मामले न्यायालय को भेजे गये, २ मामलों में अभियुक्त सजायाब हुए और ८ मामले अभी न्यायायल में विचाराधीन हैं ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन कत्ल की दो घटनाओं में चार व्यक्तियों की मृत्युएं हुईं उनके नाम और पते क्या हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जनवरी मास, १९५९ में दिनांक १७-१-५९ को मटरू पिसर छुटकऊ, निवासी सुन्दौली का कत्ल हुआ और वह किस दफा के अन्तर्गत अंकित किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—जनवरी, १९५९ में मेरी सूचना के अनुसार कोई कत्ल नहीं हुआ है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—मुझे जो इत्तिला मिली है उसके अनुसार जनवरी, १९५९ में कत्ल की एक रिपोर्ट दर्ज है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यह कत्ल हुआ उसकी रिपोर्ट किस दफा में दर्ज की गयी ?

श्री उपाध्यक्ष—आप फिर से प्रश्न पूछ लीजिये ।

*२९—**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई)—[९ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*३०—**श्री मूलचन्द** (जिला सीतापुर)—[९ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

जालौन जिले में सरकारी बसें चलाने के लिए निरीक्षण

*३१—**श्री गरीबदास** (जिला जालौन)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला जालौन में सरकारी बसें चलाने के लिये सरकार ने जून, १९६० में परिवहन विभाग द्वारा कोई निरीक्षण किया था ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—जी हां ।

*३२—**श्री गरीबदास**—यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में सरकार जिला जालौन में सरकारी बसों के चलाने का व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

डाक्टर सीताराम—निरीक्षण से प्राप्त तथ्यों पर विचार करने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

*३३-३५—**श्री गेंदासिंह तथा श्री प्रतापसिंह**—[९ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

आजमगढ़-फैजाबाद सड़क पर रोडवेज बस से श्यामबलीराम हरिजन के पैर कट जाना

*३६—**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़-फैजाबाद रोड पर २९-११-५८ को रोडवेज बस नं० २२५१ द्वारा श्री श्यामबली राम, हरिजन छात्र के पैर कट जाने की कोई दुर्घटना हुई थी ?

डाक्टर सीताराम—जी हां ।

*३७—**श्री विश्रामराय**—यदि हां, तो इस गरीब हरिजन छात्र के प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई और उसकी क्षतिपूर्ति के लिये क्या सरकार किसी प्रकार की सहायता देने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—क्षतिपूर्ति की धनराशि के लिये जिलाधीश, आजमगढ़ से रिपोर्ट मांगी गयी है, जिसके प्राप्त होते ही आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

रोडवेज क्षेत्र, गोरखपुर में ए० टी० आई० का चुनाव

*३८—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रीजन में ए० टी० आई० का चुनाव गत दो वर्षों के अन्दर कब कब हुआ है और कितने कितने व्यक्ति चुने गये हैं ?

डाक्टर सीताराम—चुनाव ७/८ अगस्त, १९५८ और २७ २९ अप्रैल, १९६० को हुए जिनमें क्रमशः ४ व १४ अभ्यर्थी चुने गये ।

नोटः —तारांकित प्रश्न २८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

शहीद हायर सेकेंडरी स्कूल, मधुबन के सेवा मुक्त अध्यापकों की अपील

*३९—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनवरी, १९५८ में शहीद हायर सेकेन्डरी स्कूल, मधुबन, जिला आजमगढ़ के कुछ सेवा-मुक्त अध्यापकों ने उप-शिक्षा संचालक, गोरखपुर के यहां अपील की थी? यदि हां, तो क्या उस पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, केवल प्रधानाध्यापक ने जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के निर्णय के विरुद्ध अपील की थी।

इस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

अध्यापकों को दिये गये आरोप पत्रों का उत्तर

*४०—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को कोई ऐसा आदेश दिया है कि मान्यता-प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धकों द्वारा अध्यापकों को दिये गये आरोप पत्रों के उत्तर प्रबन्धकों को न देकर जिला विद्यालय निरीक्षक अपने कार्यालय में मंगायें और उसकी प्रतिलिपि प्रबन्धकों को दें? यदि हां, तो उक्त आदेश कब जारी किया गया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर जिला पी० एस० पी० के ज्वाइंट सेक्रेटरी के पीटे जाने की शिकायत

*४१—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या जौनपुर से इसी साल जिला पी० एस० पी० के ज्वाइंट सेक्रेटरी का हवालात में पुलिस द्वारा पीटे जाने तथा उनका सब सामान छीन लिये जाने की कोई शिकायत सरकार के पास आई है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, और ऐसी ही एक शिकायत जिलाधीश के पास भी आयी थी जिसपर जांच के पश्चात् कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ।

*४२—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या बांदा में भी इसी साल पी० एस० पी० के किसी कार्यकर्त्ता के पुलिस द्वारा इसलिये पीटे जाने की कोई शिकायत आई है क्योंकि इन कार्यकर्त्ता ने सार्वजनिक सभा में पुलिस की ज्यादतियों का विरोध किया था? अगर हां, तो सरकार ने उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

सिरगिथा ग्राम में एक स्त्री द्वारा आत्महत्या

*४३—**श्री गौरीशंकर राय तथा श्री गेंदासिंह**—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार को यह मालूम है कि गत २८ जून को ग्राम सिरगिथा, थाना नन्दगंज, जिला गाजीपुर में एक स्त्री ने पुलिस के द्वारा तंग आकर अपने शरीर में आग लगा कर आत्महत्या कर ली?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, ऐसी सूचना मिली है।

*४४-४५—**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)—[हटा दिये गये।]

लखनऊ में मंत्रियों तथा विधायकों के निवास स्थान

*४६—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा) तथा श्री बलदेवसिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि लखनऊ में जिन-जिन भवनों में मंत्री लोग रहते हैं, उनमें कौन-कौन सरकारी भवन हैं और कौन-कौन गैर-सरकारी लोगों के निजी भवन हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—लखनऊ में जिन-जिन भवनों में मंत्री रहते हैं उनमें ९ भवन सरकारी हैं और १ भवन सरकार द्वारा किराये पर लिया गया है, जिनकी तालिका मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८९८ पर)

*४७—श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह तथा श्री बलदेवसिंह—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपर्युक्त जो गैर-सरकारी लोगों के निजी भवन हैं उनका मासिक किराया क्या-क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार द्वारा किराये पर लिये गये उपर्युक्त मकान का मासिक किराया २९७ रु० ५० न० पै० है।

*४८—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री बलदेवसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अभी कितने विधायक ऐसे हैं, जिनके रहने का प्रबन्ध सरकार की ओर से नहीं हो पाया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मंत्रिमंडल तथा विधान मंडल के पदाधिकारियों को छोड़कर ५०८ सदस्यों के रहने का प्रबन्ध करना है। इस समय विधायकों के आवास के लिये ३५७ कमरे हैं, अस्तु, १५१ विधायकों के रहने की व्यवस्था होनी चाहिये; किन्तु १२४ सदस्यों ने कमरे के बदले में क्षतिपूरक भत्ता की मांग की है, अस्तु, इस समय २७ विधायकों के रहने का प्रबन्ध आवश्यक है। समय-समय पर यह संख्या घटती बढ़ती रहती है। ३२ कमरे विधायक निवास नं० ४ में बन रहे हैं इसके अतिरिक्त विधायकों के लिये ४० कमरों के निर्माण की व्यवस्था विधायक निवास नं० २ के पास की जा रही है।

टेकमलपुर ग्राम में दो बालकों की हत्या

*४९—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या तारीख २९ जुलाई, १९६० को ग्राम टेकमलपुर, थाना निजामाबाद, जिला आजमगढ़ में दिन दहाड़े दो बालकों का कत्ल कर दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दिनांक २६-७-६० को उक्त ग्राम में एक व्यक्ति ने अपने दो पुत्रों की निर्मम हत्या की थी।

*५०—श्री मूलचन्द—[९ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*५१—श्री देवनारायण भारतीय—[९ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*५२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[९ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

इरशादपुर मजरा जलालाबाद में डकैती

*५३—श्री गयूर अली खां (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि ३१ जुलाई, १९६० व १ अगस्त, १९६० की दरमियानी रात में मौजा इरशादपुर, मजरा जलालाबाद, जिला मुजफ्फरनगर में किसी हरिजन के यहां डकैती पड़ी जिसमें बन्दक का प्रयोग हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*५४—**श्री गयूर अली खां**—यदि हां, तो क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत ३१ जुलाई व १ अगस्त, १९६० की रात में ग्राम इरशादपुर, मजरा, जलालाबाद में पड़ी डकैती में कितना माल लूटा गया, कितने व्यक्ति घायल हुए और इस सम्बन्ध में अभी तक कितने अपराधी गिरफ्तार किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त डकैती में १,७५० रु० का माल लूटा गया और चार आदमी घायल हुए। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

*५५—५६—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद)—[९ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

एस० एस० ई० एस० ग्रेड के अध्यापकों का मामला

*५७—**श्री तेजबहादुर** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट हायर सेकेन्डरी स्कूल तथा गवर्नमेंट इण्टर कालेज में एस० एस० ई० एस० ग्रेड (२००—४५० रु०) में कितने अध्यापक तथा अध्यापिकाएं ५ वर्ष से अधिक से आफिशिएट कर रहे हैं, क्या वह उनके मामले उत्तर प्रदेशीय लोक सेवा आयोग के समक्ष चुनाव हेतु भेजने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१ अध्यापक एवं १९ अध्यापिकाएं।

जी हां, इस सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग को लिखा गया है।

महुआपार से श्री रघुवरराम हरिजन का प्रार्थना-पत्र

*५८—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें दिनांक १४ दिसम्बर, १९५९ का भेजा हुआ ग्राम महुआपार, थाना तरवा, जिला आजमगढ़ के हरिजनों का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा घर गिराने, आग लगाने तथा मार कर घायल करने की शिकायत की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसा एक प्रार्थना-पत्र उक्त ग्राम के श्री रघुवर राम हरिजन ने भेजा था, जिसे आवश्यक कार्यवाही के लिये जिलाधीश, आजमगढ़ को भेज दिया गया।

बंशीपुर ग्राम में लड़की के शव का पंचनामा

*५९—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या २३/२४ अप्रैल, १९६० को ग्राम बंशीपुर मझमूरा दहावा, थाना सिधौली (सीतापुर) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति की कोठरी की धन्नी में लड़की की लाश टंगी हुई पायी गयी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उपरोक्त शव का पंचनामा कर दिया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*६०—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—यदि हां, तो क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उपरोक्त विषय से सम्बन्धित एक पत्र श्री मुनीर अहमद खां, सदस्य, प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी का गृह मंत्री को जून, १९६० में प्राप्त हुआ है और इसकी प्रतिलिपि जिलाधीश, सीतापुर की सेवा में भी भेजी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सम्बन्धित मामले की जांच परगनाधीश सिधौली द्वारा करायी गयी और अब पुनः केस को चालू किये जाने के लिये सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, सीतापुर से प्रार्थना की गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। पुलिस द्वारा पुनः जांच किये जाने पर कोई संदिग्ध बात नहीं पायी गयी।

गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और बस्ती जिलों को हरिजन सहायता

*६१—**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और बस्ती जिलों को जो सहायता वित्तीय वर्ष १९५८–५९ व १९५९–६० में हरिजन सहायक कार्य के लिये सरकार द्वारा दी गई वह खर्च के बाद इस समय कितनी बची है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वित्तीय वर्ष १९५८–५९ व १९५९–६० में खर्च करने के बाद निम्नलिखित धन शेष रहा:—

		रु०
(१)	गोरखपुर	१,८८,१३०
(२)	देवरिया	२,३८,१४५
(३)	आजमगढ़	१,८८,९६६
(४)	बस्ती	१,७१,८८२
	योग ..	७,८७,१२३

राज्य मद्य निषेध बोर्ड

*६२—**श्री जगदीशप्रसाद** (जिला मुरादाबाद)—क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि वर्तमान प्रदेशीय मद्यनिशेष बोर्ड की नियुक्ति कब हुई तथा अब तक उसकी कुल कितनी बैठकें बुलाई गयीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—राज्य मद्य निषेध बोर्ड का संगठन १२ मार्च, १९५८ को हुआ तथा अब तक बोर्ड की दो बैठकें हो चुकी हैं।

अतारांकित प्रश्न

नगीना-धामपुर बस-सर्विस की आवश्यकता

१—**श्री शिवराम** (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बिजनौर में नगीना से धामपुर सड़क पर रोडवेज की बस कब से चालू करने का विचार है?

डाक्टर सीताराम—अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६०

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, १९६०, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ५ अगस्त, १९६० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ११ अगस्त, १९६० की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २२ अगस्त, १९६० को प्राप्त हुई और वह १९६० का १५ वां अधिनियम बन गया।

रिहन्द बांध में दरार पड़ने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष--दफा ५२ में मेरे पास कई माननीय सदस्यों ने रिहन्द डैम के बारे में प्रश्न उपस्थित किये हैं। इनमें श्री उग्रसेन जी का महत्वपूर्ण है, मैं उसको पढ़े देता हूं :--

"४८ करोड़ की लागत से बने हुए ३०० फुट ऊंचे 'रिहन्द बांध' पिपरी, जिला मिर्जापुर के ब्लाक नम्बर ३८ में दिनांक २३ अगस्त, १९६० को दरार पड़ गई जिससे प्रति घंटा १,२०० गैलन पानी निकल रहा है। इससे सारे बांध को ही नहीं वरन् आसपास के क्षेत्र के हजारों गांवों के बह जाने का खतरा है। क्योंकि बांध के टूटने की पूरी सम्भावना हो गई है जिससे १८० वर्ग मील के जलाशय का पानी मुक्त होकर जल प्रलय पैदा करेगा। जो इंजीनियर वहां पर नियुक्त हैं उनकी सारी चेष्टायें असफल सिद्ध हो रही हैं।"

इस पर श्री उग्रसेन के अलावा श्री चन्द्रजीत यादव, श्री ऊदल, श्री गौरीशंकर राय, श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री नारायणदत्त तिवारी और श्री मुक्तिनाथ राय ने भी यह प्रश्न उपस्थित किया है। मैंने सारी पत्रावली को माननीय निर्माण मन्त्री को भेज दिया था और मैंने यह चाहा था कि अपने उत्तर में वह सभी पत्रावलियों के प्रश्नों का समावेश करते हुए उत्तर देने की कृपा करें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बात है इसके विषय में मुझे यह इत्तला मिली है कि वहां पर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। न वहां पर दरार है और न कोई वहां पर ब्रीच हुआ है। उसकी डिजाइनिंग ऐसी होती है कि जिसमें कुछ सूराख करना पड़ता है जिससे ऊपर कुछ पानी आ जाता है। वही पानी ऊपर आया है जो कुछ दिनों में ठीक हो जायगा। इसके अलावा और कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--आप और भी सूचना मंगाना आवश्यक समझते हैं या यही सूचना पर्याप्त है ?

श्री गिरधारीलाल--मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पहली तारीख को मैं गया था और २० तारीख को माननीय मुख्य मन्त्री जी वहां पर गये थे। फिर भी यदि कोई ऐसी विशेष बात होगी तो मैं उसकी नोटिस सदन को दूंगा और अगर कोई जरूरत नहीं हुई तो नोटिस की जरूरत भी नहीं होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--मुझे आपकी सेवा में यह निवेदन करना है कि मंत्री महोदय को अगर ठीक जानकारी हो तो वह उसके बारे में अपना वक्तव्य दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--किस बारे में वक्तव्य ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--जो गांव उस पानी की डूब मे आये हैं उन गांवों को दूसरे क्षेत्रों में बसाने के लिये और उनकी हानि पूर्ति के लिये क्या हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--उसमें सूराख किया गया है जिससे पानी निकल रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ बोरिंग की गई है जिससे पानी निकल रहा है। तो यह अस्पष्ट है। वह कृपया बतलायें कि कैसे और कहां से यह पानी निकल रहा है और इसका किस प्रकार से प्रबन्ध हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल--उसका जो डिजाइन है उसमें ऊपर से पानी आता है। तो उसी पानी के प्रेशर को रिलीज करने के लिये हर जगह यह सूराख किये जाते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जब माननीय मुख्य मंत्री और माननीय निर्माण मन्त्री वहां गये थे और इन लोगों ने स्वयं जाकर रिहन्ड डैम देखा था तो क्या उनको इस बात की सूचना है कि प्रत्येक घंटे १,२०० गैलन पानी वहां निकल रहा है और इंजीनियरों की राय में यह खतरनाक बात है ?

श्री गिरधारीलाल—मैंने शुरू में ही कह दिया कि इस प्रकार का कोई क्रैक या दरार नहीं है जिससे कि १,२०० गैलन पानी निकलता हो ।

श्री उपाध्यक्ष—आप इसका भी उत्तर दे दें कि मौके पर लोगों ने आपका ध्यान आकर्षित किया था ।

श्री गिरधारीलाल—मैं भी गया था और मुख्य मंत्री जी भी गये थे, लेकिन वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मेरा एक निवेदन सुन लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—निवेदन नहीं, आप प्रश्न पूछिये ।

श्री उग्रसेन—यदि माननीय मंत्री जी के पास पूरी सूचना होती तो अच्छा होता, लेकिन . . . .

श्री उपाध्यक्ष—पूरी सूचना है, लेकिन वह कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है ।

श्री उग्रसेन—दो बरस पहले भी जब इस प्रकार की दरार पड़ गयी थी तो अखबार वालों ने और नागरिकों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था और उस समय भी कह दिया गया था कि कुछ नहीं है । अब वह बहुत बड़ी हो गयी है और इंजीनियर लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वह बन्द हो जाय, लेकिन वह बन्द नहीं हो रही है और माननीय मंत्री जी इस तरह से उस बात पर पर्दा डाल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—इस प्रकार के शब्द आपको कहना नहीं चाहिये । लेकिन मंत्री जी उत्तर दे दें ।

श्री गिरधारीलाल—दो बरस पहले कोई इत्तला नहीं थी । लेकिन मैं बार-बार कह रहा हूं कि वहां कोई दरार नहीं है और न कोई क्रैक है और न किसी बात पर हम पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या यह सत्य नहीं है कि ब्लाक नम्बर ३८ में एक ऐसी दरार पड़ गयी है कि जिसमें १,२०० गैलन पानी प्रति घंटे की दर से निकल रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—वह तो कह चुके कि ऐसा नहीं है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय मंत्री जी तथा दूसरे सदस्यों के कथन सुन कर हम तो बड़ी घबराहट में हैं । मैं यह चाहता हूं कि आप कृपा कर माननीय सदस्यों से यह पूछें कि उनको यह सूचना कैसे मिली है कि वहां दरार पड़ गयी है और पानी निकल रहा है ताकि मामले पर कुछ रोशनी पड़ सके ।

श्री उपाध्यक्ष—सोर्स आफ इन्फार्मेशन आगे मिलेगा नहीं ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी कल के जो प्रमुख अखबार हैं, जिनके प्रथम पेज पर यह लिखा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इसकी फिर जांच कराने की कृपा करेंगे कि कहीं ऐसी दरार पड़ तो नहीं गयी है ?

श्री गिरधारीलाल—मैंने सुना कि बनारस के किसी अखबार में इस प्रकार की न्यूज है, लेकिन जैसा मैंने बतलाया यह बात निर्मूल है और इसमें कोई तथ्य नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना पाने के बाद क्या आपने मौके पर टेलीफोन करके या और किसी तरह से पता लगाया है या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल—मैंने पता लगाया है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—जिस अखबार ने यह खबर छापी है, चूंकि रिहन्द बांध हमारी एक ऐसी चीज है कि जिसके बारे में शक भी हो तो अनर्थ हो सकता है, इसलिये क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी उसके खिलाफ इस गलत खबर को छापने के लिये कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—मैं उसका कंट्रेडिक्शन करता, लेकिन वह यहां पर हो गया । इसमें मैं इससे ज्यादा क्या करूं ?

श्री गौरी शंकर राय (जिला बलिया)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री और मुख्य मंत्री जी उस स्थान पर ब्लाक नं० ३८ में देखने गये थे अभी हाल ही में जहां कि यह दरार हुई बतलायी जाती है ?

श्री गिरधारीलाल—नहीं, हम इस प्रकार की कोई चीज देखने नहीं गये थे । अखबार में यह निकला था कि हम बांध देखने जा रहे हैं और बांध चूंकि पूरा होने जा रहा है इसलिये उसे देखने की जरूरत थी और इसलिये हम लोग उसे देखने गये थे ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—अब मैं आइटम ९ के संबंध में सदन को सूचना देना चाहता हूं ।

मैं सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी २५ अगस्त, १९६० की बैठक में यह निश्चय किया कि निम्नलिखित विधेयकों के सामान्य विवाद, खंडशः विचार तथा पारण के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय—

मिनिमम वेजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०	.. २ घंटे ।
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६०	.. ५ घंटे ।
उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६०	.. ५ घंटे ।
मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक १९६०	.. ५ घंटे ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन् मैं बिजिनेस एडवाजरी कमेटी के इस निश्चय के सिलसिले में इतना कहना चाहता हूं कि यह फिर से उसके पास भेज दिया जाय क्योंकि मिनिमम वेजेज ऐक्ट के लिये बहुत कम समय है ।

श्री उपाध्यक्ष—अभी तो मैं सूचना दे रहा हूं। आगे सतर्क रहियेगा ।

***समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)**—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्थापित समय के बटवारे को स्वीकार करे ।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि मिनिमम वेजेज बिल के लिये थोड़ा समय रखा गया है इसलिये इसको फिर से बिजिनेस एडवाजरी कमेटी के विचारार्थ भेज दिया जाय कि वह फिर विचार करके समय निर्धारित करे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मेरा निवेदन है कि कार्य-मंत्रणा समिति का मैं भी सदस्य हूं। वहां भी मैंने कहा था कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर कम से कम दो-तीन दिन तक बहस होनी चाहिये और इतना न हो तो एक दिन तो हो। लेकिन इसके लिये सिर्फ २ ही घंटे समिति ने दिया। यह मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि इसमें मिनिमम वेजेज ऐक्ट के साथ उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक आदि टैक्सेशन से संबंधित विधेयक भी हैं जिन पर विचार के लिये बहुत कम समय दिया गया है। मेरा निवेदन है कि कम से कम टैक्सेशन के मामले में तो ज्यादा समय सदन को विचार के लिये मिलना चाहिये। इसलिये टैक्सेशन के मामले वाले विधेयकों को पुनः विचार के लिये बिजिनेस ऐडवाइजरी कमेटी को भेज दिया जाय कि वे इस पर थोड़ा सा समय और दें।

श्री उपाध्यक्ष—श्री गेंदा सिंह जी, आपके प्रस्ताव में यह और संशोधन करना चाहते हैं। आपने केवल मिनिमम वेजेज ऐक्ट के लिये कहा है, यह सभी बिलों के लिये कहते हैं। आप इसको स्वीकार करते हैं कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट के साथ-साथ यह भी रख दिये जायं।

श्री गेंदासिंह—मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है अगर वह फिर से विचार कर लें। मैं समझता हूं उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैं इसको स्वीकार नहीं करता। बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में इस पर काफी देर तक विचार हुआ था और विशेषकर जो यह मिनिमम वेजेज ऐक्ट है उस पर, किन्तु चूंकि इसमें केवल विधेयक के १ वर्ष अवधि बढ़ाने की बात है इसलिये इस पर ज्यादा समय की आवश्यकता समझ में नहीं आती। दो घंटे में विचार हो सकता है।

श्री गेंदासिंह—मैं आपकी आज्ञा से उनसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं। मैं इस पर इस वक्त तो विवाद नहीं कर सकता कि उसका महत्व क्या है लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि लाखों मजदूरों की मजदूरी से वह ताल्लुक रखता है। उस पर २ घंटे में विचार कर लेना बहुत अपर्याप्त है। इसलिये इसको बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के पास पुनः भेजना जरूरी है। एक बात का ध्यान माननीय आचार्य जी और करें कि इस समिति का निर्णय सर्वसम्मति से आता है।

श्री उपाध्यक्ष—हि वप लोग शायद पार्टीज को कंसल्ट नहीं करते। मेरी यह सूचना है कि सर्वसम्मति से इसको रखा गया है।

श्री गेंदासिंह—यही तो मैं कह रहा हूं कि इसका फैसला बदलता नहीं है और इसीलिये हम इसको फिर से बिजनेस ऐडवाजरी कमेटी के विचारार्थ रिफर कर देते हैं। इसमें हमारी परेशानी को भी उन्हें थोड़ा-सा समझना चाहिये। मैं जानता हूं कि वह जो चाहेंगे वह पास तो होगा ही लेकिन हम तो केवल कहने का हक चाहते हैं। इसलिये मेरी उनसे प्रार्थना है कि इसको फिर से बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में जाने दें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, मैं यह समझ रहा था कि इस पर वहां बहुत विचार किया गया था। मैं माननीय गेंदा सिंह जी से यह कहना चाहूंगा कि इसमें केवल प्रश्न इतना-सा है कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट में जिसकी अवधि अब समाप्त हो जायगी उसको १ वर्ष बढ़ा दिया जाय। तो इसमें कहीं भी कोई विवाद की बात नहीं है। गेंदा सिंह जी का इस पर बहुत ज्यादा जोर है और दूसरे सभी माननीय सदस्य इससे सहमत हैं तो फिर मैं उनसे दोबारा निवेदन करता हूं कि ज्यादा विवाद की जरूरत नहीं है और अब बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के सामने दूसरा बिजनेस आ गया है। अभी माननीय स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

का भी एक दूसरा विधेयक इस सदन में आयेगा और उसके लिये भी १० दिन का समय देना पड़ेगा। इसलिये मैं माननीय गेंदा सिंह जी से यह निवेदन करूंगा कि वे इस पर फिर से विचार कर लें। यदि ऐसा ही है तो वे ऐसा कर लें कि एक-एक घंटा और विधेयकों के समय में से काट लें और इसमें वह समय दे दें....

श्री उपाध्यक्ष---अगर ऐसा होगा तब तो यह सभी कार्य-मंत्रणा समिति को वापस भेजना पड़ेगा। अगर आप आपस में कोई समझौता कर लें तो ठीक है।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, इसको जरूर वापस जाना चाहिये और इस पर विचार होना चाहिये।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)---श्रीमन्, यह मिनिमम वेजेज बिल कौन जीकी है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, यह क्या बात है। श्रीमन्, आपके होते हुए, यदि आपके द्वारा विदेशी भाषा का प्रयोग हो, तो यह उचित नहीं मालूम पड़ता।

श्री उपाध्यक्ष---मिनिमम वेजेज, यह बिल का नाम है। आप चाहें तो इसको निम्न वेतन पारिश्रमिक विधेयक भी कह सकते हैं।

प्रश्न यह है कि मिनिमम वेजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० को पुनः विचार के लिये कार्य-मंत्रणा समिति को भेज दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में ---४९,

विपक्ष में---१०१।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रख्यापित समय के बटवारे को स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

भू-स्वामियों को उनके खेतों की सूची देने तथा लेखपालों के खसरे में काबिज दर्ज करने के अधिकार को समाप्त करने के संबंध में संकल्प* (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष---अब माननीय रामचन्द्र विकल के प्रस्ताव पर माननीय ब्रजनारायण तिवारी का भाषण जारी रहेगा। वह ५ मिनट बोल चुके हैं, १० मिनट अभी समय है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव विकल जी का केवल ३ चीजों से संबंधित है। इनका प्रस्ताव यह है कि इस प्रदेश के जो खेतिहर हैं, कृषक हैं उनके अधिकार अस्थायी हैं उनको स्थायी करने के लिये, उनके खेतों का जो रकबा हो उसकी एक सूची मुस्तकिल तौर पर उनको दे दी जाय। मंत्री जी ने कहा था कि इस प्रकार व्यवस्था करने से सरकार का खर्चा बढ़ जायगा। मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष जो खसरा और खतौनी लिखी जाती है और काफी पैसा खर्च होता है और हर साल इतना कागज खर्च होता है उससे कम में मुस्तकिल तौर पर किसानों को वह सूची दी जा सकती है और कोई विशेष खर्चा सरकार का नहीं होगा।

---

* १२ अगस्त, १९६० की कार्यवाही से।

इसके साथ ही एक और उनका प्रस्ताव है कि कैफियत के खाने में जो कब्जा लिखने का अधिकार लेखपाल को दिया गया है उसको समाप्त कर दिया जाय। किस प्रकार आज भूमि एक के कब्जे से दूसरे के कब्जे में उठायी जा सकती है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज सरकार ने कानून के द्वारा किसानों को अपनी भूमि उठाने पर रोक लगा दी है, उसके कारण किसानों में श्रेणियां बनती हैं और उन श्रेणियों के आधार पर आज किसान बेदखल हो रहा है, झगड़ों में फंस रहा है। जो आपसी समझौता था उसके विरुद्ध यह कानून है जिससे काफी असंतोष, बेईमानी और मुकदमेबाजी बढ़ रही है। शायद रूलिंग पार्टी के अधिकांश मेम्बरों की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया है, जो यह महसूस करते हैं कि देहात में जब तक लेखपालों के अधिकारों में बुनियादी परिवर्तन नहीं होगा, जब तक भू-स्वामियों के अधिकारों में परिवर्तन न होगा, तब तक किसानों को राहत न मिलेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज देहात की स्थिति इस प्रकार की है कि लेखपाल किसी को भी कैफियत के खाने में काबिज लिख देता है और उपाध्यक्ष महोदय, आजकल काबिज को ट्रेसपासर कहते हैं। उसकी मंशा यह होती है कि बिना किसी अधिकार के दूसरे ने दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस प्रकार का कब्जा ही सब बुराइयों की जड़ है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निम्न प्रकार से भूमि उठायी जाती है। लगान पर जो भूमि उठायी जाती है उसको शिकमी कहते हैं। जो पहले शिकमी इन्दराज होता था उस को अब शिकमी नहीं कहते हैं। किसान अगर लगान पर भूमि उठाये तो शिकमी जरूर दर्ज होना चाहिये और जो लगान पर खेती को उठाता हो उसको वापस नहीं मिलनी चाहिये। जिसको लगान पर भूमि उठायी गयी है, भूमि उसी के हक में हो जानी चाहिये। दूसरे प्रकार से भूमि जो उठायी जाती है वह एक खास रकम पर उठा दी जाती है। रकम बांध दी जाती है कि एक एकड़ में एक मन या दो रुपया निश्चित रूप से लिया करेंगे और बाकी तुम ले लिया करो। उसको श्रीमन्, हुण्डा कहते हैं। तीसरे प्रकार से जो उठायी जाती है उसमें पैदावार का हिस्सा तय हो जाता है। इसको बटाई कहते हैं। एक और प्रकार से उठायी जाती है और वह रुपये की सूद के एवज में और उसमें जमीन बंधक के तौर पर रखी जाती है। कर्ज के एवज में नहीं बल्कि सूद के एवज में उठाते हैं। सोचते हैं कि जब हालत अच्छी होगी तो रुपया देकर खेत वापस ले लेंगे।

(इस समय १२ बजकर २७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचन राम गुप्त, पीठासीन हुए।)

इसके अलावा भूमि सेवा कार्य के लिये या अन्य प्रकार से भी उठायी जाती है उसको हलवाही कहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जो मजबूत आदमी हैं वे अपनी भूमि पर दूसरे का कब्जा नहीं लिखने देते लेकिन जो कमजोर आदमी हैं उनके खेतों पर दूसरे बली लोगों का, प्रभावशाली लोगों द्वारा कब्जा लिखा लिया जाता है। अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस सरकार की नीयत पर शुबहा है। वह बिल पेश करती है और कहती तो कुछ है लेकिन उसकी अन्त में किसानों को तबाह करने की ही नीयत होती है। उसकी नीयत ऐसी नहीं है कि किसान खुशहाल रहें। लेकिन उस सरकारी पक्ष के वे लोग जो गांवों से आते हैं वे अच्छी तरह से इस बात को महसूस करते हैं कि लेखपालों को अधिक अधिकार दिये हुए हैं। ऐसे अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये कि जिसको चाहे जिस खेत पर काबिज लिख दें और उसको मुकदमे में फंसा दे। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन कर देना चाहता हूं और आपकी आज्ञा चाहता हूं एक दो धारा पढ़ने की कि किस प्रकार से इस सरकार ने भूमि को उठाने की छूट दे रखी है।

श्री अधिष्ठाता—आप क्या पढ़ना चाहते हैं?

श्री ब्रजनारायण तिवारी—मैं जमींदारी अबोलीशन ऐक्ट की धारा १५५ पढ़ना चाहता हूं। वह इस प्रकार है—

"*Mortgage of land by a Bhumidhar*—No *bhumidhar* shall have the right to mortgage any land belonging to him as such where possession of the mortgaged land is transferred or is agreed to be transferred in future to the mortgagee as security for the money advanced or to be advanced."

इसका मतलब यह है कि सीरदार अपनी भूमि को रेहन नहीं करेगा। भूमिधर अपनी भूमि को रेहन कर सकता है लेकिन कब्जा सहित रेहन नहीं कर सकता। वह बेच सकता है लेकिन कब्जा सहित रेहन नहीं कर सकता। दोनों के अधिकारों में यही फर्क है। हमारे सूबे में सीरदार किसानों की संख्या अधिक है। अगर वह सीरदार रेहन कर दे या अपनी आराजी उठा दे तो आराजी उठाने का अधिकार जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की धारा १५७ के मुताबिक दिया गया है। धारा १५७ में कहा गया है —

"*Lease by a disabled person*—(1) A *bhumidhar* or a *sirdar* or an *asami* holding the land in lieu of maintenance under section 11, who is an unmarried woman, or if married, divorced or separated from her husband or whose husband suffers from any of the disqualifications mentioned in clauses (*c*) or (*d*) or a widow ;"

मैं ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता हूं लेकिन इसमें कुछ शर्तें दी गयी हैं कि इस प्रकार के लोग अपनी भूमि उठा सकते हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी फौज में नौकरी करता है जो इस प्रदेश का है, उसे तो अधिकार है अपनी भूमि उठाने का लेकिन जो लोग विदेशी सत्ता से लड़ाई लड़ कर सरकार को इस जगह पर बैठाये हैं उन पोलिटिकल सफरर्स को अपनी जमीन उठाने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया है? अगर किसी की साझेदारी हो, मुश्तर्का खाता हो तो भी वह इस कानून के द्वारा अपनी आराजी नहीं उठा सकता है और न बेच सकता है। कानून में लिखा हुआ है कि नाबालिग, विधवा आदि ऐसे लोग अपनी भूमि उठा सकते हैं लेकिन मुश्तर्का खाते वाला अपना खेत उठावेगा तो वह बेदखल हो सकता है और फिर बेदखल होने पर उसे कोर्ट में जाकर मुकदमा लड़ना पड़ेगा तब कहीं जाकर उसका कब्जा खेत पर हो सकेगा। तो इस तरह से काबिज इन्तकाल की बात जो इसमें रखी गयी है वह निहायत गलत है और इससे किसान का कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैंने भूतपूर्व माल मंत्री जी को इस सम्बन्ध में बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वे मेरी बात नहीं माने। मुझे उम्मीद है कि वर्तमान माल मंत्री जी इसको समझेंगे कि इससे सरकार का कोई नुकसान नहीं होगा और इस तरह से उनको मेरी बात मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्रीमन्, आगे चलकर जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की धारा १८६ में दिया हुआ है कि किस प्रकार के खेत छोड़े हुए माने जायंगे और आपकी इजाजत से मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं—

"*Abandonment*—(1) Where a *sirdar* (other than a minor, lunatic or idiot) or *asami* has not used his holding for a purpose connected with agriculture, horticulture or animal husbandry which includes pisciculture and poultry farming for two consecutive agricultural years...."

मैं पूछना चाहता हूं कि इस चीज को आपने जमींदारों के लिये क्यों नहीं लागू किया? क्या किसान ही इस प्रदेश के अन्दर सब से बड़े गुनहगार हैं?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—श्रीमन्, यह इर्रेलिवेंट है।

श्री अधिष्ठाता—उन्होंने खत्म कर दिया।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—मैं कह रहा था कि सीरदारों के लिये यह तलवार रखी हुई है कि अगर वह अपनी आराजी को इस तरीके से उठावें जो कृषि कार्य में निहित न हो

तो उसे छोड़ा हुआ मान लिया जायगा। आज तक इस प्रदेश में कहीं भी कैफियत के खाने में साझेदारी या अन्य छोड़ी हुई जमीन दर्ज नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जिस विचार से यह प्रस्ताव इस सदन के समक्ष रखा गया, वह विचार और वह उद्देश्य श्रीमन्, प्रशंसनीय है। हमारे सामने जो प्रश्न इस प्रस्ताव के द्वारा उपस्थित किया गया है वह सबसे पहले यह है कि भू-स्वामियों के अधिकारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिये उनके क्षेत्रों का पूरा इन्तखाब उन्हें दे दिया जाय। बहुत ठीक है, लेकिन प्रस्तावक महोदय या उनके समर्थक जरा इस बात पर ध्यान दें कि जिस दिन यह कार्य प्रारम्भ होगा, उस दिन सारे प्रदेश में और सारे राज्य में अदालतें भर जायेंगी। मुझे इस बात को कहते हुए दुख होता है मगर असलियत यह है कि एक-एक इन्तखाब के ऊपर दस-दस आपत्तियां होंगी। खेद की बात है कि इस समय जहां पर भी चकबन्दी चल रही है वहां पर अक्सर यह भी हुआ है कि एक-एक खाते के सम्बन्ध में दस-दस व्यक्ति उठ खड़े हुए हैं जिन्होंने दावे किये हैं कि अमुक खेत हमारा व हमारे कब्जे में है। नाम एक का दर्ज है और दावेदार दस हैं। क्या प्रस्तावक महोदय ने इस बात पर भी विचार किया कि अगर इस तरह के इन्तखाब जारी किये जायंगे तो कितने मुकदमे अदालतों में पहुंच जायंगे जिनमें इन्तखाब पर आपत्ति उपस्थित हो जायगी।

यह एक ऐसा प्रस्ताव है कि जिसके स्वीकार होने पर डर है कि कदाचित् आपस के दबे हुये झगड़े उठ खड़े होंगे और वही स्थिति सामने आयेगी जो चकबन्दी के समय में आया करती है। इससे मैं सहमत हूं कि गलतियां हैं लेकिन गलतियों को दूर करने का तरीका यह है या नहीं, इस पर हमें विचार करना चाहिये। मैं इस आकांक्षा का विरोधी नहीं हूं कि हमारे ग्रामपत्र शुद्ध हो जायं लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि हमारे ग्राम लेख अशुद्ध हैं तो दुःख इस बात का है कि आज हमारा किसान भी सच्ची बात लेकर अदालत या अधिकारियों के समक्ष उपस्थित नहीं होता है। हम क्या अनुमान लगायें उन व्यक्तियों के बारे में जो चकबन्दी के समय एक-एक खेत के सम्बन्ध में दस-दस आपत्तियां पेश करते हुए अदालत इब्तदाई से सेटिलमेंट आफिसर और डायरेक्टर आफ कन्सालिडेशन तक जाते हैं? इससे उनको एक अवसर मिलेगा जो बेईमानी करना चाहते हैं कि वह आपत्तियां पेश करें और गांव में झगड़े पैदा हों।

दूसरी बात इस प्रस्ताव में यह कही गई है कि खसरे के कैफियत के खाने में काबिज लिखने के लेखपाल के अधिकार को समाप्त किया जाय। इस सम्बन्ध में यह कहते हुए हमें दुख है और यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे लेखपाल इस सम्बन्ध में बहुत गलतियां करते हैं। फर्जी इन्दराज होते हैं, यह मैं भी मानता हूं। उनकी रोकथाम के लिये सरकार की तरफ से एक नियम जारी हुआ जिसको पी० १० की कार्यवाही कहते हैं। उसके अनुसार लेखपाल का कर्तव्य होता है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम खाता में दर्ज हो या जो व्यक्ति पूर्व वर्ष में काबिज हो और उसके अलावा या उसके अतिरिक्त कोई और आदमी काबिज पाया जावे तो उसका कर्तव्य होता है कि वह पहले जानकारी प्राप्त करे और उसके बाद पी० १० का फार्म भरे और उसकी एक प्रति खाते में दर्ज नाम वाले को दे और दूसरी दावेदार को दे जिसका कि कब्जा है और इस सम्बन्ध में नोट अपनी डायरी में लिख ले कि अमुक तारीख को अमुक आदमी को फार्म पी० १० की प्रति दी। तो इस तरह से इन्तखाब दोनों को देना पी० १० के अनुसार लाजिमी है। परन्तु इतने पर भी दुख है कि डायरी में इन्दराज गलत होते ह और बहुत से ऐसे व्यक्ति ह जो अदालतों में आकर कहते हैं कि हमें पी० १० नहीं मिला और जो हस्ताक्षर पटवारी के पास हैं वह जाली हैं, इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। कदाचित् सरकार इस पर विचार करना उचित समझे कि पी० १०

[श्री मदन मोहन]

का जब इन्दराज उसकी डायरी में हो तो लेखपाल उसकी सूचना तहसीलदार को भी दे और तहसीलदार अगर आवश्यक व उचित समझे तो उभय पक्ष को बुला कर इस बात की जांच कर ले। ऐसी बात अगर हो जाय तो संभव हो सकता है कि यह शिकायत जो होती है कि पी० १० में या डायरी में जो इन्दराज होते हैं वह गलत होते हैं, उसका कदाचित् निराकरण हो सके। परन्तु यह कहना कि लेखपाल कभी खसरे में इसका इन्दराज ही न करे, तो माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन होगा कि इस पर विचार करें कि हमारे प्रदेश की भूमि पर किसका कब्जा है या किसका कब्जा नहीं है यह जानना सरकार के लिये या किसी के लिये अत्यन्त असम्भव हो जावेगा। यह, उस शख्श को जान लेना कि किसका नाम दर्ज है, अत्यन्त आवश्यक है और पटवारी का यह काम सदैव रहा है। अगर पटवारी मौके पर जाकर उस व्यक्ति को काबिज न पाये जिसका नाम खाते में दर्ज है तो उस लेखपाल के लिये क्या कार्यवाही करनी होगी, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। उससे अधिकार तो छीन लिया गया है किन्तु सही कब्जा अंकित करने का काम दिया किसको जाय, यह नहीं बताया।

अब आगे कहते हैं कि "काबिज लिखने में भू-स्वामी तथा गांव सभा की स्वीकृति अनिवार्य हो।" अब यहां पर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि क्या गांव सभा में इतना विश्वास है हमारे जन-समुदाय को कि गांव सभा के सामने यह विषय पहुंचे और वह फैसला करे, मैं जानना चाहता हूं। गांव सभा अभी तक प्राधिकृत नहीं है कि वह ग्राम लेखपत्र लिखें और रखें। अगर हमारे मित्र चाहें तो ऐसा हो सकता है कि प्रस्ताव रखें कि ग्राम लेखपत्र सब गांव सभा या गांव पंचायत के अधीन रहें। बात कुछ समझ में आ जायगी। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि गांव पंचायत पर हमारा विश्वास नहीं है हमने जो पहले पंचायतों को अधिकार दिये थे म्यूटेशन के, वह तो हमने छीन लिये। जो तरीका वहां बरता जा रहा है उसको हमने देख लिया। हमारा ऐसा विचार है कि जो यहां पर प्रस्ताव रखा गया है कि गांव सभा की स्वीकृति ली जाय, इस प्रस्ताव से जो ग्राम लेखपत्रों में अशुद्धियां हैं उनका निराकरण हो जायगा या जन-समुदाय या किसानों को संतोष हो जाएगा, ऐसी आशा नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि जो यहां पर प्रस्ताव रखा गया है कि गांव सभा और भू-स्वामी की स्वीकृति ही लेकर काबिज का इन्दराज किया जाय, यह सन्तोषजनक नहीं है।

इसके अतिरिक्त अंतिम बात मुझे यह कहनी है कि जिस व्यक्ति का कब्जा है उसके सम्बन्ध में तो यहां नहीं कहा जाता कि उससे भी पूछा जाय, केवल कहते हैं कि अगर भू-स्वामी और गांव सभा अपनी स्वीकृति दे दे तो ही काबिज का नाम दर्ज हो। यह तो गलत चीज है। इस वास्ते कि कब्जा तो मेरा है और स्वीकृति इन्दराज की ली जाय उसकी जिसका नाम कि ग्राम के लेखपत्रों, खाते से खारिज होना है, तो वह कैसे अनुमति देगा? जिसका नाम खाते में दर्ज है उसका कब्जा न होते हुए भी वह स्वीकृति कैसे देगा? वह तो केवल उस दशा में राजी हो सकता है जब कि दोनों तरफ में कोई कंट्रेक्ट हो, कोई समझौता हो। समझौते के बाद ही भू-स्वामी कह सकता है कि हां, हमारा समझौता है, कब्जा शिकमी को दिया है या हमारे साझीदार को। अगर समझौता होने के बाद भू-स्वामी उसके विरुद्ध हो गया और इन्कार किया तो क्या स्थिति होगी? तो मेरा कहना है कि जिस प्रकार से यह प्रस्ताव रखा गया है इसके पीछे जो उद्देश्य है, जो इच्छा है, जो प्रस्तावक चाहते हैं यद्यपि वह प्रशंसनीय है, अभिप्राय प्रशंसनीय होते हुए भी हम उस उद्देश्य की पूर्ति इस सुझाव द्वारा नहीं कर पायेंगे कि जिस उद्देश्य की पूर्ति प्रस्तावक महोदय चाहते हैं। मेरा निवेदन यह होगा कि पी० १० के सम्बन्ध में कदाचित् एक और नियम बनाया जा सकता है कि उसकी प्रति तहसीलदार के समक्ष उपस्थित की जाय तो यदि चाहे तो उभय पक्ष को बुला करके इसके सम्बन्ध में जांच कर ले। इससे प्रस्तावक महोदय का उद्देश्य पूरा हो जायगा ऐसा मेरा विचार है।

*श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संशोधन का अंशों में विरोध करूंगा और कुछ समर्थन भी करूंगा। आज मैं देखता हूं कि भू-स्वामियों की जो खतौनियां होती हैं, नाम दर्ज होते हैं, खाते दर्ज होते हैं और जहां उनके अधिकार दर्ज होते हैं उसमें लेखपाल ने मेरा अनुभव है लगभग १६ साल से कोई भी इन्दराज, अपनी कलम से नहीं काटा क्योंकि उसको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जैसा वर्मा जी ने कहा कि अगर उसको खाते के इन्तखाब दे दिये गये तो बवंडर खड़ा हो जायगा। वह कब्जे की बात है, खतौनी की नहीं। खतौनी के अधिकारों को लेखपाल कभी खत्म नहीं करता है। तो माननीय रामचन्द्र विकल जी ने जो प्रारम्भ में लिखा है कि भू-स्वामियों के अधिकारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिये, उसके अधिकारों को कभी लेखपाल खत्म नहीं कर सकता है और न किया है। ऐसी सूरत में ऊपर की पंक्ति बिलकुल बेकार है। इस प्रस्ताव से उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जो माननीय मदन मोहन जी कह रहे थे कि इससे झगड़े पैदा हो जायंगे, ऐसा नहीं है। वर्मा जी मान रहे हैं कि कब्जे के द्वारा झगड़े पैदा होते हैं। वास्तव में खसरे में झगड़े खड़े होते हैं। उनके राइट्स जहां हैं वहाँ झगड़े कभी पैदा ही नहीं होते। आज हम देखते हैं कि लेखपाल को अधिकार दिया गया, सरकार ने माना कि लेखपाल और पटवारी खसरे में गलतियां करते हैं, उस पर प्रतिबन्ध लगाया और जैसा वर्मा जी कह रहे थे पी० १० एक फार्म बना दिया, उसके अनुसार जिसका खेत है उससे पूछा जायगा, अपनी डायरी में नोट करेगा। तो जब सरकार सोचती है कि लेखपाल गलती करता है इसीलिये पी० १० लगाया। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि पी० १० के बाद से बिलकुल गलतियां होना बन्द हो गईं। कम जरूर हुईं, लेकिन बिलकुल बन्द नहीं हुईं।

जिन काश्तकारों ने १० गुना दाखिल कर दिया उनको अधिकार बयनामा करने का मिल गया। मेरे खयाल में १० गुना उन्हीं लोगों ने जमा किया जिनकी जमीनें झगड़े में थीं और उन्होंने बयनामा कर दिया। जो कब्जा किये था वह बेचारा बिना किसी चिन्ता के जोत रहा था। जिन लोगों ने बयनामे कराये उन लोगों ने लेखपाल से साठगांठ की और कहा कि जो काबिज है उसका कब्जा काट दिया जाय और मेरा नाम लिख दिया जाय। इस तरह १, २ साल निकाल दिये गये और कब्जे के लिये तैयारी करते थे। इसीलिये पी० १० बनाया, जिस से गलत इन्दराज के तरीके को रोका जा सके। आज हम देखते हैं जिन्होंने जमीनों पर कब्जा किया था वह काबिज हैं लेकिन पी० १० के पहले ऐसे बहुत से बयनामे हुए कि जो काबिज थे उनकी मुकदमेबाजी हुई और बीसों आदमी मारे गये। खसरे में काबिज लिखने और न लिखने का अधिकार जो है वह ठीक होना चाहिये। ये गलतियां सुधरती चली जा रही हैं। जहां तक खसरे में काबिज और गैर-काबिज लिखने की बात है जिसके द्वारा पता चलता है कि अमुक व्यक्ति का कब्जा है और अमुक का नहीं तो लेखपाल का यह अधिकार है, वह बदस्तूर कायम रहे। भू-स्वामी से तो कभी भी स्वीकृत नहीं होगी। भू-स्वामी ने कब्जा माना नहीं कि वह उसका सीरदार हो जायगा।

ऐसे ही गांव समाज में गड़बड़ियां होती हैं। आये दिन शिकायतें भी होती हैं कि फलां प्रधान गड़बड़ियां कर रहा है। गांव समाज खुद अपनी सम्पत्ति को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। कोर्ट फीस न दाखिल करने से सैकड़ों एकड़ जमीन गांव समाज से निकल गयी। धर्मपुर, बैरोना आदि कितने ही ऐसे गांव समाज हैं जो अपनी सम्पत्ति सुरक्षित नहीं रख सके। गांव समाज की स्वीकृति के बिना खसरे में काबिज की जो बात कही गयी है वह समझ में नहीं आती। भू-स्वामी किसी भी कीमत पर अपनी स्वीकृति नहीं देगा। लेखपाल कब्जा लिखे और गिरदावर कानूनगो उसका वेरिफिकेशन करे कि वह कब्जा ठीक है या नहीं और अन्तिम फैसला गिरदावर कानूनगो मौके पर आकर करे कि जिन्होंने पहले साल कब्जा किया है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हिम्मत सिंह]

उनका ही नाम दर्ज है या नहीं और जिसका कब्जा हटा है उसको देख लें। ऐसा करने में फिर कोई संशय नहीं रह जाता।

इस संशोधन से मेरी समझ में कुछ नहीं आया। वह चाहते हैं कि अधिकार सुरक्षित रहे तो वह खतौनी में अपनी जगह सुरक्षित है। अगर लेखपाल कुछ गड़बड़ी करेंगे तो सजा काट जायंगे। इन कारणों से मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। इसमें यह एक संशोधन होना चाहिये कि मौके पर जाकर गिरदावर कानूनगो देखे कि यह कब्जा हुआ है या नहीं। मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

*श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प आज उपस्थित किया गया है, उसके उद्देश्य पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे प्रदेश में जितने भी लोग भू-सम्पत्ति रखते हैं उनकी मनोदशा अस्थिर है, जिसके कारण वह अपने खेतों में ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं और उत्पादन में जैसी दिलचस्पी लेनी चाहिये नहीं ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ उनको नित्य अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह भी स्पष्ट है और किसी से छिपा नहीं है कि हमारे प्रदेश में एक सिद्धान्त मान कर कि भूमि पर उसी का अधिकार होना चाहिये जो उसको जोते और बोये और उसके लिये एक कानून का निर्माण किया गया है जिसके द्वारा खेत जोतने वाले का अधिकार कानूनन जायज ठहराया गया। बहुत से लोगों की दृष्टि में यह उचित था लेकिन मेरी दृष्टि में और मेरे समान अनेकों की दृष्टि में यह अनैतिक कानून था यह परम्परागत समझौते को तोड़ने वाला कानून था। देहातों में भूसम्पत्ति वालों तथा भूमिहीन लोगों में एक सहयोग की भावना चली आती थी और भूमिहीनों को जब कोई रोजी नहीं मिलती थी तो वह जाकर भू-सम्पत्ति वालों से थोड़ी सी जमीन लेकर अपनी गुजर निर्वाह करते थे। लेकिन इस चीज को कानून बनाकर नाजायज करार दे दिया गया।

सारे प्रदेश के भीतर गांव-गांव में झगड़े पैदा हुए और लाभ सचमुच उनको हुआ जिन्होंने जमीन पर अपना अधिकार किसी प्रकार कर लिया था या उन लोगों को हुआ जिनके पास लाठी की ताकत थी या उनको हुआ जो पैसे की ताकत रखते थे और दूसरे के खेतों को जोतते थे उन्होंने लाठी के बल से या रुपया पैसा पटवारी को देकर अपना कब्जा पक्का कर रखा था। लेकिन जो गरीब थे, जिनका गुजारा होता था उनमें से बहुत थोड़े काश्तकारों को शिकमी से कोई हक या लाभ प्राप्त हो सका।

श्रीमन्, इसके दुष्परिणाम जरूर हुए हैं आज किसी भी गांव में चले जाइये और देखिये जिसके घर में कोई पढ़ा-लिखा नहीं है या कोई नौकरी करने वाला नहीं है या जिनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, आज बेरोजगारी की बीमारी से परेशान हाल है और दरवाजे दरवाजे धक्के खाते हैं और लोग उनको जमीन देने से इन्कार करते हैं। जो भू-सम्पत्ति वाले हैं, जिनके पास जमीन है उनकी मनोदशा क्या है? वह अपने खेतों पर काम करते हैं लेकिन डरते हैं कि कहीं हमारे खेत पर किसी का कब्जा न लिख दिया जाय। श्रीमन्, ऐसे किस्से होते रहते हैं और अपने ही गांव का एक किस्सा है। एक साहब की ३०० बीघे जमीन है। एक पटवारी से उनका झगड़ा हो गया। उसने छिपे छिपे १२५ बीघे जमीन पर दूसरे लोगों का कब्जा दिखा दिया। तीन साल बाद जिन लोगों के नाम पटवारी ने कागजात में दर्ज कर दिये थे वह कब्जा करने के लिये सामने आये। पुलिस का सहारा लिया गया और मामला हाई कोर्ट तक और रेवेन्यू बोर्ड तक गया और हजारों रुपये दोनों तरफ से खर्च हुए। अन्त में हासिल उन लोगों को हुई जिन्होंने पटवारी से साजिश करके अपने नाम फर्जी तौर पर दर्ज करा लिये थे। बहुत-सी अबलायें हैं जिनको आपने कानून में राहत दी थी। उनके खेत पर उनके पति जो जिन्दा थे उनके पहले शिकमी का नाम दर्ज था तो उनको कोई भी राहत इस कानून

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से नहीं मिल सकी। आज उत्पादन बढ़ाने की बात हो रही है। हमारा देश शर्म के मारे गड़ा जाता है। हमारा सारा गौरव लुप्त होने लगता है जब हम यह सोचते हैं कि हमारा राष्ट्रीय जीवन दूसरों के अन्न पर निर्भर करता है। लेकिन यह हम नहीं सोचते कि कौन से मूल कारण हैं जिन के कारण हमारा उत्पादन घट रहा है।

जब जमींदारी अबालिशन किया जा रहा था तो इसका मूल कारण यह बताया गया था कि टेनेन्सी पर परमानेंसी नहीं है। जमींदार जब चाहता है अपने काश्तकार को बेदखल कर देता है। इसलिए जमींदारी प्रथा तोड़ कर भूमि पर काम करने वालों का ऐसा स्वत्व स्थापित किया जाय जिससे परमानेंसी की भावना विद्यमान रहे और उसके आधार पर वह जमीन को निरन्तर जोतता रहे, खेत को बनाये और वह उसके हाथ से निकलने न पाये। जमींदारी खत्म की गयी लेकिन जिस मूल कारण को लेकर खत्म की गयी, क्या वह सिद्ध हो सका ? क्या सारे प्रदेश में जिन लोगों के हाथ में आज जमीन है वह आज अपनी जमीन पर अपना स्थायी अधिकार समझने को तैयार हैं ? क्या उनके मन में यह भावना है कि हमारे पास एक स्थायी सम्पत्ति है, जससे हमें सरकार की ओर से, राज्य की ओर से कोई भी काम न मिले तो हम अपने बच्चों की गुजर कर सकते हैं ? आज यह भावना लुप्त हो गयी है। आज हर आदमी के भीतर कौतूहल, बेचैनी और विकलता है। यह किसी भी राज्य और समाज के लिए खतरनाक बात है। एक व्यक्ति का वाकया है वह काफी समय से अपनी जमीन किसी को सुपुर्द करके कहीं चला गया और उसे साल-छः महीने लग गये और उसकी जमीन पर उस आदमी ने अपना नाम दर्ज करा लिया, जिसके सुपुर्द करके वह गया था, और उसके हाथ से वह जमीन निकलने लगी, क्या यह परेशानी दूर करने का हमारा कर्तव्य नहीं है ? जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसमें यह भावना निहित है। उसमें जो सब से पहला वाक्य है उसमें लिखा है कि भू-स्वामियों को प्रकारान्तर से सायत्व प्रदान करने के लिए उनके क्षेत्रों की सूची इन खातों उन्हें दे दिया जाय। भावना यही है कि भूमि पर स्थायित्व रहे। लेकिन भूमि पर स्थायित्व रखने के लिए क्या इंतखाब दे देना काफी है ? मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं।

फिर आगे यह कहा गया है कि पटवारी को इंदराज करने का अधिकार कैफियत के खाने में होगा है, उसको यह इन्दराज बिना भू-स्वामी और गांव सभा की स्वीकृति के, करने का अधिकार न दिया जाय। भू-स्वामी की स्वीकृति का मतलब तो सही मालूम होता है लेकिन गांव सभा की जो बात जोड़ी गयी है उसका कोई अर्थ नहीं मालूम होता। अभी हमारे वर्मा जी ने एक तर्क दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भू-स्वामी या किसी से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं। तहसीलदार निर्धारित कर दे, तहसीलदार दोनों पक्षों को बुलाकर इन बातों को करे। यह इस चीज को ज्यादा कम्प्लीकेटेड बनाना है। स्थायित्व प्रदान करने के लिए सब से सिम्पिल प्रासेस होना चाहिये, जिससे कम से कम खर्च में पूरी समस्या हल हो सके।

दूसरा सवाल है कि कोई किसी की जमीन पर कब्जा कैसे करता है ? अगर बिना स्वामी की मर्जी के कब्जा कोई कर लेता है, तो उसके निर्णय की आवश्यकता पड़ सकती है कि वह तहसीलदार किसी के यहां जाय। लेकिन क्या वर्मा जी को यह विदित नहीं कि बिना स्वामी की मर्जी के, बिना उसकी आज्ञा या समझौते के कोई भूमि को नहीं जोतता ? और जब एक बार वह जोत लेता है तो समझौता भंग करके और अपनी नीयत खराब करके उस पर काबिज होने की चेष्टा करता है। जो हमने कानून बनाया है उस कानून से उसको सहारा मिल जाता है। तो क्या यह एक बड़े ही दुख की बात नहीं है ? आपने जमीन की हदबन्दी निश्चित कर दी। आपने जमीदारी का विनाश कर दिया और आपने तरह-तरह के कानूनों के द्वारा लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने की तरफ ध्यान दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि अपने राष्ट्र के लिये और अपने समाज के लिये इन चीजों की नितान्त आवश्यकता थी किन्तु एक बात मैं निवेदन करना जरूर चाहता हूं और सरकार इस पर ध्यान दे कि जो भू-सम्पति की दशा पहले थी वह आज नहीं है। लोग भूमि को बहुत बड़ा धन समझते थे और उसके लिये जान

[श्री रामलक्षण तिवारी]

देते थे, उसमें मेहनत करते थे और उसके आधार पर उनको ऋण भी मिल जाता था । इस प्रकार से अपना काम चलाते थे, रोजगार चलाते थे और सब कुछ करते थे । क्या हम एक बार वह समय पुनः लाने में असमर्थ हैं ? अगर हम वह समय लाने में असमर्थ हैं तो मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि जनता की जो आज स्थिति है उससे हम अवगत नहीं हैं और जनता की परेशानियों से अपनी आंखें बन्द करना चाहते हैं और जनता की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं । जनता की परेशानियों को दूर करने के लिये उपाय करना हमारा कर्तव्य है ।

विकल साहब ने जो यह प्रस्ताव उपस्थित किया है वह प्रस्ताव इस बात का द्योतक है कि हमारे भीतर एक बेचैनी है और हमारे भीतर जमीन के प्रति आस्था की भावना खत्म हो चुकी है और भूमि सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति मानकर उसमें काम करने में असमर्थ हो रहे हैं । भूमि पर कब्जा होने से या किसी का अधिकार होने से उसको पर्याप्त समझा जाय ? यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि अगर भू-स्वामी कहता है कि अमुक व्यक्ति का नाजायज कब्जा है तो उसको कायदे-कानून से स्वीकृति दे देनी चाहिये । क्या उसका कहना सही हो सकता है ? वह गलत भी कह सकता है लेकिन अगर उसको स्थायित्व देना है तो उसकी बात मानकर चल सकते हैं । इस देश के भीतर, इस समाज के भीतर, इस राज्य के भीतर आपको पुनः एक परम्परा स्थापित करने की तरफ ध्यान देना होगा जिससे पारस्परिक समझौते से जमीन लेकर अपनी गुजर लोग कर सकें ।

बेरोजगारी की जो स्थिति आज देश में फैल रही है उसको कभी भी हल करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं जब तक कि हर दिशा में उसके लिये उपाय नहीं ढूंढे जायंगे । जमीन में बहुत से लोग खप सकते हैं । आप जानते हैं कि एक गांव में १० आदमियों के पास जमीन होती है और १० के पास जमीन नहीं होती है । रोजगार वहां पर कोई नहीं है और न धंधा कोई दूसरा है । तो फिर उन लोगों को आप कौन से काम देंगे ? क्या आप उनसे यह कहेंगे कि वे जाकर चोरी-डकैती करें ? यह बात उचित नहीं हो सकती है । आज जरायम बढ़ रहे हैं । इसका भी यही कारण है । मैं आपके सामने इस बात को स्पष्ट कहने में संकोच नहीं करूंगा कि देश के भीतर रोजगार लोगों को प्राप्त नहीं हो रहे हैं । जमीन नहीं मिलती है जिसके ऊपर खेती-बाड़ी करके अपने बच्चों की परवरिश कर सकें । इस कारण से यह बहुत आवश्यक है कि इस प्रश्न पर पुनः विचार किया जाय । जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें कुछ संशोधन के साथ, जैसा कि मैंने कहा उसमें यह रखा जाय कि जमीन के अधिकारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिये बिना भू-स्वामी की स्वीकृति के किसी दूसरे का इन्दराज उसकी जमीन पर न किया जाय । मुझे आशा है कि इस बात से प्रस्तावक महोदय सहमत होंगे और सरकार इस प्रस्ताव को सरकारी प्रस्ताव जानते हुए और समाज की आवश्यकता को देखते हुए स्वीकार करेगी ।

*श्री गेदा सिंह (जिला देवरिया)—अधिष्ठाता महोदय, माननीय विकल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके प्रस्ताव की बुनियाद पर इस माननीय सदन में भूमि सम्बन्धी कागजात में कुछ कहने का मौका मिला । मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर बहुत ही कम विचार हम कर पाते हैं इस माननीय सदन में । असल में प्रदेश की सब से बड़ी समस्या भूमि सम्बन्धी है और उसका सम्बन्ध इन्दराज से है । उसके प्रति इस वक्त जो सरकार का रुख है वह एक चिन्ता की बात है । श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और स्मरण दिलाना चाहता हूं माननीय शुक्ल जी को कि हमारे प्रदेश में सेटिलमेंट बराब हुआ करता था और उस बन्दोबस्त के जरिये से बहुत से काग़ज़ात दुरुस्त हुआ करते थे । चाहे नक्शे दुरुस्त हों या खसरा या खतौनी दुरुस्त हो जायं । लेकिन जब कभी बन्दोबस्त होता था तो उसमें एक पर्चा उन सब खातेदारों को जो लोग जमीन जोतते थे, दिया जाता था और वह उस पर अगर चाहते थे तो एतराज दाखिल करते थे और उसके बाद लड़ाई भिड़ाई के बाद जब इन्दराज दुरुस्त हो जाते थे तो एक परचा फिर उनको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिया जाता था और जहां तक मेरी याददाश्त है वह यह है कि उनके लिये सरकार से कोई पैसा नहीं लिया जाता था। श्रीमन्, वह काम तो बन्द हो गया हमारे प्रदेश में और यह काम केवल लेखपाल की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। वह भगवान हैं वह जो कुछ भी लिख दे उसके बाद हमको उस पर एतराज करने के लिये अदालत में टिकट लगा कर मुकदमा लड़ने के अलावा और कोई गुंजायश नहीं है। सरसरी तौर पर गांव में बैठ कर जो सेटिलमेंट का बड़े से बड़ा अफसर फैसला किया करता था वह अब नहीं हो सकता। अगर इंदराज की ग़लतियां दुरुस्त हो जायं तो फिर बन्दोबस्त करने की कोई जरूरत न हो।

लेकिन मैं शुक्ल जी से यह कहूंगा कि वह जहां चकबन्दी हो रही है वहां देख कर जान सकते हैं कि आज कल इंदराज में कितनी गलतियां होती हैं। चकबन्दी के अधिकारियों को यह अधिकार है कि वह गलतियों को भी दुरुस्त कर दें। उन गलतियों को मुझे बहुत नजदीक से जानने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे याद है कि पहले-पहल मुसाफिरखाना तहसील, जिला सुल्तानपुर में चकबन्दी का काम हुआ था और वहां जितने नम्बर थे उससे थोड़ी ही कम ग़लतियां पायी गयी थीं। हां, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि चूंकि चकबन्दी अधिकारी मौके पर मौजूद थे इसलिये दोनों फरीकों को उन्होंने सुन कर गांव में ही उसका फैसला दे दिया था और बहुत-सी गलतियां आपस में ही तय हो गयी थीं और इंदराज दुरुस्त हो गये थे।

श्रीमन्, यह काम तो अब संभव नहीं है। चकबन्दी होती है, लेकिन चकबन्दी के सिलसिले में इस समय मैं समझता हूं कि कुछ न कहना ही मुनासिब है। मैं उस सिलसिले में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि विकल जी का जो प्रस्ताव है कि लोगों को इंतखाब दे दिये जायं, उसमें सरकार का निश्चय ही कुछ रुपया खर्च होगा। लेकिन क्या यह सही नहीं है कि जमींदारी एबालिशन के बाद भूमि की मालगुजारी सरकार को मामूली नहीं, कई गुना बढ़ी हुई मिल रही है। भूमि की मालगुजारी श्रीमन्, जहां तक मुझे याद है, सरकार को केवल ७ करोड़ रुपया मिलती थी जब जमींदारी खत्म नहीं हुई थी। इस समय, मेरा खयाल है, और अगर मैं ग़लत होऊं तो माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब मुझे दुरुस्त कर दें, करीब २५ करोड़ रुपये के मिलती है। ७ करोड़ की जगह २५ करोड़ रुपया मालगुजारी ली जाती है। अलावा इसके, पंचायतें अपना टैक्स लेती हैं और इसके अलावा हम ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लेते हैं। यह भी जमीन से ताल्लुक रखता है। तो श्रीमन्, जिस एक ही सोर्स से सरकार को सबसे बड़ी रकम रेवेन्यू की वसूल हो, उसके काग़जात को दुरुस्त करना, मैं समझता हूं कितना ज़रूरी है इसमें मुझे कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं मालूम होती।

अब इंतखाब देने की जरूरत क्यों है इसे देखिये। बाप मर गया, उस खाते पर बेटे का नाम लेखपाल दर्ज नहीं करता। अगर बेटा जाता है यह कहने के लिये कि मेरा नाम दर्ज कर दो तो गैरमामूली वह इतनी मांग करता है जो उसके बस में नहीं होती।

श्री अधिष्ठाता—गैरमामूली तो नहीं आता, हस्ब मामूल है।

श्री गेंदासिंह—हस्बमामूल, तो श्रीमन्, मैं निवेदन कर दूं कि पुराने जमाने का जो पटवारी था वह कपड़े सस्ते पहनता था, जूता वगैरह कोई पहनता था, कोई नहीं पहनता था। लेकिन इस वक्त का लेखपाल दूसरी तरह से रहता है, पढ़ा-लिखा जवान है, उसका खर्चा और तरह का होता है तो उस हिसाब से गैरमामूल हो जाता है और गैरमामूली दाम वह मांगता है। इसका नतीजा यह होता है कि वह कागजात दुरुस्त नहीं होते। मैं आप को बताऊं कि इस प्रदेश में, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा छोटे खाते वाले लोग हैं। अपने प्रदेश में ३६ लाख किसान ऐसे हैं जिनके १ एकड़ से नीचे के खाते हैं। अब इसमें आध एकड़ और पाव एकड़ की बात मैं छोड़े देता हूं। अब इनसे वे जो रकम मांगते हैं वह बहुत बड़ी होती है जो वह दे नहीं सकते। इसलिये यह कागजात गलत हैं। मैं समझता हूं कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने कागजात को दुरुस्त करावे। मैं अपनी ही बात कहता हूं—दूसरे की जमीन मेरे कब्जे में है। मैं चाहता

[श्री गेंदासिंह]

हूं कि उनके नाम हो जाय। लिख कर के भी दे दिया लेकिन अगर वह इंतखाब उसको मिल जाता तो अच्छा होता। एक मर्तबा इंतखाब सारे लोगों को मिल जाय यही मंशा विकल जी की भी है। वह यह तो जान सके कि उसकी जमीन उसके नाम से है या नहीं, या दूसरे के नाम से है।

इसमें सन्देह नहीं है कि मालगुजारी भी इसमें बढ़ेगी क्योंकि बहुत-सी जमीन ऐसी हैं जिनकी मालगुजारी दूसरे को देना पड़ती है तो वह समझता है कि उसके ऊपर दंड पड़ता है। मालगुजारी रुकती है, तो सरकार को इस पर निश्चित से कुछ रकम खर्च करनी पड़ेगी। अब जब ७ करोड़ से २५ करोड़ की मालगुजारी लेती है तब भी वह कागजात की दुरुस्ती न करावे यह मुनासिब नहीं है।

दूसरा हिस्सा इसका जो है उसका आशय है कि बगैर भू-स्वामी और गांव सभा की इजाजत के कोई इन्दराज न हो तो मैं समझता हूं कि गांव सभा तो नहीं लेकिन गांव सभापति को इन्दराज की कापियां दी जाती हैं यह जवाब वह देंगे। हमारे देश में, इस बात को मानना पड़ेगा कि पढ़े-लिखे लोगों की संख्या बहुत कम है और मैं गांव सभापति की ईमानदारी पर शक न करूं तो भी यदि गांव सभापति और लेखपाल गठबंधन कर लें तो फिर गांव वालों की शामत ही आ गयी। मुझे मालूम है कि यह लेखपाल जो है उसको किसी गांव पंचायत की मीटिंग में भी आने-जाने में हिकच होती है और वह वहां जाने में आना-कानी करते हैं, कागजात देखना तो दूर रहा, वह तो महंगी चीज है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि इतने बड़े पैमाने पर जो कागजात की ग़लतियां हैं वह कैसे दुरुस्त की जायं? उन ग़लतियों को दुरुस्त करने का तरीका यही है कि किसान स्वावलम्बी हो, वह अपनी ग़लती को समझ सके और उसको दूर कराने के लिये अपने हाथ पैर चला सके। इसके लिये सरकार को ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिये जिससे कि इस प्रकार की गलती ठीक हो सकें। इसके लिये यही एक तरीका है कि माननीय विकल जी के प्रस्ताव को मान लिया जाय। विकल जी का प्रस्ताव इस प्रकार की गलतियों को ठीक करने में सहायक होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करेगी।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, वास्तव में हमें माननीय विकल जी को धन्यवाद ही देना चाहिये कि उन्होंने सदन का ध्यान एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर दिलाया है कि जिस प्रश्न पर अपने-अपने क्षेत्र में सभी सामाजिक कार्य-कर्त्ताओं के सामने किसी न किसी प्रकार से इस सम्बन्ध में सुविधायें आती रही हैं। वैसे तो इस प्रस्ताव के आने की आवश्यकता न थी क्योंकि इस प्रस्ताव में वही है जो कि सरकार का आशय है। सरकार ने इस सम्बन्ध में कानून बनाये हैं और उसकी एक पंक्ति भी इसके विरुद्ध नहीं है।

श्रीमन्, इस प्रस्ताव के तीन भाग हैं। पहला तो यह है कि उनके क्षेत्रों का पूरा इंतखाब उन्हें दे दिया जाय। यह एक साधारण-सी बात है कि किसी व्यक्ति की कोई सम्पत्ति हो, और विशेष कर भू-स्वामियों के बारे में तो कुछ न कुछ डाकूमेन्ट होना ही चाहिए, तो उससे सम्बन्धित कोई डाकूमेन्ट (दस्तावेज) उसके पास हो। अगर कोई भूमिधर हो, किसी जमीन पर उसका अधिकार हो, और उससे संबंधित यदि उसको कोई प्रतिलिपि न मिले, उसके पास उसके लिये कोई सबूत न हो, तो जरूरत पड़ने पर वह उसको कैसे पेश कर सकेगा और कैसे अपनी जमीन पर अपना अधिकार दिखा सकेगा।

(इस समय १ बज कर २१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री गेंदा सिंह, पीठासीन हुए।)

जो आज मौजूदा कानून है उसमें यह दिक्कत है कि काबिज हो जाने के बाद, चाहे वह काबिज ग़लत था या किसी भी प्रकार का था, उसको कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। इसलिये इस प्रस्ताव की विशेष प्रकार से आवश्यकता पड़ी और यह आवश्यक है कि उसके पास इन्तखाब रहे।

इस प्रस्ताव का दूसरा भाग है कि खसरे के कैफियत के खाने में काबिज लिखने के लेखपाल के अधिकार को समाप्त किया जाय। यह स्पष्ट है कि जो काश्तकार जमीन जोतेगा, खेती करने

के लिये उसका उस पर अधिकार रहेगा। यह अधिकार उस को दिये गये हैं। उससे अगर वह जमीन निकल जाती है बिना उसको सूचना दिये हुए, बिना उसको बताये हुए, बिना उसकी मरजी के, तो यह उचित नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो तब्दीली की जायेगी वह उससे पूछ कर की जायेगी, कानून में ऐसा नहीं है। इसलिये लेखपाल को छूट है। गलत इन्दराज होते हैं। आप देखें कि जितनी भी मुकदमेंबाजी गांव में होती है, वह अधिकतर माल के मामले में होती है। माल से ही संबंधित अधिकतर मामले होते हैं। जो दूसरे मामले होते भी हैं तो उनकी जड़ यदि देखी जाय तो वह यही होती है कि जमीन पर नाम लिखा होता है किसी का, लेकिन किसी तरह से उसकी जगह किसी दूसरे का नाम लिखा दिया। अगर कहीं पर किसी के नाम की जगह लेखपाल ने किसी दूसरे का नाम लिख दिया तो वह काबिज हो जाता है। फिर उसको हटाने के लिये उसके पास कोई तरीका नहीं रहता है सिवाय इसके कि वे लाठी के जरिये से उसको हटायें। अगर वह दरख्वास्त देता है कि हमारी जमीन पर किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया ह तो वह खुद को फंसाता है। अगर वह नहीं देता है तो उसको अपनी जमीन नहीं मिलती। इसलिये यही एक रास्ता उसके लिये रह जाता है कि वह डंडे के जरिये से अपनी जमीन को ले। जब यह होता है तो लड़ाई होती है और मुकदमेंबाजी होती है। इसलिये यह जरूरी है कि खसरे में कैफियत के खाने में काबिज लिखने के लेखपाल के अधिकार को समाप्त किया जाय। विकल जी ने लिखा है कि गांव सभा के सभापति और गांव समाज से पूछ कर लिखा जाय, लेकिन कोई ऐसा तबादला किसी लिखित दस्तावेज के बिना न हो, और कोई तरीका सिवा इसके नहीं हो सकता।

अधिष्ठाता महोदय, बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे केसेज हमारे सामने आते हैं जिनमें लगान कोई दे रहा है और जोत कोई रहा है। सिवाय इसके कि सरकारी कर्मचारी कहने-सुनने से उसे दुरुस्त कर दें और कोई तरीक़ा होता नहीं, या फिर झगड़ा हो। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के पास होने के बाद और पटवारियों के जाने और लेखपालों के आने के बाद इन्दराजों में बहुत गलतियां रहीं, यह हम स्वीकार कर चुके हैं उसके लिये हमने हफ्ता भी ऐसा मुकर्रर किया कि जमीनों के इन्दराजों की दुरुस्ती की जाय, उसमें बहुत सफलता भी मिली। लेकिन आज परिस्थिति यह है कि बहुत से खातों में इस प्रकार की गड़बड़ी मौजूद है। जब तक इस अधिकार को लेखपालों से न ले लिया जाय और किसान को उसके खसरे का इन्तखाब न देदें तब तक उसकी गुंजायश रहती है।

एक और दिक्क़त आती है कि लगान वसूल करने के लिये जो अमीन जाता है वह इकट्ठा लगान तो बता सकता है लेकिन ३–४ खाते हैं तो किस खाते में कितना लगान है और किस वर्ष का कितना है, यह नहीं बता सकता, न यह बतला सकता है कितना पिछला लगान बकाया है। लेकिन अगर किसान के पास उसका इन्तखाब होगा, उसको मालूम होगा कि इस खाते का इतना लगान है तो यह दिक्क़त दूर हो जायगी और अमीन जब पहुंचेगा तो वह हिसाब लगा सकेगा कि मेरे जिम्मे इतना लगान इस तरीके से है।

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक इसकी भाषा का सम्बन्ध है, मैं इस पर बहुत जोर नहीं दूंगा कि यह प्रस्ताव इन्हीं शब्दों में पास हो। इस प्रस्ताव का वही आशय है जो सरकार का है जमीन के अधिकारों के सम्बन्ध में। ऐसी अवस्था में मैं आशा करूंगा कि मंत्री जी ऐसा कोई आश्वासन दिला दें कि वह किसी आज्ञा या सर्कुलर द्वारा इसके आशय को पूरा करा लेंगे तो इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी कि इन्हीं शब्दों में पास हो। अगर यह कानूनी कार्यवाही करनी पड़े और एक प्रस्ताव पास करना हो तो अपनी सहूलियत के साथ वह इसे अमेंड कर लें तो माननीय विकल जी भी उससे सहमत होंगे। यह कह कर मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री बुद्धीसिंह (जिला मुरादाबाद)—श्रीमन्, यह सर्व विदित है कि पिछले वर्षों में जब कभी भी सरकार की ओर से इन्दराजात सही करने के हुक्म निकाले गये और सार्वजनिक संस्थाओं ने भी अपनी-अपनी ओर से कोशिशें कीं, तो किसी जिले में १०,०००, किसी

[श्री बुद्धीसिंह]

में ४०,००० और किसी में ५०,००० गलत इन्दराजात निकले। आज चकबन्दी में भी कागजात की गलतियां सामने आई हैं, वे भी सरकार से छिपी नहीं हैं। यही नहीं, इन गलत इन्दराजात के परिणाम बहुत खतरनाक रहे हैं। मैं दो एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। गलत इन्दराज की बिना पर हमारे ही गांव में सियाराम, बाबूसिंह और हरलाल इन चचा-भतीजों में झगड़ात हुआ। वे गलतियां चकबन्दी में भी नहीं सुधरी थीं। चचा-भतीजे दोनों कत्ल हो गये और दोनों की उम्र २२,२३ साल की थी। वे कागजात अभी तक जैसे के तैसे बने हुए हैं। एक कुमारी चमेली का बाप राम प्रसाद उसे कुंवारी छोड़ कर मर गया था। लेकिन वहां के एक बहुत बड़े कांग्रेसी गजरामसिंह ने उस लड़की की जमीन में अपना नाम लिखा लिया और तहसील में भी उसका नाम सीरदार दर्ज हो गया था और अब उसकी दुरुस्ती चकबन्दी में हो रही है फिर भी गजराम सिंह ने अब हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। तीसरी

(इस समय १ बजकर ३१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री गयाबख्शसिंह, पीठासीन हुए।)

मिसाल यह है कि अंग्रेजी जमाने का एक बहुत बड़ा जमींदार—रफी उद्दीन जो अब बड़ा कांग्रेसी भी हो गया है, उसने अपने ही परिवार के कल्लन खां की जमीन पर नाजायज नाम दर्ज कर रखा था। जमीन पर कल्लन का कब्जा बराबर रहा और उसमें नाम दर्ज रफीउद्दीन का हुआ। चकबन्दी के अधिकारियों ने भी देखा कि इस पर कब्जा कल्लन आदि का है, फसल कल्लन की खड़ी है लेकिन इन्दराज रफी उद्दीन के नाम ही रहा। तो यह पटवारी की फिजा आज की नहीं है, यह न जाने कितने दिनों की बात चली आ रही है। अंग्रेजी शासन काल का डर्रा है कि बड़ी चौपाल पर बैठ कर, पूड़ी मिठाई खाकर पटवारी ने जैसा चौधरी साहब ने कहा या कुंवर साहब ने कहा वैसे ही इन्दराजात कर दिये। आज भी सरकार के साथ में जो लोग हैं वे प्रभावशाली लोग लेखपाल को मजबूर करते हैं कि वह गलत इन्दराजात करे।

श्रीमती कमला देवी की जमीन पर नाजायज कब्जा एक कांग्रेसी ने कर लिया अपने गांव में। कमलादेवी से जबर्दस्ती एस० ई० ओ० के दफ्तर में निशानी लगवाली। बाबूसिंह ने अपनी सगी चचेरी बहन की जमीन पर कब्जा कर रखा था। आज मुरादाबाद में ४२० का मुकदमा कमला ने उस बाबू सिंह पर चला रखा है। इसलिये मैं तो चाहूंगा कि हर खातेदार को उसकी तकदीर की सूची अवश्य दे दी जाय और कैफियत के खाने में लिखने का अधिकार गांव सभा को जरूर दिया जाय। मैं उसमें इतना और बढ़ाना चाहता हूं कि अकेले प्रधान को ही नहीं बल्कि वह तमाम गांव सभा की मीटिंग में उसे पढ़ कर सुनावे और गांव सभा के मेम्बरों से पूछे कि उसने ठीक लिखा है या नहीं। वैसे तो कहने के लिये चकबन्दी में कुछ कागजात दुरुस्त हुए भी हैं। मैं इस बात के पक्ष में हूं कि खसरा—खतौनी किसान को जरूर दी जाय। प्रधान हर माह मीटिंग में उस सूची को सुनावे। १२ वर्ष का जमाना अब गुजर गया है। सरकार समाजवादी समाज बनाना चाहती है मगर कहीं ऐसा न हो जाय कि "पढ़ते पढ़ते तो पढ़ गये लिखतम छोड़ी ठौर, पढ़ना तो कुछ और था और पढ़ बैठे कुछ और।" ब्रजनारायण जी के सुझावों से भी मैं सहमत हूं और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जिस दिन से यह प्रस्ताव पेश हुआ है उसी दिन से माननीय सदस्यों के तर्क इस पर यहां सुनता रहा हूं। मुझे दुख है कि माननीय विकल जी ने, जिन्हें मैं किसानों का हमदर्द और प्रगतिशील समझता हूं, इस प्रस्ताव को लाकर ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी, जिसके कारण, जैसा अभी आप सुन रहे थे, हमारे बलिया से आने वाले माननीय सदस्य ने, और भी कई सदस्यों ने, इस प्रस्ताव की लाइट में जमींदारी अबालीशन कानून की धाराओं की आलोचना की। इस प्रस्ताव की रोशनी में सदन में मांग करने की कोशिश की गई कि काश्तकारों को पुनः शिकमी उठाने का अधिकार दे दिया जाय। मैं इसका इन्साफ करना उन्हीं माननीय सदस्यों पर छोड़ता हूं जो इस

प्रकार की मांग करते हैं वे स्वयं सोचें कि शिकमी उठाने के बन्द करने के पीछे सबसे बड़ा सिद्धान्त यह था कि जमीन पर आयन्दा के लिये शोषण बन्द कर दिया जाय। अगर उस शोषण की पद्धति को माननीय सदस्य फिर से खोलना चाहते हैं तो मेरा मत उसके खिलाफ सदैव रहेगा क्योंकि उसमें गरीब को मजबूत होने का या टिकने का स्थान नहीं है।

एक सज्जन ने यह भी कहा कि तमाम लोगों की रोजी इससे चली गयी, मगर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं अपने दोस्तों को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी २, ३ साल पहले की बात है कि जिस समय सदन के द्वारा शिकमी काश्तकारों को सीरदारी का हक दिया गया। इस प्रदेश में, उस समय लाखों छोटे-छोटे काश्तकारों को यह राइट मिला जिनका एक्सप्लायटेशन हो रहा था और लाखों काश्तकार ऐसे हैं जो स्वतन्त्र रूप से उन खेतों के मालिक बन बैठे हैं इस सदन की मदद से, जिनको कि पहले एक्सप्लाइट किया जा रहा था। इसलिये यह कह देना ठीक नहीं है कि माल विभाग ने जो कानून बनाये उनसे कोई फायदा ही नहीं हुआ और झगड़े पैदा हो गये। हो सकता है कि कहीं झगड़ा भी पड़ गया हो। छोटा काश्तकार, जिसको हक दिया गया था, वह अपनी कमजोरी के कारण, लट्ठ के डर से अपना कब्जा न बता सका हो और उसने स्वयं अपने हक को, अपने बड़े काश्तकार के हक में छोड़ दिया हो। मैं बहुत नम्रता से कहना चाहता हूं कि इस जनतन्त्र के युग में जब कि हर आदमी को बराबर अधिकार देने की बात हो, कोई आदमी अगर अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता है अथवा अपना हक सुरक्षित नहीं रख सकता है तो हम कितना ही अच्छा कानून क्यों न बना दें हम उसकी मदद नहीं कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—आप बहुत दूर चले गये।

श्री रामेश्वरप्रसाद—मैं इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि अगर कागजात में गलती है तो उसको सही होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस बात से सरकार भी पूर्णतया सहमत होगी और है। लेकिन यह ठीक नहीं है कि कब्जा लिखने का हक लेखपाल से लेकर गांव सभा और भू-स्वामी की स्वीकृति से लिखा जाय, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर लेखपाल का यह हक खत्म कर दिया जायगा तो इसका असर किस पर पड़ेगा। क्योंकि "लेट आउट" करने का हक तो इस सदन ने समाप्त ही कर दिया है इसलिये बहुत से काश्तकार चोरी छिपे कानून शिकनी करके लोगों को जमीन उठाते हैं और छोटे काश्तकार उस जमीन के वास्तविक जोतने वाले हैं। हजारों केसेज इस प्रकार के हैं। अगर इस प्रकार की बन्दिश कर दी गई कि टिलर का कब्जा न लिखा जाय तो दिक्कत यह हो जायगी कि जो चोरी होती है उसको हम लीगेलाइज कर देंगे और दूसरी तरफ शोषण होता रहेगा।

इसका दूसरा खण्ड इस प्रकार है कि गांवसभा और भू-स्वामी की मर्जी से कब्जा लिखा जाय। मैं समझता हूं कि यह वही भू-स्वामी है जिसकी शिकायत बलिया के माननीय सदस्य ने की। भू-स्वामी वही होगा जो या तो पहले का जमींदार होगा या उसका गांव में प्रभाव होगा, उस के पीछे १०–२० आदमी होंगे। उनके सामने चमार-पासी, और गरीब मजदूरों की कैसे हिम्मत हो सकती है कि वह गांव सभा में खड़े होकर क्लेम कर सकें कि हम काबिज हैं। मैं समझता हूं कि नितान्त असम्भव सी बात है और इसलिये भी कि गांव सभा में कहीं एक हजार, कहीं दो हजार, कहीं पांच सौ, कहीं चार सौ, इस तरह से बालिग मेम्बर होते हैं। अब गांव सभा में जो हजारों मेम्बर हैं उनकी एक कैबिनेट बन जाय और जनतान्त्रिक तरीके से उसमें वोटिंग हो तो इस तरह की राय ली जा सकती है लेकिन यह चीज आज की परिस्थिति में सम्भव नहीं मालूम होती। मान लीजिये कि मैं शिकमी काश्तकार हूं और एक खातेदार के खेत पर काबिज हूं और मैं गांव की उस पार्टी से सम्बन्धित हूं जो अल्प मत में है और दूसरी पार्टी बहुमत में है, तो उसके मुकाबले में वह मुझे क्यों राय देंगे? यह ठीक है, सम्भव है कि

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

मेरे हक में कब्जा लिख दिया जाय लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता है। जब हमारे यहां डेमोक्रेसी बहुत पक्की हो जायगी और हम सब इतने एडवान्स हो जायेंगे कि राइट और रौंग को समझने का सेन्स आ जाय तो सम्भव है कि हम सही फैसला करने के योग्य हो जायें। लेकिन यह बाद के देखने की बात है। इस वक्त तो सिवा इसके कि जो बहुत से गरीब काश्तकार हैं जिनको आज थोड़ा बहुत अधिकार मिला हुआ है वह भी घपले में पड़ जायं, इससे कोई लाभ होने की सम्भावना नहीं है। मैं समझता हूं कि गांव सभा के सामने इस प्रश्न का तय होना सम्भव नहीं है कि उसकी राय से तय होकर किसी का कब्जा लिखा जाय।

अब रही भू-स्वामियों की राय की बात, जैसा कि वर्मा जी ने कहा और उस दिन मन्त्री जी ने भी कहा था, आज मैं भी यही कहता हूं कि आज कानून में इसकी कहीं गुन्जाइश नहीं है कि हम को शिकमी उठावें, जो उठाये हुये हैं वे चोरी करते हैं। कानून शिकनी करते हैं तथा कानून की आड़ लेकर यह सब काम करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि जो आदमी इस तरह से कानून शिकनी करके अन्धेरे में काम करता है, वह अपने हक को छोड़ने के लिये आसानी से कैसे तैयार होगा और इस पक्ष में कैसे अपनी राय देगा। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे निकल आवें लेकिन ज्यादातर आदमी ऐसे ही होंगे जो इसके विरोधी होंगे। जैसा कि अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि आज जो तमाम झगड़े हैं उसकी बुनियाद यही है कि बहुत से लोगों से आठ दस वर्ष से सन् ५९ के पहले से ही अपनी जमीन शिकमी पर उठा रखी है और उन शिकनी काश्तकारों के नाम पटवारी ने कैफियत के खाने में लिखे। इस तरह की कई नजीरें हमारे सामने हैं कि तमाम बड़े काश्तकारों ने उस बात को चैलेंज किया, बावजूद इसके कि सही कब्जा गरीब काश्तकारों और छोटे मजदूरों का था। उन गरीबों को अदालतों के सामने ले जाकर परेशान किया गया और परेशान करके किसी न किसी तरह से उनकी जमीन छीनने की कोशिश की और छीन ली। लाठी के जरिये भी छीन ली और कानून द्वारा परेशान करके भी छीन ली। फिर मैं नहीं जानता कि यह कहां तक ठीक हो सकता है कि वे भगवान बुद्ध के चेले हो जायेंगे। जो अपनी जमीन को चोरी से उठाये हुए हैं और कब्जा कैफियत खाने में शिकमी का लिखा जाय, और जो अपना लिखाये हुए हैं वे अपनी राय उनके पक्ष में दे देगें। हो सकता है कि कुछ ऐसे निकल आवें लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग होंगे जो इस सम्बन्ध में गरीबों के पक्ष में अपनी राय देने के लिये तैयार नहीं होंगे।

अधिष्ठाता महोदय, इन बातों की तहत में हम जांय तो मौजूदा प्रस्ताव जो हमारे सामने श्री विकल जी ने प्रस्तुत किया है, उनकी भावना की कद्र करते हुए भी मैं समझता हूं कि यह गलत है। इस बात से मैं भी सहमत हूं कि भूमि के मामले में जो एन्ट्रीज हों वह बिलकुल सही-सही होनी चाहिये। जो बोवे उसका नाम लिखा जाय, जो न बोवे उसका नाम लिखना गलत है। इस भावना को मानते हुए मैं समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव है वह उचित नहीं है और यह प्रस्ताव उनकी राय के खिलाफ जाता है जो माननीय सदस्य अक्सर यहां उन गरीब छोटे काश्तकार और मजदूरों की दुहाई दिया करते हैं।

इसके पहले भाग में जो श्री विकल जी का सुझाव है कि सब काश्तकारों को खतौनी की नकल दी जाय। मेरा खयाल है इससे वह समझते हैं कि भूमि में स्थायित्व आ जायगा, कुछ मजबूती आ जायगी। मैं इसको कैसे मान लूं, मेरी समझ में यह नहीं आता कि केवल नकल देने से किस तरह से भूमि के मामले में स्थायित्व आ जायगा। ऐसी बात नहीं है। जमीन तो ऐसी वस्तु है कि जो ट्रान्सफर होती रहती है, विरासत एक के बाद दूसरे को मिलती रहती है, एक किसान मरता है उसके ४ लड़के हैं तो उसकी जमीन पर काबिज होते रहते हैं। मान लीजिये कि इस साल इन्तखाब दे दिया गया और अगले साल फिर खतौनी में तब्दीली हुई तो क्या केवल खतौनी देने से ही किसी की भूमि पर स्थायित्व हो जायगा? यह कैसे हो सकता है? अगर कोई किसान अपनी जमीन का इन्तखाब लेना चाहता है तो वह पटवारी से आठ आना पैसा देकर लीगल तरीके से नकल ले सकता है।

एक सदस्य—५०-५० रुपये लेकर इन्तखाब दिया जाता है।

श्री रामेश्वरप्रसाद—मेरी समझ में तो नहीं आता कि कोई ५० रुपये देकर इन्तखाब लेता होगा, किस पटवारी की हिम्मत होगी कि वह विधान सभा सदस्य से ५० रुपये लेकर इन्तखाब दे। मेरी समझ में तो यह बात आती नहीं। मैं यह कह रहा हूं कि यह सब बातें जो की जा रही हैं यह कहने की हो सकती हैं, ५० नहीं आप १०० भी कह सकते हैं बाकी कोई किसी जगह पटवारी इतना भ्रष्टाचारी हो सकता है लेकिन जो अधिकतर अच्छे लोग हैं उनको भी हम एक सिरे से गलत कहें तो वह मुनासिब न होगा। अगर किसी ने एक जगह ५ रुपये ले भी लिये तो इसके माने यह नहीं हैं कि हम योजना को ही खत्म कर दें, मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। आज भी नियमानुसार कोई काश्तकार खतौनी का इन्तखाब ले सकता है। फिर भी जहां तक काबिज लिखने की बात है आज भी यह तरीका है कि कोई काश्तकार अगर काबिज है, भले ही वह तरीका कहीं न बरता जाता हो, लेकिन कायदा है कि काबिज के ३ पर्चे बनते हैं और पटवारी परताल करता है, एक नकल कानूनगो को दी जाती है, एक सभापति को और एक असल काश्तकार को दी जाती है। उसके बाद अगर कोई एतराज नहीं करता तो उसको काबिज माना जाता है। वह चीज किसी भी कोर्ट आफ ला में वैलिड होती है। इस वास्ते जरूरत इस बात की है कि ऐसी भावना सभापतियों में, काश्तकारों में प्रसारित की जाय कि सब लोग अपनी जमीनों पर ही ईमानदारी से काबिज रहें। इस भावना की आज कमी है। अक्सर पटवारी नोटिस लाते हैं और उसकी इबारत असली या शिकमी की समझ में नहीं आती कि उसमें क्या लिखा है। इस विषय में वह अन्धेरे में रहते हैं और शिकमी को जब हक मिल जाता है तब पता चलता है कि क्या हुआ। इसलिये जो मौजूदा व्यवस्था है वह इतनी सन्तोषप्रद है कि उससे काम चल सकता है। लेकिन इस प्रस्ताव को मानने से गरीब हरिजनों का लाभ नहीं होगा। आज तो शिकमी रात दिन महसूस करते हैं कि साल दो साल बाद वह अधिवासी से सीरदार हो जाते हैं, उनको हक मिल जायगा। इस वास्ते इस प्रस्ताव से कोई लाभ न होगा। अब कुछ माननीय सदस्य इस बात की वकालत करने के लिये स्वतन्त्र हैं कि शिकमी के अधिकार खत्म किये जायें लेकिन मैं इस राय का हूं कि जो टिलर आफ दि स्वायल है, जो खून पसीना बहाने वाला है अधिष्ठाता महोदय, यह वाजिब बात है कि उसको हक दिया जाय, उसको सहारा दिया जाय। मैं माननीय विकल जी से आग्रह करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें और जो प्रिवेलिंग सिस्टम है वह काफी है, उसी से काम चल सकता है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अनुग्रहीत हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। कब्ल इसके कि मैं कुछ इसके सम्बन्ध में कहूं, मैं अपने पूर्व वक्ता महोदय जो मुझसे पहले बोले हैं, उनसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। क्या उन्होंने कभी किसानों में जाकर देखा है या अपना कोई खेत उनके पास है कि नहीं और क्या किसी लेखपाल से उनका मुकाबला पड़ा है? उन्होंने अभी कहा है कि एक आध लेखपाल इस किस्म का होगा कि १०-२० रुपया इन्तखाब का लेता हो, बाकी आठ आने में इन्तखाब देते हैं। पता नहीं कि वह य० पी० के रहने वाले हैं या किसी दूसरी जगह से आये हैं। माननीय रामेश्वर प्रसाद जी एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो प्रदेश में बुरी तरह से कुचला हुआ है वे खेती के मामले में तबाह किये जा रहे हैं। उनका प्रतिनिधित्व करने वाले इस तरह का वक्तव्य देते हैं तो मुझे यह मानना पड़ता है कि मन्त्रिगण और अधिकारीगण जो कुछ भी करते हैं वह ऐसे ही लोगों के कहने से करते हैं। मेरे साथ माननीय सदस्य चलें देहात में, वहां मैं उन्हें दिखाऊं कि ९५ फीसदी ऐसे लेखपाल हैं जो कभी पांच रुपये से कम में इन्तखाब देने को तैयार नहीं होते हैं।

उन्होंने कहा कि काबिज लिखने का अख्तियार दे दिया है उससे छोटे काश्तकारों की मदद होती है, और फिर उन्होंने ही कहा कि काबिज के जरिये से जो सीरदार कर दिये गये हैं उन

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

पर झूठे मुकदमे चलाये गये और उनको बेदखल किया गया। मेरी समझ में नहीं आता कि उनका यह वक्तव्य एक वक्तव्य समझा जाय या चूं चूं का मुरब्बा समझा जायगा। उन्होंने ही कहा कि जो बड़े लोग हैं वह कहीं भी कागज के इन्दराज को सही नहीं रहने देते। तो मेरी समझ में नहीं आता कि काबिज का अख्तियार लेखपाल को देकर वह बड़ों की भलाई करते हैं या छोटों की।

मान्यवर, लेखपाल के कागज का यह हाल है कि २-२ पुश्तें बीत गईं, ३०-३० और ४०-४० वर्ष बीत गये काश्तकार को खेत जोतते, इतनी पड़तालें हुईं, स्पेशल पड़तालें हुईं, लेकिन पानी की बून्द से भी उन गरीबों का यह नहीं लिखा गया कि फलां काश्तकार इस खेत को जोतता है। खेत पर कब्जा यदि किसी किसान का लिखा हुआ है तो उस पर मवेशी चराई का झूठा जबरदस्ती मुकदमा हो गया, बाल-बच्चे, बीबी, पतोहू, सबा पर दाव दाखिल हो गया, २० पेशियां हुईं, खाने का ठिकाना नहीं, ५२-५२ मील पैदल उस गरीब किसान को जाना पड़ा और आखिर में थक कर उस मुद्दई के पांव पर गिर जाना पड़ता है कि हमें बख्श दो। काबिज खेत से इस्तीफा देकर मुकदमें से किसान छुट्टी पाता है। मैं तो कहूंगा कि लेखपाल से काबिज लिखने का अख्तियार छीन कर आप काश्तकारों का बहुत बड़ा कल्याण करेंगे और आपकी मंशा काश्तकारों की जो मदद करने की है उसकी आधी से ज्यादा पूर्ति हो जायगी।

मान्यवर, जमींदारी का एबालीशन हुआ काश्तकारों को खेत बांटने के लिये। उसके बाद बीस बार स्पेशल पड़ताल की गई, काश्तकारों को खेत लिखने के लिये। अभी-अभी सीलिंग बिल पास की गया है कि काश्तकारों को खेत दिलाया जाय। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गरीब किसानों का इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अगर कुछ हो सकता है तो लेखपाल के इस अधिकार को छीन लेने के बाद कि काबिज वह न लिखे, हो सकता है। उससे कुछ राहत किसानों को मिल सकती है। माननीय सदस्य हमारे साथ चलें गांवों में। मैं उन्हें दिखाऊं कि सन् ३५ और ३७ में जो स्पेशल पड़ताल कराई गई थी और जो बंदोबस्त हुआ था, उसमें लाखों काश्तकारों के नाम काफी खेती लिखी गई और वह उस पर काबिज रहे, खेती करते रहे, मगर आज कांग्रेसी राज्य में वे बेदखल हो रहे हैं। एक-एक गांव में ५०-५० और १००-१०० किसानों को मैं उन्हें दिखलाऊंगा कि वह बेदखल हो गये हैं।

मान्यवर, आपके द्वारा मैं माननीय विकल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ट्रेजरी बेंच से इस तरह का संकल्प प्रस्तुत करके किसानों के हक में एक बहुत बड़ी चीज उपस्थित की है। इससे गरीब किसानों को राहत मिल सकती है। मान्यवर मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको स्वीकार करे कि यह चीज अवश्य होनी चाहिये। इससे किसानों की भलाई ही होगी। प्रस्ताव बहुत सीधा-सादा है "भू-स्वामियों के अधिकारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिये उनके क्षेत्रों (खेतों) का पूरा इन्तखाब (सूची) उन्हें दे दी जाय। खसरे के कैफियत के खाने में काबिज लिखने के लेखपाल के अधिकार को समाप्त किया जाय। काबिज लिखने में भू-स्वामी तथा गांव सभा की स्वीकृति अनिवार्य हो"। इस संकल्प से कहीं से भी कोई आफत नहीं आ रही है। पता नहीं माननीय रामेश्वर प्रसाद जी को कहां मुसीबत दिखाई दे रही है जिससे वह कह रहे हैं कि इससे गरीब लोग परेशान हो जायेंगे। मैं यही कह सकता हूं कि उनकी बुद्धि पलट गई है। एक कहावत है कि किसी जमाने में पार्वती जी और शंकर जी कहीं जा रहे थे। पार्वती जी ने गरीबों को देखकर शंकर जी से प्रश्न किया कि यह क्या मामला है कि कोई सड़क पर रह रहा है तो कोई अट्टालिकाओं में रहता है। तो शंकर जी ने कहा कि तुम जानती नहीं यह अपने भाग्य में ऐसा ही लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कैसे कहते हो। अगर इनको रुपया दे दो तो इनकी तकलीफ दूर हो जायगी। तो शंकर जी ने कहा कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। दो आदमी उस रास्ते से जा रहे थे तो शंकर जी ने १,००० रुपया की गठरी बनाकर सड़क पर रख दी और कहा कि अगर भाग्य में होगा तो यह ले लेंगे। वह दोनों आदमी माननीय रामेश्वर प्रसाद जी की तरह से गप्प लड़ाते और हवाई ख्वाब देखते हुए चले जा रहे थे कि हम यह हो जायेंगे, पालिया-

मेंट्री सेक्रेटरी हो जायेंगे और जब उस गठरी के नजदीक पहुंचे तो कहने लगे कि यह समझ में नहीं आता कि अंधे सड़क पर कैसे चल लेते हैं। एक ने कहा कि मश्क हो जाती है, चल कर देखो और वे दोनों आंखें बन्द करके वह प्रैक्टिस करने लगे, नतीजा यह हुआ कि उस गठरी से काफी आगे निकल गये। तब शंकर जी ने कहा देखो पार्वती यह चीज होती है। जिनके भाग्य ही में नहीं है उनको कहां से मैं दे सकता हूं। आज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण माननीय रामेश्वर प्रसाद जी की बातों में मिल गया कि इतने सीधे संकल्प का वह विरोध कर रहे हैं कि गरीब मर जायेंगे जब कि इससे उनके साथियों को ही जिनका वह प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, फायदा होगा। परिगणित जाति के लोग ही ज्यादा इस कैफियत के लेख से पीड़ित होते हैं, गरीब किसानों ही पर इसका अमलदरामद होता है।

मान्यवर, अगर हम इसके ब्योरे में जायं तो बहुत सीधा सादा मसला है। जो सख्ती करने वाला होता है उससे सभी डरते हैं। कितने लेखपाल पीटे गये, उनके हाथ काटे गये, उनके घरों पर डकैती पड़ी, जान से मारे गये। जो लेखपाल जिनकी तादाद ५ फीसदी ही होगी अगर सही इंदराज करते हैं तो उनका यह हश्र होता है। अगर किसी बड़े आदमी के खेत पर किसी गरीब का कब्जा लिख दिया जो वाकई उस पर काबिज है तो वही लेखपाल उपरोक्त ढंग से मारा जाता है, हाथ काट दिये जाते हैं। ९५ परसेंट पटवारी यह करते हैं कि या तो इन्तखाब का ५, ७ रुपया लेंगे और दिन रात उससे अपने घर की सारी बेगार लेंगे और अगर कोई गरीब बिगड़ गया तो सीधे-सीधे कहेंगे कि अच्छा सरऊ अब तुम्हें इस गांव से बिदा ही होना पड़ेगा और उसका खेत किसी गुंडे के नाम से काबिज लिख दिया जाता है या किसी ऐसे जालिम आदमी के नाम जो लेखपाल का दोस्त होता है, काबिज लिख देता है। ऐन फसल के मौके पर वह डंडा लेकर खेत पर पहुंच जाता है और कहता है कि मेरा कब्जा है, हम काटेंगे। गरीब चिल्लाता है, दौड़ता है कि बाप के जमाने से यह खेत हमारा है। हमने इसे बोया है और यह कहता है कि हम काटेंगे। इंतखाब पटवारी ने दिया ही नहीं। देखने से मालूम हुआ कि उसका कब्जा दो साल से लिखा हुआ है। लेखपाल का कागज देखकर हम भी चुप लगा जाते हैं। पुलिस से कहा जाता है तो वह भी कहती है कि हम क्या करें। दावा करो फिर मुकदमाबाजी में कितने परसेंट पैरवी होती है, यह बताने की जरूरत नहीं है, हमारा कर्त्तव्य है कि हम सभापतियों को इस लायक बनायें, गांव वालों को इस लायक बनायें और इस मंत्रिमंडल को लायक बनायें। जब तक मंत्रिमंडल इस लायक न बन सके कि वह अपने बनाये कानून को अधिकारियों द्वारा मनवा सके तब तक इस चीज को लागू किया जाय। दिखाने के लिये तो गरीबों को भलाई की बात कही जाती है लेकिन होता है बिलकुल इसके उल्टा। इस सरकार के कार्य बिलकुल हाथी दांत की तरह दिखाने के और और खाने के और हैं। उस कानून को मनवाने के लिये सभापतियों के पास कुछ नहीं होता है। सभापति काम करने पर पीटे गये हैं, मारे गये हैं। एक नहीं, १०, २०। मेरी कांस्टिटुएंसी में ४, ५ मारे गये। सरकार और सरकारी अफसर कोई भी मदद उन गरीब प्रधानों की नहीं कर सकता।

जहां इस तरह की बात हो, लेखपाल पूरे गांव का मालिक हो अगर उससे सिर्फ कब्जे का अख्तियार छीन लिया जाता है तो वह निकम्मा बन जाता है। फिर गांव वालों को डराने, सताने तथा बेगार लेने का उसे कोई मौका नहीं रह जायगा। मेरा निवेदन है कि यह इतना मासूम और सुन्दर संकल्प है कि इसे जरूर मान लेना चाहिये। अगर मंत्री जी किसानों के बहुत हमदर्द हैं, उनकी दुहाई देते हैं तो उनके पक्ष से आये हुए इस संकल्प को उनको मंजूर कर लेना चाहिये। इसमें उन्हीं का कल्याण है। इससे गरीब आराम पायेंगे और उनको राहत मिलेगी। मुकदमेबाजी का ८० फीसदी हिस्सा इस कब्जे वाले झगड़े को खत्म कर देगा। बलवे, फसाद और दंगे ५० फीसदी इससे खत्म हो जायेंगे। इसमें नुकसान कुछ नहीं है। अगर गरीब किसानों की मदद करनी है और रामेश्वर प्रसाद जी को गरीब किसानों की हमदर्दी हासिल है, तो उन्हें मंत्री जी को राजी करके सीधे-सीधे इसे पास करवा लेना चाहिये और यह कानून बनवाना चाहिये कि जिन बड़े किसानों के पास ३०, ३५ एकड़ से ज्यादा खेत है और वे दूसरे किसानों को

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

बटाई पर, अधाई पर या लगान पर दे देते हैं तो ग्राम समाज को उस कानून द्वारा यह अधिकार दिया जाय कि वह लेखपाल तथा बी०डी०ओज० की मीटिंग में फैसला कर दे और काबिज काश्तकार का नाम सीरदार के रूप में लिखदे। वह फैसला अन्तिम माना जाय और उनकी अपील न हो सके। मुकदमेबाजी से गरीबों का भला नहीं होगा। मुकदमेंबाजी इस जमाने में इतनी महंगी हो रही है कि गरीब लोग न्याय पा नहीं सकते। उन्हें जूतों से मारा जाय, डंडों से पीटा जाय, उनकी खड़ी फसल काट ली जाय, लेकिन वह मुकद्दमा नहीं चला सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। एक गरीब ने ९ दरख्वास्तें न्याय पाने के लिये एस० पी०, डी० एम०, कांग्रेस एम० एल० एज० के पास रजिस्ट्री की हैं, मगर कुछ नहीं हुआ। आखिर में हमारे पास आ कर कहता है कि आप ही हमारी कुछ मदद कीजिये। रजिस्ट्री में ही ६, ७ रुपये उसके लग गये होंगे। इतना महंगा न्याय जिस राज्य में हो उसमें गरीब किसान और बैकवर्ड हरिजन जी नहीं सकता, जालिमों का बोलबाला होगा। गरीब मार खाते रहेंगे न्याय उन्हें नहीं मिल पायेगा।

मान्यवर, यह बहुत मासूम और और सुन्दर संकल्प है। इसे माननीय मंत्री जी मान लें क्योंकि यह उन्हीं के पक्ष से आया है। इसमें प्रैस्टिज का सवाल भी नहीं होगा। हम सहायक हैं। वह श्रेय उन्हीं को रहेगा कि कांग्रेस के लोगों ने यह संकल्प मंजूर कराया और गरीब, हरिजन तथा बैकवर्ड किसानों की मदद की है। इन शब्दों के साथ मैं रामेश्वर प्रसाद जी से फिर प्रार्थना करूंगा कि असेम्बली में चाहे कुछ कह दिया जाय, अलग मंत्री जी को समझायें कि वे इस संकल्प को मान लें।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तावक महोदय की भावना की तो प्रशंसा करता हूं किन्तु जिन शब्दों से उनकी भावना साकार हुई है उनके ऊपर हमें ठंडे दिल से विचार करना होगा क्योंकि हम व्यास्थापिका सभा के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। श्रीमन्, क्या यह सम्भव है, यदि लेखपाल इंतखाब दे भी दे तो भू-स्वामियों को स्थायित्व प्राप्त हो जायगा ? इससे क्या आसामी सीरदार हो जायगा, क्या सीरदार जो है वह भूमिधर बन जायगा, क्या ग्राम समाज की सम्पत्ति किसी दूसरे रूप में परिणत हो जायगी ? क्या लैंड रेवेन्यू मैनुअल की धारायें. . . .

श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने विषय का विस्तार कर रहा था इन शब्दों के साथ कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिये जो शब्द जोड़े गये हैं उनसे ऐसा जान पड़ता है कि स्थायित्व कोई प्रधान स्वर है और किसी विशेषण के लिये आप पटवारी से इंतखाब मांग रहे हैं तो यह अच्छा संयोग नहीं हुआ। लेकिन यदि ऐसी बात करेंगे तो हमने जो कानून बना रखे हैं जैसे जमींदारी एबालिशन ऐक्ट, लैंड रेवेन्यू मैनुअल आदि तो इन सबको पीछे जाना पड़ेगा और संकल्प को जंगल में भेजना पड़ेगा और आपका संकल्प साकार नहीं हो पायेगा उदाहरण देने के लिये जैसा कि मैंने कहा, मैं उसको दुहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन पटवारी इंतखाब दे दें जब कि आपके ग्राम समाज मैनुअल में लैंड रेवेन्यू मैनुअल में सभापति को अधिकार दिया गया है कि यदि वह तहसीलदार से शिकायत करे तो लेखपाल दंडित भी हो सकता है और यह भी दिया गया है कि उसको लेखपाल से इंतखाब प्राप्त करने का अधिकार है। केवल सैद्धान्तिक रूप से अदालतें बिखरी रहती हैं लेकिन दखलन्दाजी के लिये अमीन जाता है। इससे जोरदार शब्दों में तो जी० ओ० मौजूद हैं, मैनुअल बने हुए हैं और शासकीय आदेश उपस्थित हैं। यदि यही विवाद है कि स्थायित्व प्राप्त करने की भावना से इंतखाब पटवारी से दिला दिया जाय तो मैं समझ नहीं पाया कि माननीय विकल जी का इससे क्या अभिप्राय है ? क्या चित्र वह खींचना चाहते थे इस शब्द को जोड़कर, मैं समझ नहीं पाया। यदि कवित्व के संसार में जायं तब भी इसकी वर्ण मात्रिक दृष्टि से संगत नहीं बैठती है। भावना चाहे उनकी कुछ भी रही हो।

अब प्रश्न यह है कि लेखपाल कब का इंतखाब दे दे, वर्तमान वर्ष का दे दे या पिछले वर्ष का दे दे । (व्यवधान) श्रीमन्, एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बारह साल का इंतखाब दे दे ।

श्री अधिष्ठाता—यह पटवारियों के पास नहीं रहता है ।

श्री रामलखन मिश्र—माननीय अधिष्ठाता महोदय ने बताने की कृपा की कि बारह साला इंतखाब लेखपाल के पास नहीं रहता है ।

इसलिये माननीय सदस्य के जो ये विचार हैं, ये युक्तियुक्त नहीं हैं । खसरे में जो इन्दराज पटवारी करता है वह अर्थहीन है, नियमानुसार न करे तो किसी न्यायालय में उसको नहीं माना जायगा । यह हमने विधान में बना दिया है । लेकिन द्वितीय वर्ष में जब उसका परीक्षण हो जाता है तो वह जुडीशियल कालम में आ जाता है । तो यह स्पष्ट करना होगा कि ठीक पिछले वर्ष का, चाहे कृषि वर्ष हो, मसीहा वर्ष हो, या विक्रमी वर्ष हो, किस सन् का वह इंतखाब चाहते हैं और इंतखाब के खाने में कितने खाने वह चाहते हैं, क्योंकि इसमें विवेक की अपेक्षा है । यह बात सही है कि चाहे यह अनुशासनहीनता के कारण हो या जो देश प्रेम प्रजातंत्र के पथ पर पहुंच चुका है, उसका वातावरण ही ऐसा हो कि उसमें अनुशासनहीनता हो और उसमें जैसी कि व्यापक लालसा लक्ष्मीपुत्र बनने की है, वैसे ही लेखपाल भी करता है । जो हुकूमत के निकट हैं उनके कार्य तो कुछ सुविधाजनक रूप में हो जाते हैं । लेकिन जो नहीं है, उन्हें कठिनाई पड़ती है । मैं ऐसा महसूस करता हूं और इसमें दो मत नहीं हैं । लेकिन उसके और तरीके भी हो सकते हैं । यदि संकल्प स्पष्ट हो जाय तो उसका भी कोई नियम बनाया जा सकता है । लेकिन इस समय यह बात नहीं है ।

मेरा ऐसा अनुमान है कि आज से पांच वर्ष पहले माल विभाग की एक समिति के सामने यह प्रश्न था । उसमें सारे प्रदेश के जिलाधीश बुलाये गये थे । उसमें मैं भी निमंत्रित हुआ था । हम लोग विवाद करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे थे कि लेखपाल को काबिज के कुछ इंदराज करने होंगे । कितने करने होंगे यह निश्चित नहीं हो पाया । मैंने थोड़ा-सा पहले प्रकाश डालने का प्रयत्न किया, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं कि संकल्प में एक भ्रान्ति है । भू-स्वामियों को स्थायित्व की प्राप्ति इंतखाब से नहीं होगी । अगर इसका रूप स्पष्ट हो जाय तो वह लैंड रेकार्ड्स मैनुअल में स्थान प्राप्त कर सकेगा और फिर वह तहसीलदार या सुपरवाइजर कानूनगो के कर्त्तव्यों में आ जायगा ।

संकल्प का जो दूसरा भाग है वह सेल्फ कंट्रेडिक्टरी है । कहा गया कि काबिज के खाने में इंदराज करने का लेखपाल का अधिकार समाप्त कर दिया जाय । लेकिन ठीक उसी के बाद है कि ग्राम सभा के सभापति और भू-स्वामी की स्वीकृति उसमें अनिवार्य की जाय । क्या अनिवार्य किया जाय ? वह जब कोई लिखने पढ़ने का प्रश्न रखेंगे तभी तो अनिवार्यता सामने आयेगी । क्या वह यह समझते हों कि अगर हम उसमें किसी तरह से सफल न हों, या सदन को किसी तरह से प्रभावित न कर सकें तब अनिवार्य का रूप रखा जाय ? तो ये दोनों भाग एक दूसरे में समाहित नहीं होते हैं । एक दूसरे के पूरक नहीं होते । अब कोई अपने कला कौशल से, बुद्धि वैभव से कोई प्रयत्न करे तो यह एक बात हो सकती है लेकिन जब तक उसका प्रत्युत्तर न दिया जाय तब तक वह बात अपनी जगह पर रह जाती है ।

अब रह गई यह बात कि लेखपाल को कब्जा लिखने का अधिकार नहीं रहना चाहिये । यह सत्य है कि सारे प्रदेश में बहुत जगहों पर अर्थ का अनर्थ होता है लेकिन इसके साथ ही साथ हमें यह विचारना होगा कि यदि कोई सीरदार यहां से नैपाल चला जाता है और अपनी उस होल्डिंग को, अपने खेत को छोड़ जाता है तो क्या उसके ऊपर कब्जा लिखने का अधिकार लेखपाल को नहीं होना चाहिये ? यदि यह ग्राह्य है कि इस कार्य को लेखपाल न करे तो प्रस्तावक महोदय को इस विषय में अपनी भावना को साकार करना चाहिये कि कौन इस कार्य को सम्पन्न करेगा । एक सीरदार का स्वामित्व राज्य सरकार में आता है । उस सीरदार के प्रश्न पर कौन निश्चित

[श्री रामलखन मिश्र]

करेगा ? अगर सीरदार लावारिस मर जाय और दूसरे का कब्जा हो जाय तो उसका प्रकटीकरण कौन करेगा । और कैसे होगा ? क्या यह सदन यह नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर सही इन्दराज हो ? यदि कोई मनुष्य विदेश चला जाय, बर्मा चला जाय, थाइलैंड चला जाय, तो क्या किया जाय ? एक यह विचारणीय प्रश्न है जिसके ऊपर विचार करके उत्तर देना पड़ेगा । उसमें यदि लेखपाल को न रखा जाय तो दूसरा रखें लेकिन उसको पूरक अंग बनायें । जब हम विचार करें कि आपका लेखपाल वह काम न करे तो उसकी पूर्ति करनी होगी ।

दूसरे यह भी सोच लें कि ग्राम समाज की सम्पत्ति के ऊपर यदि कोई अतिक्रमण कर ले तो क्या वह अतिक्रमण करने वाला रह जाय और वह लेखपाल उसको राज्य सम्पत्ति के ऊपर लिखे नहीं । उसमें कोई बात जरूर आ जाय । तो हमें विचार करना होगा कि जो उसका अधिकार है उससे कैसे उसको छुड़ाया जाय ? इसलिये एक उदाहरण नहीं है, इसके अनेक उदाहरण हैं जो दिये जा सकते हैं और जिनकी हमें सूची बनानी होगी और हमें उनके ऊपर बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा । केवल धुंआधार व्याख्यान देने से या धारा प्रवाह अपने विचार प्रकट करने से वह किसी तथ्य पर नहीं पहुंच सकेंगे । एक भौतिक बात मैं सदन के सम्मुख उपस्थित करना चाहता हूं । हमने यह नियम बनाया कि कोई भी भू-स्वामी खेत जोत सकता है, लेकिन जुतवा नहीं सकता है. . . .

श्री अधिष्ठाता—आप जरा रुक जायं । सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा और संकेत माननीय सदस्यों के सामने कर रहा था । उसमें यदि माननीय सदस्य थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो या तो कानून में परिवर्तन करेंगे या उसको कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेंगे । यह एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जिस पर सारा जमींदारी एबालिशन ऐक्ट आधारित है और जो उसके प्राण प्रतिष्ठित करता है । वह यह है कि कोई भू-स्वामी स्वयं जोत सकता है जब कि वह अक्षम न हो, अल्पवयस्क, विधवा आदि का बन्धन न हो । कोई भू-स्वामी खेत को जोतने के अतिरिक्त जुतवा नहीं सकता है । तो यह हमारे गांव सभा के सभापति की लापरवाही है कि जो ग्रांवसमाज को सम्पत्ति मिलती वह उसको नहीं मिलती । कई गांवों में यह बात हुई है । यदि कोई अपने भूमिधरी के खेत को, सीरदारी के खेत को या किसी खेत को, जो अक्षम नहीं है, यदि वह किसी दूसरे को जोत के लिये देता है तो कानूनन् वह स्वयं बेदखल का मुस्तहक है और जो शख्स उस पर काबिज होता है वह भी, चूंकि गांव समाज से उसका कोई बंधन नहीं होता इसलिये काबिल बेदखली होता है । तो दोनों व्यक्तियों के काबिल बेदखली होने के कारण होने वह भू-संपत्ति ग्राम समाज की हो जाती है । यह विषय इसलिये संकेत में आया है कि हमने एक बंधन बांधा है जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में कि अगर कोई व्यक्ति अपना क्षेत्र किसी दूसरे व्यक्ति को देता है तो वह काबिल बे-दखली हो जाता है । तो आप इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर रखना चाहते हैं । आप लेखपाल पर न रखें, सभापति पर रखें, लेकिन सभापति सोचता है कि वह क्यों इस तरह की तमाम जिम्मेदारी अपने ऊपर ले । आप अगर कोई नियम बनाते हैं तो उसके पालन के लिये भी आपको आवश्यक कदम उठाने चाहिये । आप कानून के द्वारा जो कराना चाहते हैं उसे ऐक्शन में लाने के लिये आपको आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे । इस आप शब्द का प्रयोग मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को संबोधित करते हुए कर रहा हूं । तो अगर ऐसा कर दिया गया तो प्रदेश के सामने मुकदमें बाजी की भीषण समस्या आ कर खड़ी हो जायगी । लेकिन अपनी जगह पर ये विषय हैं बहुत महत्वपूर्ण । गांव-गांव में बहुत से लोग अपने खेतों को दूसरे लोगों को जोतने के लिये दे देते हैं ।

(लाल बत्ती जलने पर)

मैं तीन चार मिनट में ही अपने भाव को भाषा में ला दूंगा । कृपया आप इतना समय देने की कृपा करें । तो गांव-गांव में यह व्यवस्था है और ग्राम समाज

वंचित रह जाता है उस अतुल संपत्ति से, उस भू-संपत्ति से, जो उसे मिलनी चाहिये; क्योंकि ग्राम सभापति कानून का पालन नहीं करवाते । छोटे-मोटे रूप में और इस निर्वश वातावरण में यदि लेखपाल किसी का कब्जा लिख दे और लिखने के बाद कानून उसका परीक्षण करे, जैसा कि विधान में है, तो काम चल सकता है । और अगर आप उसे न रखें, सभापति को अथवा किसी और को रखें, और भले ही किसी अन्य प्रकार का बंधन बांधे, लेकिन आप को उस जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के क्लाजेज का पालन कराने के लिये, उस व्यवस्था को साकार-रूप देने के लिये आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे । ऐसा न होने से महा अनर्थ होने की संभावना है । इसीलिये इस संकल्प में विचार दोष तो है, साथ ही यह परिपूर्ण रूप से बंधन में बांधा भी नहीं गया है । इसकी जो भावना है उसका प्रकटीकरण करने का प्रयास तो प्रस्तावक महोदय ने अपने भाषण में किया है, लेकिन प्रसंग में सारी बातों की ओर उनका ध्यान नहीं गया है । यदि कोई संकल्प लाया जाय तो चारों तरफ से बंधन में बांध कर लाना चाहिये ताकि उसके अनुसार हमारे अन्य कानून संशोधित भी हो सकें और उसे साकार रूप भी दिया जा सके और जो कानून हमने बनाये हैं वे चरितार्थ भी हों सकें । संसार में बड़ा कठिन काम अपने भावों को भाषा में लाने का होता है । योग्यता के होते हुए , हृदय में जो भाव हैं, उनको मैं भाषा में स्पष्ट कर सका अथवा नहीं यह तो बुद्धिमानों की समझने की बात है, मैं इसे नहीं समझ सकता कि मैं अपने प्रयत्न में सफल हुआ अथवा नहीं, लेकिन चूंकि समय बहुत हो गया है और आपने मेरी प्रार्थना पर मुझे कुछ अधिक समय देने का भी यत्न किया है इसलिये आपको धन्यवाद देते हुए इन शब्दों के साथ मैं बैठता हूं ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—हमको भी तो धन्यवाद दीजिये । हमने आपके भाषण को ध्यानपूर्वक सुना है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं कि माननीय विकल जी ने यह जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है वह बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है । इसके द्वारा, जो प्रदेश के गरीब किसानों को कठिनाई महसूस होती है अपने खेतों के इंदराज के बारे में, उसके सम्बन्ध में वे एक बहुत ही प्रगतिशील कदम उठवाना चाहते हैं और माननीय मिश्र जी ने जो अभी इसकी तशरीह की इस भूमिका के साथ कि अपने भावों को भाषाबद्ध करना बड़ा कठिन कार्य है और शंका व्यक्त की कि आया सुनने वालों ने उनके भावों को ग्रहण किया या नहीं तो मैं तो उनमें हूं जो उनकी बातों को गौर से सुनते हैं क्योंकि उनके भाव लम्बे-चौड़े भले न हों लेकिन भाषा बड़ी संस्कृतमय और प्राञ्जल होती है जिसको सुनकर बड़ा आह्लाद होता है

प्रस्तावक ने प्रस्ताव में तीन मुख्य अंशों पर प्रकाश डाला गया है । पहले अंश में प्रस्ताव के यह है कि जो भू-स्वामी है उसके पास उसके खेत की सूची, उसके पूरे कागजात होने चाहिये । रेवेन्यू मैन्युअल में जो धारायें लिखी गयी हैं उनके अनुसार रोज गवर्नमेंट के अर्द्धशासकीय और शासकीय परिपत्र जारी होते हैं किन्तु क्या हालत है ? श्रीमन्, यहीं आया था कि खेत कामालिक वह जो उसको जोते बोये लेकिन असल में कागज में कोई और है और नकल में वह है । असल और नकल दोनों में बड़ा फर्क है । अगर इस प्रस्ताव के पहले अंश को यह सरकार मान ले और एक खेत की जितनी सीमा है, जितना उसका नम्बर है, नक्शे में उसकी जो स्थिति है वह उसको दे दे तो फिर शक शुबह की गुंजायश न रहे । हां, १०,१५ साल के बाद उसमें परिवर्तन, परिमार्जन, यदि कोई हो, कर दिया जाय लेकिन जो भी उसके पास कागज रहे वह स्थिर रहे तो मैं समझता हूं कि कचेहरियों में जो मालिकाना से सम्बन्धित मुकदमे पड़े हुए हैं वह खत्म हो जायं और प्रदेश का किसान जो गरीबी, कर्जे और बेकारी के बोझ से दबा हुआ है उससे छुटकारा पा जाये । मगर मिश्र जी ने अभी इशारा किया था, यह पूछेंगे कि कौन सी सूची चाहते हैं । रेवेन्यू मैनुअल की बात के लिये तो मैं कहता हूं कि छोड़ दिया जाय । एक खातेदार के पास जितने खाते हों उसका क्या क्षेत्रफल है, उसके खेत का क्या नक्शा है, अगर मेंड़ के खेत हैं तो कहां कहां निशान उसके हैं यह नक्शा उसको बनाकर दे दिया जाय तो उसका कल्याण हो जाय ।

[श्री उग्रसेन]

और यह कोई नई बात भी नहीं है, जिन मुल्कों में बटवारा होता है वहां ऐसा होता है। अभी बर्मा में हुआ। जब थाकिन नू की सरकार आयी और राष्ट्रीयकरण की बात आयी तो उन्होंने मुरब्बा बनाकर वर्गाकार खेत बांट दिये उन्हें बता दिया गया कि इस क्षेत्रफल के आप मालिक हैं। मैंने नहीं देखा कि वहां इतनी खसरा खतौनी हो।

तो पहला अंश बहुत जरूरी है इसलिये कि किसान जोतता है, बोता है लेकिन जो सफेदपोश लोग होते हैं वे चुपके से खसरा खतौनी पर अपना हिसाब लगाकर अपनी पाकेट में रखे रहते हैं, किसान मारा जाता है। एक ओर किसानों को जहां और जमीन देने की बात की जाती है वहां दूसरी तरफ उसके खेतों की धड़ल्ले से बेदखलियां हो रही हैं, फिर से दाखिल खारिज हो रहे हैं। यह क्यों हो रहा है ? इसलिये उसके पास कागजात रहें ताकि उसको कोई चैलेंज न कर सके और उसको यह मालूम रहें कि वह उसका मालिक है। यह हो जाय जो सारी मुकदमेबाजी भी खत्म हो जाय और लोगों को राहत मिले।

अब दूसरी बात रही काबिज लिखने की। यह बात बहुत पहले से विचारणीय है और विरोधी पक्ष की तरफ से इस सदन में कही जाती रही है कि लेखपालों को पटवारियों से भी ज्यादा अधिकार दिये हैं। एक किताब माननीय चरणसिंह जी ने लिखी थी "लेखपाल नाऊ ऐण्ड देन" (Lekhpal now and then) हमने उसको पढ़ा था। उसमें यह स्पष्ट लिखा था कि हमने तो पटवारियों से ज्यादा अधिकार छीन लिये हैं और उनको कोई खास अधिकार नहीं दिये हैं। हमने तो महज काबिज के खाने में इन्दराज करने के अधिकार दिये हैं। माननीय मिश्र जी ने अभी कहा कि काबिज के खाने में अगर इन्दराज है और उसकी जांच-पड़ताल फिर से साल में नहीं होती तो उसको माना नहीं जाता। कोई कचेहरी भी एक साल के इन्दराज को नहीं मानती है। तो जब उसको माना ही नहीं जाता है तो आखिर इस अधिकार को देने से और स्याही खर्च करने से क्या फायदा ? इसका मतलब यही है कि सरकार कानून की आड़ लेकर कचेहरियों को दूर रखती है लेकिन साथ ही साथ यह कहती है जिसका काबिज के खाने में नाम है वह मालिक है। इसका मतलब यही होता है कि वह पहले मारपीट कर ले और फिर थाने जाय और फिर कहा जाय कि तुम्हारा मुकदमा खारिज हो गया। यह सब क्या है ? सरकार को इस पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये।

सन् १९५९ के बाद जो सरकार की तरफ से जी० ओज० गये उनमें से एक जी० ओ० के अनुसार मैंने भी अपने क्षेत्र की जांच पड़ताल की। मैंने खुद कुछ क्षेत्रों की जांच पड़ताल की थी। मैं समझता हूं बहुत से विधायकों ने जांच की और जिन्होंने जांच की होगी तो उन्हें पता होगा कि खसरे के खाने में तो गलतियां होंगी ही, मगर खतौनी के खाने में भी बहुत सी गलतियां हैं। नाम उसमें किसी का होता है और जोतता उसको कोई दूसरा ही आदमी है। इस तरह की गलतियां देखने को मिलीं। जो वास्तव में जमीन का मालिक है, जिसने अपना खून पसीना बहा कर पहाड़ों को काटा, कटीली जड़ों को काटा, मेहनत की और उस जमीन को कृषि योग्य बनाया, लेखपाल की कृपा से वह बेदखली का शिकार होता है। जब कानून के अनुसार कचेहरियों में उसका कोई महत्व ही नहीं है, तो फिर इस प्रकार का अधिकार देने से क्या फायदा ? वह लेखपाल आज उस अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है।

(इस समय २ बजकर ४० मिनट पर अधिष्ठाता, कुंवर श्रीपालसिंह, पीठासीन हुए।)

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत जरूरी है कि हमको इस बात की जानकारी हो कि किस खेत में क्या बोया गया है और किसने उसको बोया है। इसकी कोई एजेन्सी होनी चाहिये जिसके द्वारा सही-सही जानकारी इस बात की हो सके। इसके लिये लेखपाल को जो एजेन्सी बनाया गया है उसकी जरूरत नहीं है। आपको तो इसके लिये एक कमेटी बनानी चाहिये। जिस तरह से हमारे यहां पर काम के लिये इस हाउस की कमेटियां हैं, उसी

तरह से हर गांव समाज के अन्दर इस तरह के कार्य के लिये आप कमेटी बना दीजिये जो इस बात को देखे और उसकी सही जानकारी रखे। सोशलिस्ट पार्टी हमेशा यह मानती रही है कि "जोते बोये वही किसान" यानी जो आदमी जोतता है, बोता है, वही असली किसान है। इसलिये यह जरूरी है कि हमको इन बातों की सही-सही जानकारी हो कि किस खेत में किसने बोया है और क्या बोया है।

श्रीमन्, जब क्राप कटिंग की जाती है तो उस समय केन्द्रीय सरकार को आंकड़े जाते हैं और उसमें यह जरूरी होता है कि फसलों के बारे में जानकारी हो। उसके लिये जब तक फसलों की निशान-देही नहीं होगी, यह पता नहीं चलेगा कि कौन स्लीपिंग पार्टनर है, कौन ऐक्टिव है, कौन जोतता बोता है और क्रियाशीलता दिखलाता है और कौन सुस्त पड़ा हुआ है। सरकार कहती है कि हम तृतीय योजना में सत्ता का हस्तांतरण करेंगे, नयी रचना करेंगे और चुनी हुई सत्ता में वह निहित होगी। तो ऐसी अवस्था में आप चुनी हुई समितियों को, जो बालिग मताधिकार पर चुनी हुई हों, ऐसा अधिकार दे दीजिये मगर भैयाजी को यह काम न दीजिये। यह जो भ्रष्टाचार और घूसखोरी है, यह तो दिल्ली में ही, गंगोत्री, जमनोत्री में ही भरी पड़ी है, उसको निकालना जरूरी है, नीचे की गंडक, वरुणा, आदि नदियों की सफाई से कुछ होने वाला नहीं है। जो अधिकार आपने उनको दिया है उससे प्रदेश के किसानों का कोई भला नहीं होता और कोई कानून शक्ल भी इसकी नहीं बनती है, इसलिये यह भी बहुत जरूरी नहीं है।

तीसरी बात का जवाब जो प्रस्ताव में है उसका जवाब तो करीब-करीब हो गया। उसमें है कि वहां भू-स्वामी और गांव सभा के सभापति के बिना इन्दराज न हो। वह तो कानून में लिखा हुआ है कि गांव सभा के सभापति की उपस्थित में पड़ताल होनी चाहिये और लेखपाल उसकी एक प्रति सभापति को भी दे। तो झूठ बोलना पाप है, ठीक है, सभी कहते हैं, सबको सत्य बोलना चाहिये, कोई बहुत अनिवार्य नहीं किया गया है, मगर जब गांव सभा के सभापति की बिना राय, बिना उसकी बनायी हुई समिति की राय के अगर इन्दराज होता है और वह अवैध माना जाय तब लेखपाल के लिखने का कोई असर नहीं होने वाला है। तो कानूनों में अगर सरकार को सुधार करना है और यह जोत सीमा विधेयक पास किया है उससे बहुत सी समस्याएं खड़ी हो जायंगी। अगर मंत्री जी इस बात की जांच करावें कि किन जिलों में पड़ताल की कितनी गलतियां हुई हैं एक साल में तो वह करोड़ों की संख्या हो जायगी। जहां तक मुझे खयाल है---अगर मंत्री जी की अपनी जानकारी हो तो बतायें---आजमगढ़ के ३० हजार मामले गलत पड़ताल के आये जबकि वह कुछ ही अंश की हुई थी। हमारे क्षेत्र में की जाय, एक क्षेत्र में तीन, साढ़े तीन सौ गांव होते हैं, तो एक क्षेत्र में १५-२० हजार गलतियां भी हो सकती हैं। पटवारी के कागज में लिखा है रामदेव, हालांकि बामदेव जोतते हैं लेकिन काबिज रहेंगे रामदेव। माननीय मंत्री जी लड़ते-लड़ते हैरान कर देंगे कि नहीं रामदेव जोतते हैं, लेकिन वह तो कागज जोतते हैं और बामदेव खेत जोतते हैं। तो जब भूमि प्रति व्यक्ति बहुत कम है बमुकाबले राजस्थान, पंजाब और मध्यप्रदेश के तो जब उस बची-खुची जमीन के कायदे-कानून सरल नहीं बनाये जायंगे, ठोस नहीं बनाये जायेंगे, किसानों के हक में अनिवार्य नहीं बनाये जायेंगे तब तक यहां के किसानों का, यहां की ७५ फीसदी जनता का कोई कल्याण नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय रामचन्द्र विकल के संकल्प का समर्थन करता हूं।

(श्री नवलकिशोर का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---आपके कहने के पहले मैं माननीय नवलकिशोर जी को बुला चुका हूं, इसलिये इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, माननीय विकल जी ने जिन भावनाओं से प्रेरित होकर और जिस उद्देश्य से यह संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं उसकी सराहना कहता हूं और प्रशंसा करता हूं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमारे भूमि सम्बन्धी जो रिकार्ड्स हैं, खसरा और खतौनी में जो इन्दराजात हैं, उनमें बहुत गलतियां हैं। यह बात भी सही है कि किसानों को इन्तखाब लेने में आज भी बहुत कठिनाई होती है और जैसा कि मेरे भाई उग्रसेन जी ने कहा कि किसी-किसी गांव में तो १०–१०, १२–१२ हजार गलतियां हैं, उन्होंने कुछ बढ़ा कर बात कह दी होगी, लेकिन यह सही है कि गलतियां हैं। मुझे भी तीन चार गांवों में परताल के समय जाने का इत्तफाक हुआ, हो सकता है वहां का पटवारी अच्छा रहा हो, वहां पर ५–६ प्रतिशत से अधिक गलतियां नहीं थीं। बहरहाल यह बात सही है कि बहुत बड़ी तादाद में गलतियां हैं। उन गलतियों को ठीक होना चाहिये और भू-स्वामियों को परमानेन्सी (स्थायित्व) मिलनी चाहिये।

लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो दवा बतायी गयी है, चाहे उसमें सिद्धांत रूप में किसी को आपत्ति न हो, लेकिन वह व्यावहारिक नहीं है। मिसाल के तौर पर यह अनुमान है कि हमारे प्रदेश में छोटे बड़े २ करोड़ खाते हैं और जैसा कि उग्रसेन जी ने कहा कि एक–एक खाते में १०–२० गलतियां होती हैं, अगर १० या १५ प्रतिशत भी गलतियां मान ली जायं तो मामूली तौर से २०–३० लाख आपत्तियां हो गयीं। जिनको दूर करना बड़ा भारी काम है। वह न भी हों और यह भी मान लिया जाय कि रिकार्ड सही है। तब भी एक-एक फार्म की ३–४ कापी बनानी होगी। इस प्रकार से ८–१० करोड़ फार्म चाहिये जिनको भर कर काश्तकार को देना होगा। उसमें बेहद कागज पूरा करने में बहुत बड़ा समय लगेगा और अभी इस बात का भी अन्दाजा नहीं किया गया है कि सरकारी खजाने का खर्चा इसमें कितना होगा।

दूसरी बात इसमें यह भी है कि जब इतनी बड़ी तादाद में फार्म्स बनाये जायेंगे तो उनके चेकिंग की भी आवश्यकता होगी। उसके माने यह है कि जो सुपरवाइजरी स्टाफ कानूनगो और तहसीलदार आदि हैं, उनके ऊपर भी कार्यभार बहुत हो जायगा।

इसके अतिरिक्त बावजूद इसके कि भूतपूर्व माल मंत्री ने हजारों की तादाद में पटवारियों को निकाला और उनके इस्तीफे मंजूर किये, उनका नाम भी बदल दिया लेकिन उनके जोपुराने संस्कार थे उनमें कोई तब्दीली नहीं हुई। यही कारण है कि आज भी भ्रष्टाचार है और किसानों को चार–आठ आने में इन्तखाब नहीं मिलता है और २–४ या ५ रुपया तक देने पड़ते हैं।

इस स्थित में हमें देखना यह है कि लेखपालों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिये हमारे पास कानून है या नहीं। अगर कानून है तो इसके मानी ये हैं कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी है। इसलिये बेहतर तो यह है कि हम सरकार का ध्यान इस ओर दिलायें और अपनी भी तवज्जह इस तरफ रखें कि खामियां हैं या नहीं और अगर हैं तो वे किस प्रकार से दूर की जा सकती हैं।

तीसरी बात यह है कि यहां सवाल सिर्फ इस बात का है कि सरकारी खर्चे पर इन्तखाब मिलना चाहिये वरना जहां तक इन्तखाब लेने का प्रश्न है, जितने भी गांव सम्बन्धी रेकार्ड व रजिस्ट्र्स हैं उनके मुआयना करने का अख्तियार हर काश्तकार को है।

जैसा कि मेरे भाई उग्रसेन जी ने भी कहा कि पैराग्राफ २६ के मुताबिक काश्तकार को इस बात का हक है कि वह अपना इन्तखाब ले सके। तो इन्तखाब लेने के अन्दर जो दिक्कत पड़ती है उस दिक्कत को दूर करने का यहां कोई सवाल नहीं है, केवल प्रश्न यह है कि उसे सरकारी खर्चे पर इन्तखाब दिया जाय। मान लीजिये कि एक मर्तबा दे भी दिया जाय तो भी उससे परमानेन्सी तो हो नहीं जाती क्योंकि उसके बाद भी म्यूटेशन होता है, तमाम चीजें चलती हैं। तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर जितना रुपया खर्च होगा जितना परिश्रम होगा उसके हिसाब से यह चीज ज्यादा उपयोगी नहीं बैठती है। यह मैं खुद जानता हूं कि रबी व खरीफ के

बाद पड़ताल होने पर उसकी तीन-चार कापियां बना कर काश्तकार व जिसका कब्जा हो उसको देने का कायदा है, हालांकि मैं मानता हूं कि वह चीज कागज पर होती है, आमतौर से कापियां दी नहीं जाती है। तो कोशिश यह करनी है कि ये चीजें दी जायं। तो मैं समझता हूं कि जो दवा इसमें बतलायी गयी है वह बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी बात नहीं है। केवल कानून बनाने से काम नहीं चलता जब तक कि सही वातावरण विभाग पैदा न करे।

एक दवा विकल जी ने बतलायी है कि खाना कैफियत के अन्दर जो कब्जा लिखने का हक है वह पटवारी को न दिया जाय। तो एक बात सोचने की यह है कि वह कौन सी एजेंसी पैदा की जाय। उन्होंने आगे चल कर उसकी भी एक बात बतलायी है। इस सम्बन्ध में जो मुझे कठिनाई दिखलायी पड़ती है वह यह है कि मालगुजारी और लगान की वसूली के लिये यह आवश्यक है कि जो हमारे गांव का रेकर्ड हो वह अप-टु-डेट होना चाहिये और उसके लिये आवश्यक है कि जब तक हम कोई दूसरी एजेंसी न बनावें तबतक जो हमारे प्रदेश में एजेंसी हैं उससे काम लें। उसको बिलकुल निकम्मा या अकर्मण्य कर दें तो उससे अप-टु-डेट रेकर्ड नहीं बन सकता। इसका दूसरा प्वाइंट आफ व्यू भी हो सकता है, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि करीब दो करोड़ के खाते हमारे प्रदेश में हैं और अधिक नहीं तो कम से कम दो तीन परसेंट ही म्युटेशन के केस मान लें तो इसका माने यह हुए कि साल में करीब ६ लाख के खाते हो गये जिनके अन्दर म्युटेशन की कार्यवाही होगी। अगर लेखपाल को इसके लिये अख्तियार नहीं देते हैं तो और जरिये से इन चीजों के तै करने में विलम्ब होगा और उसकी वजह से बहुत से काश्तकार भाइयों को ज्यादा हैरेसमेंट, परेशानी और तकलीफ होगी और वसूली के कामों में काफी दिक्कत होगी और मैं समझता हूं कि इससे काफी देर हो जायगी।

तीसरी बात यह है कि खाना जो कैफियत का है, यह बात सही है कि आमतौर से पटवारी साहब किसी वजह से या किसी स्वार्थ की वजह से किसी की जमीन हो और किसी के कब्जे में लिख देते हैं। लेकिन उसके साथ ही यह बात भी सही है कि बहुत से साहब नाजायज तौर पर उसका ट्रांसफर कर देते हैं, सब-लेटिंग कर देते हैं तो उसके लिये एक ही तरीका है कि हमारे पास जो खाना कैफियत है उसमें अपनी मालूमात करके जिसका कब्जा हो उसको लिख दिया जाय क्योंकि कानून के हिसाब से काबिज और लैंड होल्डर दोनों एक ही होने चाहिये, दो नहीं होने चाहिये। तो उसकी चेकिंग के लिये भी यह बात बहुत आवश्यक है। एक चीज यह भी है और हमारे यहां नियम है—जहां तक चेकिंग का तरीका है उसे लेखपाल को ही गांव प्रबन्धक समिति के सामने करना चाहिये और उसकी जांच अन्य अधिकारी को अगर कोई लेखपाल से इन्तखाब मांगे तो उसे इन्तखाब दे देना चाहिये। लेकिन अगर कोई लेखपाल इन्तखाब मांगने पर देने से इन्कार करे तो चेयरमैन लैंड मैनेजमेंट कमेटी को अख्तियार है कि वह लेखपाल से कहे कि इनको इन्तखाब दिया जाय। अगर उसकी बात भी वह न माने तो उसको इस बात का अधिकार है कि वह उसकी शिकायत तहसीलदार से या एस० डी० एम० से कर दे ताकि उसके ऊपर सख्ती हो सके। लेकिन एक बात कही जाती है कि बावजूद इस कानून के चेयरमैन लैंड मैनेजमेंट कमेटी की बात को लेखपाल नहीं मानते। यह बात बहुत हद तक सही और ठीक है। लेकिन मान्यवर, जब हम जनतंत्र और विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता ही उसे कर सकेंगे। इसकी जिम्मेदारी जो हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे गांव सभापति हों, चाहे लैंड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हों या राज्य स्तर पर हों, उनके ऊपर भी आती है कि वे कहां तक हावी हैं, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर। और मैं जो संकेत करता था वह यह कि इस तरह का नियम है, यह भी है कि लेखपाल के इन्दराज के ढंग पर भी काफी पाबन्दियां हैं और कानून मौजूद है जैसा कि मैंने कहा कि जो इन्दराज वह करते हैं वह जाब्ते में होते हैं या नहीं होते हैं इसका चेकिंग सुपरवाइजर कानूनगो, नायब-तहसीलदार और तहसीलदार को करना चाहिये। जिस बात को मैं कहता हूं वह यह है कि

[श्री नवलकिशोर]

हमारे पास नियम हैं, गांव समाज मैनुअल में भी अधिकार हैं कि लेखपाल की ज्यादतियां या भ्रष्टाचार को हम रोक सकें लेकिन वह तभी हो सकता है जब हम थोड़े से व्यावहारिक हों।

तीसरी बात माननीय विकल जी ने यह कही कि यह जो इन्दराज हों वह गांव सभाओं के सामने हों और भू-स्वामियों के सामने तथा उनकी सहमति से हों। इसमें कुछ कठिनाइयां हैं। मैं गांव सभाओं की स्थिति जानता हूं और मुझसे ज्यादा विकल जी जानते हैं कि ज्यादातर गांव सभाओं की मीटिंग नहीं होती और कागजी कार्यवाही होती है तो कैसे इत्मीनान हो कि परताल के वक्त तमाम गांव सभा के मेम्बर जमा हो सकेंगे और देखेंगे कि सही इन्दराज हुए हैं। दूसरी बात यह है कि अगर भू-स्वामियों के स्वार्थ के खिलाफ एन्ट्री होगी तो वह हरगिज अपनी सम्मति नहीं देंगे। तीसरी बात यह है और जिसको सब भाइयों ने माना है कि काबिज को भी कापी मिल जाती है और असली काश्तकार को भी मिलती है तो उनको पता तो चल ही जाता है कि मेरी जमीन में क्या बात है और क्या इन्दराज किया गया है।

जहां तक इस प्रस्ताव के उद्देश्य की बात है इसमें कोई दो राय नहीं हैं और जो आम कठिनाइयां हैं उनके बारे में भी कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस विषय में इधर के और उधर के उन भाइयों ने जिनका २४ घंटे रात दिन किसानों से सम्बन्ध है, जो कठिनाइयां बताई हैं उनके ऊपर वह संजीदगी से विचार करें। बावजूद इसके कि इस दिक्कत को दूर करने के लिये कानून बना, सख्ती हुई, लेखपालों की ताकत कम की गई लेकिन वास्तव में यथार्थ स्थिति यह है कि आज भी वह अपने गलत तरीकों को इस्तेमाल करते हैं। लैंड मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन साहब हैं तालीम की कमी की वजह से या मजबूत न होने के कारण वह उनके ऊपर हावी नहीं हो पाते हैं। इसलिये अच्छा हो कि उन खामियों को सरकार के द्वारा दूर किया जाय। विकल जी के उद्देश्य से मैं पूर्णतया सहमत हूं लेकिन मेरा विश्वास है कि जो दवा पेश की गई है उसमें सिद्धान्त की बात न रहते हुए भी वह व्यावहारिक नहीं है, प्रेक्टिकल नहीं है।

श्री मुरलीधर कुरील—श्रीमन्, अब बहस बन्द की जाय।

श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—मैं इसका, श्रीमन्, विरोध करता हूं। अभी बहस जारी रखी जाय। अभी बहुत लोग बोलना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता—तो अभी एक दो भाषण और हो जायं, उसके बाद देखा जायगा।

श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय विकल जी की ओर से जो यह प्रस्ताव आया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। परन्तु माननीय रामेश्वर प्रसाद जी के भाषण को सुन कर तो मुझे एक अविश्वास सा पैदा हो गया कि जब उन्होंने यह चैलेन्ज किया कि पटवारी कभी गलती नहीं करते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन जिलों में किसी भी तहसील में चकबन्दी हो रही है—यह मेरी तरफ से नहीं बल्कि चकबन्दी कर्मचारियों की तरफ से रिपोर्ट है—८५ प्रतिशत इन्दराज गलत पाये गये हैं, और आप ऐसा चैलेन्ज करते हैं कि पटवारी भगवान होता है, गलती नहीं करता है। आज लेखपाल ने हमारे समाज के अन्दर कितनी विषमता पैदा कर दी है। अपनी कलम द्वारा गलत इन्दराज करके किसानों के ऊपर कितनी मुसीबत ढा रहा है। किसान कागज तो जोतता नहीं है, वह तो खेत जोतता है। लेकिन कुछ लोग जो अपने को किसान कहते हैं—मैं तो नहीं कहता, न उनकी शक्ल ऐसी है और न वह किसानी जानते ही हैं—वह कागज जोता करते हैं। जब किसी किसान को कागज की बात जानने की जरूरत होती है तो वह परेशान होता है, लेखपाल से कागज मांगना शुरू करता है। लेकिन लेखपाल कागज देने से इन्कार कर देता है। इसके पहले जो पटवारी थे वह २—४ रुपये में इन्तखाब दे देते थे या चार आना तलबाना लेकर दे दिया करते थे। लेकिन यह तो १०—१५ रुपये से लेकर १००—१५० रुपया तक ले लेते हैं। मैं तो कहता

हूं कि यह छोटा कर्मचारी लेखपाल सरकार के ऊपर हावी हो चुका है और सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि इसका कुछ भी कर सके जब कि सरकार बार-बार चिल्लाती है कि खेती के अन्दर प्रगति नहीं हुई है। जमींदारी एबालीशन इसलिये किया गया कि खेती के अन्दर प्रगति हो और उद्योग धन्धे बढ़ें। लेकिन १२ वर्ष के शासन काल में वह इस निर्णय पर पहुंचे कि खेती का उत्पादन नहीं बढ़ा सके और सही चीज है कि इसमें बाधक लेखपाल भी है।

माननीय चरणसिंह जी २९ हजार पटवारियों के ऊपर जो थोड़ा-सा अपना हाथ फेरे थे, उससे संतोष हो गया था यू० पी० के किसानों को कि अब लेखपाल जो आ रहा है वह परेशान नहीं करेगा और किसानों के अन्दर कत्ल, खून, अपनी कलम के द्वारा नहीं करायेगा। लेकिन वह जो विश्वास किसानों के अन्दर पैदा हुआ था वह खत्म हो गया, वह धूल में मिल गया, वह कुचल गया। माननीय सदस्य मेरे साथ चलें। गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन तालाबों के अन्दर हाथी डूब सकता है, जिनमें कभी खेती नहीं होती है, आज वह भूतपूर्व जमींदारों के नाम से इन्दराज किये जा चुके हैं। अगर विश्वास न हो तो मेरे साथ चलें। मैं उनसे आशा नहीं करता था कि उन गरीबों के प्रति वह ऐसा भाषण देंगे।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यह कैफियत खाने के इन्दराज का हक कभी भी लेखपाल को न दिया जाय। यह अधिकार इससे ले लिया जाय और लेखपाल गांव के किसानों को एकत्रित करके इन्दराज की एक फेहरिस्त तैयार करके उसमें जो फसल है उसको लिखे और फिर गांव सभापति और ग्राम पंचायत के सारे सदस्यों को और गांव के और किसानों को एकत्रित करके और उन किसानों को इकट्ठा करके जिनके खेत हैं और उसके बाद गांव के किसान और सभापति मिल कर जो फैसला दें उसको पटवारी अपने कागज में इंदराज करे।

दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि, इस सिलसिले में माननीय विकल जी ने इस प्रस्ताव में किसानों को स्थायित्व दिलाने के लिये प्रश्न उठाये हैं और जहां तक मैं समझता हूं यह उचित है। अगर किसान के सामने यह सवाल नहीं आता है तो मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूं रामेश्वर प्रसाद जी को और सरकार को कि १, २ एकड़ तक खेत जोतने वाले जो किसान हैं वह खत्म हो जायंगे और हो चुके हैं। मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे माननीय सदस्य हैं जो अपने प्रभाव से पटवारियों से काम करा लेते हैं जैसे रामेश्वर प्रसाद जी ने कहा। लेकिन अभी अभी एक सवाल आया था कि किसी प्रश्नकर्त्ता महोदय के घर थानेदार ने चोरी करा दी। यह हालत है। इन कर्मचारियों के खिलाफ अगर जनता कुछ कहती है तो उसकी बात अनसुनी की जाती है। लेकिन यह नहीं मालूम ऐसे-ऐसे गुंडे भी रखते हैं। अगर हमारे सारे खेत काटकर कोई बड़ा आदमी पटवारी से अपने पक्ष में कराता है तो मैं उसको बड़ा आदमी नहीं बल्कि गुंडा कहता हूं। अब अगर किसान को जानकारी हो जाती है कि हमारे खेत गलत इंदराज कर दिये गये तो वह लेखपाल से और भूतपूर्व जमींदार से कहता है तो वह लोग उसका गला घोंटने को तैयार हो जाते हैं। क्या लेखपाल किसानों के डर से कैफियत के खाने में सही इंदराज करता है? नहीं। जिनके पास रुपया है, लाठी का जोर है, गुंडे हैं, उन्हीं के पक्ष में लेखपाल कैफियत के खाने में इंदराज करता है। क्योंकि वह गरीब जो एक लेखपाल से अपने इंतखाब तक नहीं मांग सकता है वह कैसे इन्दराज करायेगा।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार लेखपालों के हाथ से कैफियत के खाने में इंदराज करने का अधिकार जल्द खत्म करे। अगर सरकार ऐसा करती है तो वह बधाई की पात्र होगी। इसके अलावा जो जमीन किसानों ने अपने कब्जे के बाहर समझी है उसके लिये सही इन्दराज कराने के बाद तब उनको स्थायित्व की एक कापी दी जाय। उस जमीन के ऊपर फिर भी जब कभी गलती हो तो वह किसान उस कागज को ले करके अदालत में जा सके और आप तक अपनी फरियाद भी पहुंचा सके। इस समय तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं।

[श्री रघुवीरराम]

महमूदाबाद तहसील में सागापाली ग्राम है वहां एक ठाकुर साहब ४० बीघे खेत के भूमिधर हैं और उन्हीं का हलवाहा जो एक बिस्वा खेत जोतता है, मैंने अपनी आंखों देखा है और रामेश्वर प्रसाद जी भी देखें कि एक ही बिस्वा जमीन उस हरिजन के पास है लेकिन ४० बीघा खेत जोतने वाले बाबू ने क्या किया कि एक बिस्वा खेत को भी अपने नाम कैफियत खाने में इन्दराज करा लिया। इसलिये मैं विकल जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह कैफियत के खाने को जल्द से जल्द खत्म किया जाय और इस पर पाबन्दी लगाई जाय और इसके बाद किसानों को खेत पर स्थायी अधिकार दिया जाय।

श्री मुक्तिनाथराय--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण संकल्प पर मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय विकल जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। विकल जी का प्रस्ताव है कि भूस्वामियों के अधिकारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिये उनके खेतों का पूरा इन्तखाब उन्हें दे दिया जाय। प्रस्ताव की भावना साफ है। अगर सबसे अस्थायी इस समय चीज है तो किसान का खेत है। कोई निश्चय नहीं है कि भूमिधरी या सीरदारी में हमारा नाम रहेगा या नहीं। आज प्रदेश में सबसे नाशवान चीज है तो भूमि है। इसमें स्थायीकरण होना चाहिये। अब प्रस्ताव कैसे व्यवहारिक हो यह सरकार सोचे।

दूसरा अंश जो प्रस्ताव का है उसमें है कि खसरे की कैफियत के खाने में काबिज लिखने का लेखपाल का अधिकार समाप्त किया जाय। कुछ लोगों ने कहा है कि हमारे जमींदारी उन्मूलन कानून में यह नियम बना हुआ है कि लेखपाल जब परताल करना चाहेगा तो गांव के सभापति को बुलायेगा। इसलिये इस चीज को लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो दवा अभी तक अपनायी गयी है, वह बिलकुल बेकार साबित हुई है। मैं ठोस प्रमाण आपके सामने इस सम्बन्ध में रखूंगा। लेखपाल प्रतिवर्ष कागज बनाता है। हमारी भूमिधरी, सीरदारी है। उसका नम्बर है और कभी-कभी वह दूसरे से कागज बनवाता है। कागज बना। गांव का पूरा मिजान लगा लिया कि इतना लगान होना चाहिये, इतना रुपया सरकार को मिलना चाहिये। खाते दुरुस्त हैं। लेकिन बीच में कोई खाता छूट गया। मैं घर गया था। एक रोहड़ मौजा है। वहां एक खेत है जो तबादले में एक व्यक्ति ने लिया। उसका नम्बर ६२८ है। उस आदमी ने एक दूसरे आदमी से तबादला किया और प्रति वर्ष वह लगान देता आ रहा है। लेखपाल कागज बनाते वक्त इस बात को भूल गये, नम्बर छूट गया। खसरे में नाम है। खतौनी में भूल गये। ४, ५ साल का लगान १८ रुपया बाकी पड़ गया है। वह पढ़े लिखे आदमी थे। वह जानते थे कि वह नम्बर तब्दीली में लिया है। मेरी भूमिधरी है। इसका लगान कैसा? एक एप्लिकेशन दी गयी तहसीलदार के यहां दुरुस्त कराने के लिये। तो यह अस्थायीकरण भूमि का है। अगर यह प्रस्ताव विकल जी का मान लिया जाय तो स्थायीकरण भूमि का हो जायगा और यह विश्वास किसान को हो जायगा कि अब उसका खेत उसका है।

दूसरी चीज यह है कि एक व्यक्ति है श्री सन्त प्रसाद राय, ग्राम पचखोरा, टप्पा बिन्दवल, परगना सगड़ी, आजमगढ़ मन्दुरी ग्राम में उनके नम्बर हैं कुल १, २, ३, ४, ५, और ६, जिसके वह भूमिधर हैं। वह हमेशा से उन्हें जोतते बोते चले आये हैं। उन्होंने उसको कभी रहन नहीं दिया, किसी शिकमी को नहीं उठाया। पता नहीं लेखपाल महोदय ने क्या किया उनके नम्बरों पर किसी मुसम्मात का फर्जी नाम लिख दिया। वह लेखपाल के पास उस समय बैठे थे। उन्होंने कहा कि यह खेत तो मेरा है कैसे उनका नाम लिखा गया है। उन्होंने मुझे एप्लीकेशन दी। मैंने उसकी एक कापी माल मंत्री जी को दी और एक डिस्ट्रक्ट मैजिस्ट्रेट को दी और इसकी जांच कराई गई। इस पर तहसीलदार साहब ने रिपोर्ट दी कि लेखपाल की नीयत गलत थी और उसने जानबूझकर यह गलत काम किया है इसलिये उसके खिलाफ २१८ में कार्यवाही की जाय। अब मामला मैजिस्ट्रेट साहब के यहां गया तो उन्होंने प्रार्थी

को बुलाया कहा कि आपस में समझौता कर लो । तुम्हारा काम दुरुस्त हो जायगा । लेकिन मान्यवर, उनका तो २०० रुपया व्यर्थ में खर्च हो गया । यदि वह उस समय वहां मौजूद न होते तो उनके खेत सब खत्म हो गये होते ।

दूसरे मामले में यह है श्रीमन्, कि एक भूमिधर हैं जो हमेशा लगान देते हैं । लेकिन लेखपाल महोदय लिखना भूल गये । अब उनको सीरदारी का १८ रुपया लगान देना पड़ेगा । यह तो श्रीमन्, हंडिया का एक चावल है । ऐसा ही सारे प्रदेश की हालत है । जब हम लोग गांवों में जाते हैं तो लोग हम से पूछते हैं कि आप लोग इस काबिज का लिखवाना बंद नहीं करायेंगे । मान्यवर, जब-जब यह प्रस्ताव आया है तो मैं इस पर बराबर बोला हूं । मैंने कहा कि मैं भी इससे सहमत हूं । मैं बराबर कहता हूं कि खसरे की कैफियत के खाने में काबिज लिखने का अधिकार लेखपाल को नहीं होना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं क्योंकि सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री मुक्तिनाथराय—अधिष्ठाता महोदय, माननीय विकल जी ने स्थायित्व का जो प्रस्ताव रखा है उसके संबंध में मैं यह कह रहा था कि प्रतिवर्ष यह अनिश्चित रहता है कि न जाने कब किसके पास से खेत चला जायगा । अगर किसान को कागज मिल जाय तो उसको मालूम होगा कि उसका यह नम्बर है, इतना रकबा है, इतना लगान है । अब सरकार दे या कैसे हो ? इसका तो सरकार को निर्णय करना है लेकिन उसको मिलना अवश्य चाहिये । जब तक यह नहीं करेंगे तब तक प्रदेश में शान्ति नहीं आ सकती है ।

श्रीमन्, इसका दूसरा अंश यह है कि खसरे के कैफियत के खाने में काबिज लिखने का अधिकार लेखपाल को न हो और इसमें भू-स्वामी और गांव सभा की स्वीकृति होनी चाहिये । मान्यवर, एक प्रधान है कुनुकराम, ग्राम सभा हसनपुर, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ । उस गांव में लेखपाल का भाई आया और पड़ताल करके चला गया । प्रधान जी की दरख्वास्त है और वह कहते हैं कि अमुक लेखपाल के भाई ने घर पर ही पड़ताल कर लिया है । हमें कुछ नहीं मालूम हुआ है । पड़ताल दिखा दीजिये । तो लेखपाल महोदय इस तरह से कहते हैं । कुनुक केवट, प्रधान ग्राम समाज, हसनपुर का यह पत्र है । उनसे लेखपाल कहता है कि हमारे घर मोलनापुर तहरीर लेकर आओ, तो बताऊंगा । जब प्रधानों से लेखपाल यह कहता है कि हमारे घर तहरीर लेकर आओ, तो कितने प्रधान उनके सामने आयेंगे, कैसे इस नियम का पालन होगा ? यह मेरी समझ में नहीं आता । इस वक्त जो कानून बना है वह बहुत सुन्दर है । लेकिन इसका ठीक पालन बिलकुल नहीं हो रहा है ।

मान्यवर, यह भी कहा गया कि अगर इस संकल्प को मान लेते हैं तो गरीबों का बड़ा अहित होगा । मैं कहता हूं कि इसमें गरीबों का ही हित होगा । उस तरफ के एक भाई ने कहा कि किसी जिले में एक कांग्रेसी हैं । उन्होंने तमाम काबिज लिखवा लिया है । मैं कहता हूं चाहे कांग्रेसी हों, सोशलिस्ट पार्टी के हों, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हों, किसी पार्टी के हों, जितने गुंडे, बदमाश या सरकश लोग हैं उनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए । इसीलिये यह प्रस्ताव है ।

हमारे भाई रामेश्वर प्रसाद जी ने कहा है और इसके पहले कई बार दोहराया है कि जमींदारी उन्मूलन इसलिए किया गया कि जो खेत बोये, खेत उसी का है और शोषण कम हो । मैं इसको मानता हूं । लेकिन शोषण का मतलब क्या होता है । जमींदारी खत्म कर दी गयी, उसके बाद ४० एकड़ की सीलिंग लगा दी गयी । फिर कैसे शोषण है ? शोषण की बड़ी व्यापक परिभाषा है । हमारे रामेश्वर भाई स्टेशन से दारुलशफा आते हैं । वह यह कहें कि मैं रिक्शे पर नहीं बैठूंगा क्योंकि मैं एक गरीब रिक्शे वाले के श्रम का शोषण नहीं करना चाहता । सामान अपनी पीठ पर उठाया और दारुलशफा चले आये । तो मैं कहता हूं

[श्री मुक्तिनाथ राय]

कि यह गरीब का अहित किया। आठ आने पैसे बचा कर यहां चले आये। तो शोषण की परिभाषा बड़ी व्यापक है। अगर कोई यह कहे कि हम शोषण नहीं करते हैं तो यह गलत है। हर आदमी शोषण करता है। अगर हम स्टेशन से दारुलशफा तक अपनी पीठ पर सामान उठाये चले आयें तो हम सबसे बड़े शोषक हैं। शोषण, शोषक और शोषित की परिभाषा बड़ी व्यापक है।

हमारे माननीय सदस्य ने कहा है कि अगर काबिज लिखने की प्रथा उठा लें तो लोग अपने खेतों को शिकमी पर उठाने लगेंगे और पकड़ में नहीं आयेंगे। मैं यह कहता हूं कि हम इधर और उधर बैठने वाले दोनों गांधी जी की दुहाई देते हैं। हमने गांधी जी की जिन्दगी से यही सबक सीखा कि अगर बापू कोई काम करते थे, अच्छी नीयत से करते थे, लेकिन आगे चल कर उसमें अगर कुछ खराबी हुई और कुछ दायें बायें हटने की आवश्यकता हुई तो वह हट जाते थे। इसी प्रकार आपने जमींदारी प्रथा को खत्म किया। अच्छी नीयत थी। सीलिंग लगायी। बहुत अच्छी नीयत थी। जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उनके पास सिर्फ यही प्वाइंट होता है कि शोषण होगा, लोग शिकमी पर उठायेंगे और जमींदारी उन्मूलन के मूलभूत सिद्धांत की हत्या हो जायगी। तो मैं कहता हूं कि अगर काबिज लिखने का मामला समाप्त हो जाय, तो ९५ प्रतिशत जनता संतोष से जीवन बसर करेगी। आज जो एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते हैं, बलवे और कत्ल होते हैं, एक प्वाइंट की वजह से अगर इसको खत्म कर दें, और इस मूल सिद्धांत में कि लोग शिकमी उठायेंगे और लोगों का शोषण करेंगे, इसमें कुछ संशोधन कर दें तो मेरी समझ से कोई गलती नहीं होगी। शिकमी दे देने से कोई बड़ा अहित नहीं हो जायगा। तो तब हम गान्धी जी के पक्के अनुयायी होंगे जब गलती को दुरुस्त कर लेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो कानून बना हुआ है उससे जनता का अहित हुआ है और बड़ी गड़बड़ी है। अभी भी लोगों ने शिकमी पर उठा दिया है। मैं चाहता हूं कि उस ऐक्ट में संशोधन करना हो तो जरूर संशोधन सरकार करे।

मान्यवर, मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि प्रदेश के किसी जिले का जनमत ले लिया जाय कि वहां की जनता इसको मानती है या नहीं। पूर्वी जिलों का ही आप जनमत ले लें जहां पर भूमि की समस्या और गरीबी की समस्या है और वहां पर छोटे-छोटे किसान हैं। तब आपको मालूम हो जायगा कि पूर्वी जिलों के लोग इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में। माननीय विकल जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है वह सीधा सादा है और सरकार को मान लेना चाहिये। हमारे किसानों का इससे ताल्लुक है जिसकी मिसाल मैंने आपके सामने दी कि एक लेखपाल महोदय ने वह गलती की और उसको दुरुस्त कराने में एक व्यक्ति का २०० रुपया खर्च हो गया। इसी वजह से मैंने एक संशोधन दिया था कि विकल जी के प्रस्ताव में यह जोड़ दिया जाय कि "लेखपाल द्वारा की हुई गलती को सरकार स्वयं दुरुस्त करायें"। वह मेरा संशोधन समय के भीतर न होने के कारण स्वीकार नहीं हो सका। इस लिये मेरा निवेदन है कि विकल जी के प्रस्ताव को सरकार मान ले। यह व्यावहारिक है। कायदे कानून की शक्ल आप जिस तरह से चाहें दें। लेकिन इसकी भावना को स्वीकार कर लेना चाहिये। इस प्रस्ताव की जो भावना है उसका समर्थन करता हूं और कद्र करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं विकल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को उपस्थित किया।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह पहला ही अवसर है जब इस सदन में मैं कम्युनिस्टों के साथ हो गया हूं। हाउस का रुख यह है कि सारा जमाना यह चाहता है कि इसको पास कर दिया जाय। मैं अर्ज करता हूं कि इस पर व्हिप न किया जाय। जो चाहे जिस तरफ वोट दे मगर व्हिप न किया जाय। मैं विकल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपना केस यहां पर पुट अप किया है। इसका विरोध करने की

आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने इसका विरोध किया अच्छा नहीं किया। मगर उनका प्वाइन्ट आफ व्यू सदन के सामने आ गया तो बात साफ हो जायगी किन्तु विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। विरोध के बारे में जैसा कि हमारे दोस्त ने संक्षेप में जबाब दिया है कि अगर शोषण होता हो तब भी इससे फायदा होगा। इससे फायदा ज्यादा होगा। लिहाजा बड़े फायदे के लिये छोटे नुकसान को छोड़ देना चाहिये। मैं उस फायदे को बतलाता हूं कि इससे क्या फायदा होगा। जो चीज कही गई है उसको दोहराऊंगा नहीं। मेरी प्रार्थना है कि जिस वक्त यह कानून बना और जमींदारी तोड़ी गई तो उसमें ऐसे लोग बैठे जिनको जमींदारों से नफरत थी। इस बात की कोशिश की गई कि कोई ऐसी सूरत निकले जिससे ये और गरीब हो जायं यही दृष्टिकोण था।

ऐसा कानून बनाया गया कि यदि वे अपने खेत लगान पर दें तो इनके खेत छूट जायं और काश्तकारों को वे खेत मिल जायं। यही नीयत थी। इसी वजह से कायदे कानून में बांधे गये कि जमीन रेहन नहीं की जा सकती। उनकी सिर्फ नीयत यही थी कि जमींदारों से जमीन छूट जाय। नीयत यही थी कि जमींदारों से बदला लिया जाय। यह गलत बात है नहीं होनी चाहिये। जो राजा किसी को सजा देता है तो वह उसकी रोटी की फिक्र जेल में भी करता है। अंग्रेजों ने अगर किसी राजा को गद्दी से हटाया था तो उसके बच्चे को गद्दी दे दी। उसके पिता से दुश्मनी थी न कि उसके खानदान से। जमींदारी छीनी गई और ऐसे कानून-कायदे बनाये गये कि जिससे सीर भी न रह जाय। उसके बाद सीलिंग भी आ गई। यह कायदे कानून बनाये गये। यह गलती हो गई, इससे नुकसान होगा।

एक निर्दोष प्रस्ताव आपका आया है, लेकिन उसका विरोध भी कुछ लोग कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि जमींदारों से दुश्मनी थी उस के लिये आपने काश्तकारों को सजा दे दी। उसमें नीयत थी जमींदारों को सजा देने की लेकिन सजा हो गयी काश्तकारों को। क्या ? उसे सुनिए। कुछ ऐसे काश्तकार हैं कि जिनके पास सिर्फ एक एकड़ खेत है और उन के परिवार में वे खुद हैं, लड़का है, लड़की है, बीबी है। वे चारों मिल कर उस खेत में काम करते हैं, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरता, तन ढंकने को कपड़ा नहीं मिल पाता, मकान नहीं बन पाता। अगर वह अपनी जमीन को बटाई पर दे दें और दूसरा व्यापार करें तो जो जमीन है वह भी चली जाय। इसलिये न उसे छोड़ते बनता है, न जोतते बनता है और इसके अलावा ऐसे काश्तकार भी हैं कि जिनके पास ३, ४ एकड़ जमीन है और उनके पास ४ बैल हैं, हल हैं, कई आदमी हैं, लेकिन जमीन कम है इसलिए उनके श्रम का नुकसान हो रहा है। किसी के पास जमीन अधिक है परन्तु बैल खरीदने के लिये रुपया नहीं है अतः वे उसे काम में नहीं ला पाते। इसलिए पैदावार घट रही है, अगर यह हो जाय कि कागज पर नाम नहीं लिखा जायगा तो वह अपनी जमीन को किसी दूसरे को दे देंगे और जिनके पास जनशिक्त है वे लोग अपना श्रम उस जमीन पर लगावेंगे और अन्न पैदा करेंगे। वह बेचारा कलकत्ता या बंबई जा कर कोई नौकरी या कारबार कर सकता है उसकी जमीन से कुछ गल्ला भी उसे मिलता रहेगा और उसका काम भी चल जायगा और दूसरे का भी। किसान अपनी जमीन सरकार को देना पसन्द नहीं करता, लेकिन अपने भाई दूसरे किसान को लगान पर अथवा बटाई पर देने के लिये तैयार है। ऐसे ईमानदार किसान हैं कि जो ईमानदारी से काम करते हैं और उसे अपना श्रम लगा कर उत्पादन करके उसका हिस्सा देने को तैयार हैं। वह भी अच्छे रहेंगे और यह भी।

श्री अधिष्ठाता—आप प्रस्ताव पर ही बोलें।

श्री सीताराम शुक्ल—आपने यह टोक कैसे दिया ? मैं प्रस्ताव के बाहर कहां बोल रहा हूं। आपको क्या किसी ने सलाह दी है ? मेरे दोस्त ने बतलाया था कि इस से शोषण हो रहा है और मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि शोषण तो इस से हो रहा है कि जो श्रम का नुकसान हो रहा है, उसका उपयोग नहीं हो पाता। किसान खाली है अपने श्रम का उपयोग नहीं कर पाता, जमीन खाली पड़ी है लेकिन उसका मालिक दूसरे को दे नहीं पाता, दोनों के समय का नुकसान होता है।

राजस्व उप-मंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)---श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य मालूम होता है कि १६ वें आइटम पर बोलने लगे हैं जो अभी उन्होंने पेश नहीं किया है।

श्री अधिष्ठाता---वह कुछ भूमिका बांध कर अपनी बात को कह रहे हैं। आप कुछ सुन लीजिये तो बात समझ में आ जायगी।

श्री सीताराम शुक्ल---माननीय अधिष्ठाता महोदय, वे वकील भी हैं और इसलिये वकील जब चाहता है तो कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेता है। यह जो दर्ज करने की बात है जिस पर एतराज हुआ, उसी पर मैं अर्ज कर रहा हूं जो प्रस्ताव यहां पेश है मैं उसी पर बोल रहा हूं।

तो मेरी प्रार्थना है कि उनके श्रम का नुकसान हो रहा है। अगर शिकमी पर देने का अख्तियार मिल जाय तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपनी जमीन को शिकमी पर दे देंगे और ऐसे लोग भी हैं कि जो ईमानदारी से उनकी सेवा करेंगे। अभी जमीन का मालिक समझता है कि अगर हमने जमीन किसी को दे दी तो वह निकल जायगी। यह दिक्कत होती है। और सब से बड़ी दिक्कत जो पड़ रही है वह यह कि देश सेवा का नुकसान हो रहा है।

मेरे जिले में खलीलाबाद तहसील में एक वर्कर थे, श्री राजाराम शर्मा जी बैठे हैं, वे उसका नाम बतला सकते हैं, मोटे से थे कांग्रेस के वर्कर हैं। जब जमींदारी उन्लमून का कानून बना तो उसने देखा कि अगर वह खेत नहीं जोते तो वह निकल जायगा, तो उसने सोचा कि यह देश सेवा का बहुत अच्छा इनाम मिला तो उल्टी चपत हो जायगी इसलिए परोपकार छोड़कर अपनी खेती करने लगे तो मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरी बात को मान लेते हैं तो इससे पैदावार बढ़ जायगी और आपको देश के लिये अधिक वर्कर भी मिल सकेंगे या वे लोग निकल कर नौकरी करेंगे और दूसरे लोगों को जमीनों पर काम करने का मौका मिल सकेगा। अगर फार्मों को लोगों को देने का मौका मिल सके तो गरीबों का भी फायदा हो और आपको उससे आनरेरी मैजिस्ट्रेट और वर्कर मिल सकते हैं। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि बड़े शोषण से बचने के लिये छोटे शोषण को पसंद कर लें, लेकिन मैं कहता हूं कि इस में शोषण नहीं, वरन् पोषण होता है और इसलिये आप इस प्रस्ताव का विरोध न करें। वह शोषण हुआ जिसमें जबर्दस्ती काम लिया जाता है लेकिन बटाई या लगान पर आपने हमको जमीन दे दी, हमने खुशी से ले ली तो यह शोषण नहीं पोषण हो रहा है। हुजूरवाला, साले को अगर उसका सगा साला साला कहता है तो वह खुश होता है लेकिन अगर उसी को उसका दुश्मन कहे तो उसका बदन जल जाता है। तो जो जबरदस्ती किया जाता है वह शोषण होता है और नहीं तो पोषण है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं विकल जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विकल जी ने यह संकेत दिया है कि लेखपालों के कारण हमारे किसानों को बहुत परेशानी होती है, नुकसान होता है। यह आप भी जानते हैं। आप हमारे ही जिले के रहने वाले हैं। हमारे जिले में एक कहावत है कि लेखपाल और राज्यपाल आजकल दो ही ऐसे पद है जो अच्छे समझे जाते हैं। इन लेखपालों का आतंक अब भी उसी तरह से है जैसा पहले पटवारियों का रहता था। यद्यपि सरकार ने कुछ अंशों में उनके अधिकारों में कमी कर दी है लेकिन व्यावहारिक रूप से भी आज गांवों में लेखपालों का आतंक और प्रभाव उसी तरह से है। कुछ माननीय सदस्यों ने अभी कहा कि अगर किसी दूसरे का इंदराज कैफियत के खाने पर होता है तो उसकी प्रतियां कानूनगो, संबंधित काश्तकारों और गांव सभाओं के प्रधानों को दी जाती हैं। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा माननीय मुक्तिनाथ राय जी ने कहा है कि कुछ लेखपाल ऐसे होते हैं जो प्रधानों की नहीं सुनते हैं, उनसे बस्ता ढोवाते हैं, हर तरह से उनको परेशान करते हैं, उनकी कद्र नहीं करते। इसी कैफियत के खाने के कारण प्रधान भी इनसे डरता है। सरकार को चाहिये कि इस व्यवस्था को खत्म करे।

मान्यवर, सरकार का नियम है कि एक एक इंतखाब के लिये ८ आना लिया जाय। मैं कहता हूं कि चाहे १ रुपये, १२ आने लेने का नियम बना दें। २ रुपये देने पर भी काश्तकार के चाहने पर उसको इंतखाब जरूर मिल जाय। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि सौ-सौ रुपये तक ले लिये जाते हैं। यह बिलकुल ठीक है। हमारे जिले की मंडियाहूं तहसील में एक लेखपाल थे, जमीन का झगड़ा चल रहा था। उन्होंने एक पार्टी से ५ सौ रुपये लेकर कैफियत के खाने में दर्ज कर दिया और फिर दूसरी पार्टी से ६ सौ रुपये लेकर गुणे का निशान लगा कर उसका नाम लिख दिया। वह लेखपाल आजकल मुअत्तिल हैं। इस तरह से ये लोग गड़बड़ियां करते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जिस रूप में यह प्रस्ताव है उसका समर्थन वे नहीं करते यद्यपि जो भावना इसमें है उसका समर्थन करते हैं सरकार को इस पर विचार करना चाहिये और चाहे जिस रूप में संकल्प है उस रूप में न माने लेकिन सदन की भावना को जान करके कोई व्यवस्था जरूर करें और लेखपालों की वजह से जो परेशानी जनता को है उसे दूर करें।

हमारे क्षेत्र शाहगंज में पिड़किछा एक गांव है। आप जानते हैं कि वहां पहले सीरदार थे ५० किसान लेकिन अब असल काश्तकार जो थे आज वास्तव में खेत उनका नहीं है। अब सीरदार के नाम जमीन है, पर काबिज के खाने में अपना नाम लिखा रहे हैं और वह यह कह रहे हैं कि एक साल या दो साल काबिज के खाने में जब हमारा नाम लिखा रहेगा और तुम अगर फसल बोओगे तो उसको १४५ के अनुसार हम कुर्क करा लेंगे और फिर मुकदमेंबाजी चलेगी और किसी तरह से वह तुम्हें नहीं मिलेगी। तो इस तरह से काबिज के खाने में गलत इंदराज करके लेखपाल किसानों को बावजूद बरबाद करते और तबाह करते हैं। इसलिये मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रस्ताव में चाहे इस रूप में, जिस रूप में वह है, स्वीकार न करें, लेकिन इसकी भावना को वे जरूर स्वीकार करने की कृपा करें। लेखपाल को जो यह अधिकार है कि वे जिसको चाहे उसे काबिज के खाने में लिख दें, जिसका नाम चाहे निकाल दें, यह अधिकार खत्म होना चाहिये।

इसके अलावा एक बात मैं यह और कहना चाहता हूं कि शाहगंज तहसील में जो चकबन्दी हो रही है, उससे वहां पर करीब ५० हजार गलती इसी प्रकार के गलत इंदराज की निकली हैं और इसके लिये मैं चकबन्दी के कार्य की जरूर प्रशंसा करता हूं कि इससे कम से कम जो इस तरफ गलतियां थीं वे तो निकलीं। आज जो यह हो रहा है कि जोत कोई रहा है, लगान कोई दे रहा है, खेत किसी के नाम है, मालिक उसका कोई दूसरा है, यह सब बातें दूर होनी चाहिये और इसके लिये सरकार को जरूर कोई उचित व्यवस्था करनी चाहिये। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि सरकार ने जो लेखपालों को इस प्रकार का अधिकार दे रखा है काबिज लिखने का वह उसको समाप्त करे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अधिष्ठाता महोदय, इस आदरणीय सदन का इस हफ्ते में, करीब दो तिहाई समय मुझे ही बोलने के लिये मिलता रहा है, इस कारण आज इस विवाद में भाग लेने की इच्छा मेरी थी भी नहीं, किन्तु मैंने सोचा कि कुछ बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान अवश्य दिलाना चाहिये। श्रीमन्, जहां तक यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू का सवाल है वह ला क्लास में जरूर पढ़ा था लेकिन उसके बाद फिर उससे कोई मतलब नहीं पड़ा। श्रीमन्, हमारे पर्वतीय प्रदेश के लिये कानून दूसरा है, यहां के लिये दूसरे प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन लेखपालों का हाल सब जगह एक सा है। हमारी तरफ ऐसा है कि कागजात माल में इंदराज हर साल नहीं होता। यह बात मैं इस आदरणीय सदन की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं इसलिये वहां पर झगड़े इत्यादि भी यहां की तरह इतने नहीं होते हैं। यहां पर पटवारी का नाम बदल दिया गया है, उसे इस सरकार ने लेखपाल रख दिया है। यह सोचा था कि शायद इस नाम को बदल देने से, और लेखपाल रख देने से,

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

जो घूसखोरी होती है वह दूर हो जायेगी। लेकिन वैसा हुआ नहीं और उसका उदाहरण अभी माननीय माताप्रसाद जी ने, जो इस सरकार के स्तम्भ माने जाते हैं, जो न कभी इस पार्टी में आते हैं न उस पार्टी में, दिया कि किसी से उसने ५०० रुपये ले लिये उसके नाम कब्जा लिख दिया गया और बाद को दूसरे से ६०० रुपये लिये और उसके नाम गलत इंदराज कर दिया। उधर के लोगों ने ही कहा कि लेखपाल गलत काम करता है।

एक आध सज्जन जिनकी राय ऐसी लगी शायद यहां न हो, बरेली रही हो, क्योंकि राय-बरेली से वे तशरीफ लाते हैं, उनकी तकरीर से मुझे आश्चर्य हुआ। अकेले उनकी राय अलग है, बाकी की सब की राय एक ही है चाहे वह कांग्रेसी हों या विरोधी दल के—कि लेखपाल ठीक इंदराज नहीं करते। मैं किसी विरोधी दल वाले का उदाहरण नहीं दूंगा, मैं अपने तर्क के प्रमाण में माननीय अली जहीर की कल की तकरीर का हवाला दूंगा। उन्होंने यह कहा जब कि फारेस्ट विधेयक चल रहा था कि अगर हम वन भीतर ग्रोव लैंड नहीं लेंगे और कानून में उसे छूट दे देंगे तो लोग लेखपाल से मिलकर गलत इंदराज करा लेंगे। यानी सरकार के जाने माने मिनिस्टर तस्लीम करते हैं कि तमाम लेखपाल गलत इंदराज करते हैं। जब वित्त वन मंत्री और एक सीनियर मिनिस्टर यह फरमाते हैं कि गलत इंदराज लेखपाल करते हैं तो मैं समझता हूं मंत्री जी स्वयं इस बात को स्वीकार करेंगे कि इसके बाद उनके लिये कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि लेखपाल के स्थान पर कब्जा कोई दर्ज करे यह व्यवस्था वे निकालें, भले ही विकल जी के शब्दों को वह पूरे न मानें।

जैसा कि संकल्प में है कि स्थायित्व प्रदान करने के लिये उनके क्षेत्रों का पूरा इंतखाब उन्हें दे दिया जाय, तो जहां तक इंदराज करने का ताल्लुक है उसमें लेखपाल शायद चेंज नहीं कर सकता, वह तो सिर्फ कब्जे की बात अपने हाथ से दर्ज करता है। तो प्रापर्टी या टाइटिल में तो उसका कोई अधिकार है नहीं, उसके लिये इसमें कोई अन्तर नहीं है कि वह किसके पास रहे या न रहे, विकल जी इस पर प्रकाश डाल सकते हैं लेकिन कब्जे की बात जरूर है।

हमारी तरफ एक बन्दोबस्त चल रहा है, यही बात मैं कहना चाहता हूं। उसमें ६ सभा-पतियों, ने २ सरपंचों ने और अन्य आदमियों ने दस्तखत करके और मुहर लगाकर मेरे पास भी भेजा और सदस्यों के पास भी आया होगा, उन लोगों ने आवेदन-पत्र भेजा कि वहां बन्दोबस्त में खुला भ्रष्टाचार है। वहां तो एक गीत भी बन गया कि दिन में जो इंदराज होते हैं वह रात को रबड़ से मिटा दिये जाते हैं। वहां की भाषा आदरणीय सदन के लोग समझते नहीं, लिहाजा वह कविता कह नहीं सकता। तो उन लोगों ने जांच के लिये आवेदन-पत्र भेजे। इस समय यहां राज स्वमंत्री तशरीफ नहीं रखते, उनके डिप्टी हैं, वह पत्र मंत्री जी को भेजा गया था, जिलाधीश और कमिश्नर को भी प्रतिलिपियां भेजी। उसमें ए०आर०ओज० को भी शिकायतें हैं, मगर तमाशा यह है कि उस बारे में जांच स्वयं ए०आर० को सौंपी गई। उससे स्पष्ट है कि लेखपाल गड़बड़ करते हैं। ए०आर०ओ० की नीयत पर ज्यादा शक तो नहीं करता लेकिन इतना जरूर है कि पहाड़ में ऊंची नीची जमीन है और मीलों चढ़ना पड़ता है और वहां भेज दिया एक ऐसे शख्स को जिसकी ढाई मन की लाश है। अगर कब्जा व हालात वेरिफाई करने के लिये उन्हें आन दि स्पाट जाना है तो वजन ३–४ मन जाने कितना है, वह मजबूर है, खुद कहते हैं कि सब एक्सपर्ट ने जो कर दिया वैसा ही मानना पड़ता है, हमारे लिये तो मौके पर जाना भी पासिबिल नहीं है। तो कम से कम मंत्री जी ऐसे शरीर वालों को वहां न भेजें। जो चल ही नहीं सकते वह क्या वेरिफिकेशन करेंगे? अब जांच हुई तो यहां से गया हो या डिप्टी कमिश्नर ने भेजा हो, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ ऐलिगेशंस जनता ने और सरपंचों ने की हैं उसी अफसर को जांच के लिये मुकर्रर किया गया है उसमें तो उनका नाम भी सम्मिलित है और वह ही जांच करेंगे कि मैंने और मेरे मातहतों ने यह कार्य किया या नहीं किया। उसमें ऐसे स्पेसिफिक ऐलिगेशंस हैं कि घूस में कालीन लिये गये, रुपया लिया गया, शराब की बोतलें ली गयीं, ऐसे स्पष्ट आरोप हैं। तो इस ओर ध्यान दें और जांच करायें। यह मेरे ही इलाके की बात भी नहीं है, उनके पीछे मोहन सिंह मेहता बैठे हैं,

उनके भी इलाके की बात है। जो इंदराज नीचे से चले आये वे बाद में एवीडेंस ऐक्ट की धारा ११५ के मुताबिक प्रिजेम्पशन हो जाता है कि जिस आदमी का इन्दराज है उसका लामुहाला कब्जा भी होगा। शैल प्रीज्यूम (shall presume) में यह आता है। कुछ A. R. O. बन्दोबस्त में हुए तनाजों का फैसला करने में जो धांधली कर रहे हैं वे वर्णनातीत हैं।

मुझे डेफीनिटली ऐसे मामले मालूम हैं कि जहां मुकदमों में एक आवाज चपरासी से दिलाई और दूसरी पार्टी को जरा देर हो गई, तो कहा कि भाई खारिज करो इन सब तनाजों को। वकील साहब ने उनसे फरमाया कि ये तनाजे तो कर दो खारिज और पेशकार से कहा कि तुम अपना बस्ता लेकर जल्दी घर भाग जाओ और मैं भी बंगले जाता हूं ताकि अगर दूसरी पार्टी का कोई अब आवे तो वह (restoration)की अर्जी भी न दे सके। इस बर्ताव से बड़ी बेचैनी फैली हुई है। पहाड़ में सीधे-सादे लोग रहते हैं। अभी तक उन गांवों के घरों में ज्यादातर ताले भी नहीं लगते हैं, दानपुर की तरफ। वे लोग क्या जानें इन्दराज की बातें? आज कुमायूं में बन्दोबस्त के नाम पर खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने माननीय मंत्री जी को एक बार लिखा भी था और अगर नियमों में कोई हेरफेर करना पड़े तो वह कर दें और सेटिलमेन्ट कमेटियां मुकर्रर कर दें जो आन दि स्पाट जा कर देखें कि इन्दराज ठीक हैं या नहीं। लेकिन हमारा मंत्री जी के ऊपर दबाव नहीं पड़ सका या हम उनको समझा नहीं सके। परन्तु उधर के बैठने वाले कांग्रेसी सदस्य भी मेरी बात की पुष्टि करेंगे कि आज कुमायूं में लेखपाल या पटवारी, अमीन और सर्वे एक्सपर्ट वगैरह जो बन्दोबस्त कर रहे हैं उससे वे अपना पुश्तों का बन्दोबस्त कर रहे हैं और गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। भोले-भाले लोगों का खून चूसा जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर तवज्जह देंगे।

इस प्रस्ताव की शब्दावली चाहे बिलकुल ठीक न हो लेकिन इसकी भावना में कोई दो रायें नहीं हैं। दोनों तरफ के बैठने वाले इससे सहमत हैं। माननीय मंत्री जी इसमें शाब्दिक संशोधन कर लें लेकिन चूंकि यह सर्वमान्य प्रस्ताव है इसे वह स्वीकार अवश्य कर लें। उससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

एक सदस्य--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब बहस समाप्त की जाय।

दूसरा सदस्य--मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--मैं सदन की राय लिये लेता हूं।

श्री प्रतापसिंह--मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--कहें।

श्री प्रतापसिंह--सदन में विरोधी दल और सरकारी पक्ष दोनों चाहते हैं कि यह प्रस्ताव अभी चले। मैं चाहता हूं कि आप वोट लेकर सदन का समय बरबाद न करें। आपको भी डिस्क्रीशनरी पावर्स हैं और हाउस की फीलिंग देखकर आप अपना डिस्क्रीशन इस्तेमाल करें।

श्री अधिष्ठाता--मंत्री जी, आप को इस पर क्या कहना है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मान्यवर, यह ऐसा विषय है जिस पर सभी सदस्यों को रुचि है और अपनी-अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं। हमें अपने विभाग की नीचे की अवस्था का ज्ञान हो रहा है। मुझे कोई जल्दी नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--तो विवाद जारी रहेगा।

श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

मैं बिकल जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

[श्री सुखरामदास]

मान्यवर, यह प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन किसानों के लिये जो गांवों में मजदूरी करते हैं और दो एक बीघा कच्ची जमीन जोतते हैं, बहुत ही लाभदायक है। आप जानते ही हैं कि पहले पटवारी कुछ लेकर काम तो कर देता था मगर अब तो लेखपाल से अगर इंतखाब मांगा जाय तो वह गरीब का नाम काट कर अमीर से रुपया लेकर उसका नाम दर्ज कर देता है। हमारे जिले में जिस तहसील में चकबंदी हो रही है उसके अलावा दूसरी तहसीलों के रहने वालों के साथ यह हालत है कि वे अपनी जमीन बीसों वर्षों से जोतते चले आ रहे हैं लेकिन इन्दराज में दूसरे का नाम है। अगर कहीं किसी का नाम २ वर्ष से दर्ज भी हो गया तो वे डरते हैं कि चकबंदी में हमारा खेत निकल जायगा। इसलिये लेखपाल को चुपके से रुपया देकर बड़े आदमी अपना नाम लिखा लेते हैं और गरीब किसानों की फसल काट लेते हैं। वे अपढ़ हैं, गरीब हैं और उनका कोई साथी या मदद गार नहीं है। वे रिपोर्ट भी नहीं कर पाते और न मुकदमा कर सकते हैं। अगर कोई रिपोर्ट करता भी है तो थानेदार कहता है कि तुम्हारा नाम इस खेत पर है ही नहीं। खास तौर से पूर्वी जिलों में हरिजन लोग, पिछड़े लोग और जो गरीब हैं वे इन लेखपालों द्वारा पीसे जा रहे हैं। सरकार के कायदों को भी लेखपाल नहीं मानते हैं। यह कायदा है कि जिसका नाम काटें और जिसका दर्ज करें उन्हें बुलाकर ऐसा करें, लेकिन कोई लेखपाल ऐसा नहीं करता है। इसका परिणाम यह होता है कि सैकड़ों मुकदमें तहसीलों में चल रहे हैं और एस० डी० ओ० के यहां चलते हैं। गरीब किसान के पास न रुपया है और न उसे शहादत ही मिल पाती है और कचहरी से ५० मील पर उसका घर है। वह एक बार सरकारी अधिकारियों के पास जाकर अपनी बात कह भी नहीं सकता है। इसलिये खाना कैफियत से गांव वालों को बड़ा नुकसान पहुंचता है। इससे कत्ल और बलवे होते हैं।

इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह विकल जी के प्रस्ताव को स्वीकार करे।

*श्री प्रतापसिंह---मान्यवर, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि बड़ी उदारता से उन्होंने अपने विभाग की निम्न स्तर की बातों को सुनना स्वीकार किया। यदि सभी मंत्रिगण यही दृष्टिकोण रखें तो पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी तरह से चल सकती है और सफल हो सकती है।

मान्यवर, इस प्रस्ताव के दो हिस्से हैं। एक तो यह है कि भू-स्वामियों के अधिकारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिये उनके क्षेत्रों का पूरा इंतखाब, यानी सूची, उन्हें दे दी जाय। दूसरा हिस्सा इसका यह है कि खसरे के कैफियत के खाने में काबिज लिखने के लेखपाल के अधिकार को समाप्त किया जाय और काबिज लिखने में भू-स्वामी और गांव सभा की स्वीकृति अनिवार्य हो। ये दोनों सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो कृषि प्रधान देश हो, उस देश की विधान सभा में इस तरह का प्रस्ताव आये तो यह एक गौरव की बात है। इसके लिये हम विकल जी के आभारी हैं और उसके लिये हम उनको बधाई देते हैं। यह हमारा अधिकार है कि हमारी भूमि का रिकार्ड जिस कागज में है उसकी नकल हमको मिलनी चाहिये। आज पटवारी को यह अधिकार दिया गया है कि कैफियत के खाने में वह कब्जा लिख दे। मैं कुछ मिसालें दूंगा, प्रत्यक्षं किं प्रमाणम्।

यहां पर मैदानों में चकबंदी हो रही है और हमारे यहां पहाड़ों पर सेटिलमेंट हो रहा है। वहां पर अमीनों को भी कुछ अधिकार दिये गये कि वे जिसका कब्जा हो उसका नाम लिखें। जब पैमाइश हो रही थी तब पहले तो लोगों को यह मालूम नहीं था और जैसा कि सब लोगों को मालूम है पहाड़ के बहुत से लोग जाड़ों में नीचे चले आते हैं। अमीनों ने पटवारियों से मिल कर यह प्रचार किया कि इस समय मौके पर अपने नाम जमीन को लिखा लो। ऐसे समय में जो मौके पर आदमी था उसने दूसरे की जमीन अपने नाम लिखा ली। जिसका नतीजा यह हुआ कि बाद को मुकदमे बाजी हुई और कितने ही खून हो गये। माननीय कांडपाल जी इस बात को बतायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसका कारण यह है कि एक अधिकार ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया है जो उन अधिकारों का प्रयोग करना नहीं जानता ।

इसमें पटवारी का ही दोष नहीं है, उसमें सरकार का भी दोष है । कारण कि पटवारी को तनख्वाह बहुत कम मिलती है । जब कि हम उसके दोष पर ध्यान दे रहे हैं हमें इस बात की ओर भी ध्यान देना होगा कि उसकी तनख्वाह बहुत कम है जिसके कारण मजबूरी से वह कुछ न कुछ गलती करता है । एक ओर जब इस प्रस्ताव के जरिये हम उसके अधिकारों को छीन रहे हैं तो हम मंत्री जी से यह प्रार्थना भी करेंगे कि वे पटवारियों की तनख्वाह बढ़ावें और उनकी ट्रेनिंग का समय भी बढ़ावें जिसमें उनको सिखाया जाय कि किस आदमी के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि आज पटवारी गांव के लोगों के बीच में रहता है । हम देखते हैं और श्रीमन्, आप भी देखते हैं कि गांवों में ग्रुपबाजी होती है । अब पटवारी कभी इधर मिल जाता है और कभी उधर मिल जाता है । हम भी अगर पटवारी होते तो यह स्वाभाविक था कि किसी एक ग्रुप के साथ हम होते । तो जो इस प्रकार से किसी एक ग्रुप में हो, जनता के बीच में रहता हो, फिर उसकी तनख्वाह भी कम हो, ट्रेनिंग भी उसकी कम हो, ऐसी हालत में इस प्रकार के अधिकार उसको दे देना जनता के अधिकारों पर कुठाराघात करना है । अंग्रेजों के जमाने में अधिकारियों को जो अधिकार दिये हुये थे उनमें या तो वृद्धि होनी चाहिये या कमी होनी चाहिये जैसी भी दशा हो । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधिकारों को कम करने की बात, जब अन्तरिम जिला परिषद् का विधेयक आयेगा तब हम करेंगे ।

आज जिला मैजिस्ट्रेट के बहुत ज्यादा अधिकार हैं । उनके अधिकारों को कम करने की बात कही जाय तो वे समझते हैं कि हमारी इसमें बेइज्जती है । यह कोई अच्छी चीज नहीं है कि अंग्रेजों की लीगेसी में कोई तब्दीली अभी तक नहीं आ पायी । सिवाय इसके लिये कुछ लोग मिनिस्टर हो गये हों, डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी हो गये हों या कुछ बड़े-बड़े आफिसर हो गये हों । बाकी प्रशासन वैसा ही चल रहा है जैसा कि अंग्रेजों के जमाने में था । हम समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधिकारों में कमी होनी चाहिये, पटवारी के अधिकारों में कमी होनी चाहिये । मान्यवर, हमें यह देखना नहीं है कि किसी के अधिकार बढ़ रहे हैं, या घट रहे हैं, हमें तो यह देखना होगा कि जनता की क्या मांग है । किस अधिकार को किसको देकर जनता का लाभ हो सकता है । अगर मुझे यह मालूम होता कि पटवारियों का अधिकार बढ़ाने से देहात की जनता की भलाई होगी तो मैं पहला ही आदमी होता जो उन अधिकारों का समर्थन करता । हम देखते हैं कि गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं ।

हिन्दुस्तान में १५ प्रदेश हैं जिनमें शिक्षा में हमारे प्रदेश का नम्बर १४ वां है । हमारे यहां १४ प्रतिशत पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ परताबसिंह लिखने वाले भी हैं । उन लोगों को मालूम नहीं है कि पटवारी और लेखपाल को क्या अधिकार हैं और उनका प्रयोग किस प्रकार से होना चाहिये । एक जमाना था जब पटवारी कहीं से निकल जाता था तो लोग कांपने लगते थे । चाहे मैदानी हिस्से हों या पर्वतीय हिस्से हों, पटवारियों के अधिकार बढ़े हुये हैं, इससे यह होता है कि जितने ए० आर० ओ० के कोर्ट हैं उनमें तमाम मुकदमे चले जाते हैं । जब ए० आर० ओ० का कोर्ट नहीं था तब इतने मुकदमे कचहरियों में नहीं जाते थे । ए० आर० ओ० के कोर्ट की ज्यादा जरूरत इसलिये हुई कि आपके खेत को मैंने अपने नाम लिखवा लिया और मेरे खेत को दूसरे माननीय सदस्यों ने अपने नाम लिखवा लिया । इस तरह से जरूरत के लिहाज से ज्यादा अदालतें खोली गयीं लेकिन सोचने की बात यह है कि जितनी भी अदालतें खोली जाती हैं उसका भार हम एम० एल० एज० या मंत्रियों पर नहीं पड़ता है, उसका सीधा भार जनता के ऊपर पड़ता है ।

यह मैं जानता हूं कि विकल जी ने बहुत सोच समझ कर इस प्रस्ताव को यहां प्रस्तुत किया है । उन्होंने सोचा होगा कि ऐसे तो कानून बनाने में उनको सीधा हिस्सा नहीं मिलता है इसलिये

[श्री प्रतापसिंह]

आज के दिन का सदुपयोग करने के लिये इस प्रस्ताव को ही इस सदन के सामने प्रस्तुत कर दें जिसका कि जनता की रोजाना की जिन्दगी से ज्यादा सम्बन्ध है। पटवारियों को आपने रेवेन्यू के अधिकार दे रखे हैं और पुलिस के भी अधिकार दे रखे हैं। इन दोनों अधिकारों के मिल जाने पर वह जिस तरह से चाहे इन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। उससे मैं समझता हूं कि कोई आदमी इस डर से नहीं बोल सकता है कि उसके पास पुलिस का भी अधिकार है तो कल को किसी न किसी दफा में उसकी मुखालिफत करने में वह बन्द करा सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह अधिकार बहुत ज्यादा है और इस अधिकार को कम करना चाहिये, समाप्त करना चाहिये।

दूसरे जिस तरह से हमको हक है कि हम किसी बिल पर बहस करने के लिये उसके लिटरेचर की मांग करें उसी तरह से जब हमारा खेत आपके कागज में दर्ज है और हम उसकी आपसे मांग करते हैं कि उसकी प्रतिलिपि हमें दी जाय, तो हम इसमें कौन सी गलत बात कहते हैं। अगर अंग्रेजी जमाना होता तो हम समझते कि विदेशी सरकार होने की वजह से वह हमारी बात नहीं सुनती लेकिन आज जैसी उदार भावना का माननीय मंत्री जी ने परिचय दिया और हमारी भावनाओं का आदर किया उसी तरह से मैं समझता हूं कि वे इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। स्वयं माल विभाग ने इस बात को माना है कि कागज में ७५ फीसदी गलतियां पायी गयी हैं तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि इसके विरोध करने का मतलब क्या है। आमतौर से पटवारियों से नक्शा लेने की जो सरकारी फीस है वह २ रुपया है लेकिन केवल दो रुपये से काम किसी का नहीं चलता है जब तक कि गरीब से गरीब किसान भी पटवारी की जेब के हवाले १० रुपया न कर दे। अगर इस बात को माननीय मंत्री जी मानलें तो उनका रोजाना का काम भी हल्का हो जायगा और असेम्बली में जो रोजाना सवाल होते हैं कि पटवारियों में यह करप्शन है, यह भ्रष्टाचार है, वे भी नहीं होंगे। जो एक दो माननीय सदस्य काश्तकारों को इंतखाब देने का विरोध कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब माल विभाग ने स्वयं स्वीकार किया है कि पटवारियों के कागजात में ७५ फीसदी गलतियां निकली हैं तो वे किस मुंह से यह कहने की हिम्मत करते हैं कि काश्तकारों को उनके खेतों के कागजात नहीं दिये जाने चाहिये? अगर संविधान की किसी धारा को मानने की बात हो तो मैं कह सकता हूं कि हर व्यक्ति का यह फंडामेंटलराइट है कि जिस कागज में उसका नाम दर्ज हो उसकी कापी उसे दी जाय। मैं माननीय मंत्री जी को यकीन दिलाता हूं कि अगर यह हो गया तो देहातों में झगड़े कम हो जायेंगे और देहातों में जो रोजाना भ्रष्टाचार की बात माननीय मंत्री जी को सुनाई पड़ती है वह भी कम हो जायगी।

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, कुमायूं में जो आज सेटलमेंट हो रहा है, मैं उसकी जांच की मांग करता हूं क्योंकि वहां बहुत खराबियां हैं। दर्जनों के खेत दूसरों के नाम लिख दिये गये हैं जिससे गरीब जनता का शोषण हो रहा है। चाहे वहां के नेता लोग हों या पूंजीपति लोग हों, उन्होंने गरीबों के खेतों को अपने नाम में लिखवा लिया है। श्री रामेश्वरप्रसाद तो ऐसे हमको वहां बैठ कर रोज गालियां दिया ही करते हैं लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि पहाड़ी क्षेत्र के अन्दर जो हरिजन तबका है उसके खेतों को दूसरे ने अपने नाम लिखवा लिया है। किसकी साजिश से पटवारियों की साजिश से। मैं समझता हूं कि उससे वहां तमाम असन्तोष फैला हुआ है और रोज माननीय मंत्री जी के पास शिकायतें आया करती हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि वे इसकी इन्क्वायरी करावें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय विकल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने मित्र माननीय विकल जी का तथा उन अन्य सभी सदस्यों का जिन्होंने आज इस प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किये हैं आभार प्रकट करता हूं, इसलिये नहीं कि मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं बल्कि इस लिये कि इस प्रस्ताव के द्वारा आज उन्होंने इस आदरणीय सदन में ऐसे एक विभाग के विषय में चर्चा की है जिस का सम्बन्ध इस प्रदेश की लगभग तीन चौथाई जनता से है। यह तो सभी जानते हैं कि एक खेतिहर प्रदेश में जहां कि अधिकतर खेती ही लोगों के जीवन यापन का

साधन हो और जिस प्रदेश की आय का बहुत कुछ भाग किसानों से ही प्राप्त होता हो, उस विभाग की यह जिम्मेदारी है कि भूमि सम्बन्धी जितने अभिलेख हैं वे शुद्ध रहें। मैं इस सम्बन्ध में विशेष रूप से आदरणीय सदन के सदस्यों का आभार प्रगट करता हूं कि आज के दिन उन्होंने जो इस विभाग की निम्नतम कड़ी हैं, जिस का सम्बन्ध हमारे गांव और किसान से है उस के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया। जो भी प्रकाश मुझे माननीय सदस्यों से मिला है, उस के अनुसार मैं आश्वासन देता हूं कि जो विचार उन के यहां प्रदर्शित हुये हैं वे किसी माने में भी निष्फल नहीं हो सकते और जिन त्रुटियों अथवा दोषों की ओर सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है उनकी ओर सरकार अवश्य ध्यान देगी।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन ने स्वाधीनता के बाद पिछले १२ साल में इस भूमि सुधार व्यवस्था की दशा में बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाया है, ऐसा कदम उठाया है कि जिसका अनुकरण इस देश के अन्य प्रदेशों ने भी किया है। हमने जैसे जैसे भूमि सुधार की तरफ अपने कदम बढ़ाये हैं हमने बराबर इस बात का ध्यान रखा है कि हमारे भूमि अभिलेख सम्बन्धी जो पहले के कानून हैं उन में भी साथ साथ सुधार किया जाय ताकि उन की शिथिलता कम हो और उन के दोष दूर हो जायं और हमारे किसान के अधिकार सुरक्षित हो जायं। नियमों का संशोधन इस दिशा में हुआ है और माननीय सदस्यों ने आज भी इस की सराहना व्यक्त की है और प्रदेश के तमाम लोगों का विचार है कि इस प्रकार के कदम उठाकर यहां की सरकार ने कई हजार पटवारियों को उन की सेवा से मुक्त तक कर दिया था। उस के बाद जो यहां नई व्यवस्था कायम हुई उस में इस बात की पूरी एहतियात बरती गई कि लेखपालों के अधिकार इस प्रकार के हों कि जिन के रहत हुये अभिलेख पूरे तौर पर शुद्ध रह सकें और किसी तरह से किसानों का अहित न हो सके। सरकार की ओर से अभिलेखों की शुद्धि के लिये दो तीन प्रकार के ही कार्य हो सकते हैं, एक तो यह कि यहां नियम और कानून ऐसे बनें कि जिन के अनुसार काम करने से अभिलेख अत्यन्त शुद्ध रह सके, दूसरे उन आदेशों और नियमों का ठीक-ठीक परिपालन हो, सुपरविजन की पूरी व्यवस्था हो। अब हमारे प्रदेश की भूमि व्यवस्था में जो हमारे अभिलेखों का आधार है उस की तरफ मैं आप का ध्यान आकृष्ट करूंगा। मैं आप की आज्ञा से सदन का कुछ विशेष समय लूंगा ताकि वह तमाम बातें माननीय सदस्यों को पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जायं। मुझे इस बात का खेद है कि मुझे हिन्दी की प्रति प्राप्त नहीं हो सकी इसलिये मैं अंग्रजी में ही गांव समाज मैनुअल, जहां कि एक स्थान पर ही भूमि के अभिलेखों का जिक्र है उसके कुछ अंश को पढ़ना चाहता हूं।

पहले माननीय सदस्य विकल जी ने अपने प्रस्ताव में यह कहा है कि "भू-स्वामियों के अधिकारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिये उनके क्षेत्रों (खेतों) का पूरा इंतखाब (सूची) उन्हें दे दी जाय।" हमारे कुछ मित्रों ने इस बात की आलोचना की और विशेषकर माननीय रामलखन मिश्रजी ने कि इस प्रस्ताव की भाषा ऐसी है कि अगर उसे देखा जाय तो प्रस्ताव अजीबो गरीब लगता है। जहां तक अधिकारों के स्थायित्व प्रदान करने की बात है वह तो इंतखाब देने से कभी हो नहीं सकता। यदि इंतखाब दे दिया जाय तो वही अधिकार रहेंगे जो आज हैं। वह स्थायी तो तभी हो सकते हैं जब इस सदन द्वारा उस तरह का कोई विधेयक स्वीकार किया जाय और जो अधिकार अभी तक स्थायी नहीं है वह दिये जायं। इसलिय जिस उद्देश्य से यह प्रस्ताव रखा गया है उसकी पूर्ति तो इससे होती नहीं। परन्तु जो वर्तमान नियम इस सम्बन्ध में हैं वे काफी तौर से किसान के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। माननीय प्रतापसिंह जी ने जिक्र किया कि अधिकार है हमारा कि जो हमारे अभिलेख हैं खेतों के सम्बन्ध में उसकी नकल मिले। मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगा कि हमारा यह भी अधिकार है कि निर्वाचक सूची की प्रतिलिपि हमको मिले और कानून में उसकी मिलने की व्यवस्था की गई है और कहा गया है जो उसको लेना चाहे उसकी कास्ट दे। इसी प्रकार से प्रत्येक खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातों की प्रतिलिपि या इंतखाब प्राप्त कर सकता है और कानून में इस बात की व्यवस्था है कि उसकी वह कीमत दे। तो इस

[श्री महावीरप्रसाद शुक्ल]

व्यवस्था के रहते हुये यह नहीं कहा जा सकता कि आपके उस अधिकार की रक्षा नहीं की जा रही है। मैं मान्यवर पहले लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा ४७ को पढ़ देना चाहता हूं :—

"47. All maps, field books and registers kept under this Act shall be open to public inspection at such hours and on such conditions as to fees or otherwise as the State Government may prescribe."

और इसी की तहत में मान्यवर, लैन्ड रेकार्ड मैनुअल का २६ वां पैराग्राफ भी पढ़ना चाहता हूं। पढ़ने के बाद हिन्दी में आशय बता दूंगा।

"26. (*a*) The Lekhpal shall allow any one interested to inspect his records in his presence and to take notes of the same in his presence without fee.

(*b*) The Lekhpal shall give to applicants certified extracts from his records except settlement, consolidation of holdings and partition record ....."

यानी निःशुल्क यह अधिकार प्रत्येक खातेदार का है कि वह अपना रेकार्ड देख सकता है और नोट कर सकता है।

अब उसके बाद चार्जेज दिये हुये हैं। फिर आगे (डी) और (ई) इस प्रकार हैं :—

"26. (*d*) The Lekhpal shall enter in his diary a note of such inspections and extracts. The amount of fee realized by the Lekhpal will be noted by him on the extract issued as well as in his diary.

(*e*) If the Lekhpal refuses or neglects to give the required extract, the person interested may apply to the Chairman of the Land Management Committee concerned who will fix a date, usually not beyond 15 days from the date of application for receiving the extract by the applicant and paying the prescribed fee to the Lekhpal, and will inform the Lekhpal of it as early as possible. If the Lekhpal fails to hand over the extracts on the date fixed, the Chairman may, if there is good reason for the failure, extend the date. In case of wilful neglect to issue the extract by the date fixed or by the extended date, the Chairman shall report the matter to the Tahsildar who will arrange to have the extract issued as early as practicable and at the same time report the case to the Assistant Collector Incharge of the Sub-Division for taking suitable disciplinary action against the Lekhpal concerned."

मान्यवर, इन प्राविधानों का आशय जिनको मैंने सदन के सामने रखा यह है कि काश्तकार को अपने खातों से सम्बन्धित नक्शे, खतौनी और खसरा इन सबको निःशुल्क देखने का अधिकार है और जो निर्धारित फीस है उसे देकर उसकी प्रतिलिपि पाने का भी अधिकार है और साथ ही लेखपाल किसी को देने से इंकार करे तो गांव सभा अथवा गांव समाज के जो चेयरमैन हैं उसको अधिकार दिया गया है कि वह लेखपाल को आदेश दे कि १५ दिन के अन्दर वह वांछित प्रतिलिपि सम्बन्धित काश्तकार को दे दे और यदि फिर भी किसी कारण से उसे यह प्रतीत हो कि वह उसके आदेश की उपेक्षा कर रहा है और अकारण देने से इंकार कर रहा तो चेयरमैन को अधिकार है कि तहसीलदार के यहां रिपोर्ट करे और तहसीलदार का कर्तव्य है कि वह प्रतिलिपि उस काश्तकार को दिलवा दे और साथ ही परगना हाकिम के पास इस बात की रिपोर्ट करे कि लेखपाल के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही की जाय। इन नियमों के होते हुए मैं नहीं समझता कि किस प्रकार इस बात में कोताही की गयी है जिससे काश्तकार को अपने अधिकारों की सुरक्षा करने में और अपने खातों सम्बन्धी जानकारी हासिल करने में कठिनाई हो।

माननीय सदस्य ने तथा अन्य सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुये यह कहा कि रेकार्ड जो हैं ७५ से लेकर ८५ फीसदी तक गलत हैं और चकबन्दी विभाग की रिपोर्टों का हवाला देते हुये यह सिद्ध करने की कोशिश की कि रेकार्ड्स बहुत गलत हैं। अगर यह बात ठीक है तो फिर गलत रेकार्ड्स का एक्सट्रेक्ट किसानों को देना किस प्रकार उसके अधिकारों में स्थायित्व लायेगा। इस प्रकार के रेकार्ड्स को देने के लिये इसरार करना कोई बुद्धिमानी नहीं होगी और न किसानों के हित की बात होगी। अगर माननीय सदस्य को यह आशा है कि सरकार मुफ्त में इस तरह के रेकार्ड्स को दे तो मुझे इस प्रकार की मिसाल अपने इस देश, देश के किसी अन्य प्रदेश तथा अन्य देशों में भी देखने की नहीं मिलती और न किसी माननीय सदस्य ने उसका हवाला ही दिया है। माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि खातों की नकल देने के लिये यह लाजमी है कि कागज की कीमत, लिखाई, छपाई का खर्चा, श्रम इत्यादि का खर्चा निकाला जाय और फिर जो कुछ भी किसानों से लेने की बात होगी तो उसका मूल्य निर्धारित करना होगा। उस हालत में मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे माननीय सदस्य स्वंय इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि जो न भी लेना चाहे उसे भी दिया जाय और उससे अनिवार्य रूप से उसका पैसा जरूर लिया जाय।

यदि इस बात पर विचार किया जाय कि इस प्रकार के अभिलेखों की प्रतिलिपि तैयार करने के लिये जो २ करोड़ के लगभग छोटे-बड़े खाते हैं उनकी नकल तैयार करने में कितने कागज की जरूरत पड़ेगी, कितना व्यय करना होगा, कितना समय देना पड़ेगा, तब तो यह और भी अव्यावहारिक बात हो जाती है। लेखपालों को जितने काम इस समय अभिलेखों के सम्बन्ध में करने पड़ते हैं, भूमि सम्बन्धी कानूनों में निरन्तर प्रगति और संशोधन होते रहते हैं जिनमें लेखपाल बराबर बंधा रहता है जो समय-समय पर उसके सामने आते रहते हैं। हमने जमींदारी विनाश किया तो मुआवजा बनाने का काम उसको करना पड़ा, अधिवासियों को अधिकार दिये यानी उनको सीरदार और भूमिधर बनाया तो उस सिलसिले में भी उसको काम करना पड़ा और उसको लार्ज होल्डिंग्स करने के सिलसिले में भी काम करना पड़ता है। यह ऐसे काम हैं जो उसको साधारण स्थिति में नहीं करने पड़ते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि उसको और काम दे दिया जाय तो उसे उसके करने का कहां से समय मिलेगा। यदि उससे और काम कराये जांय तो जो उसका असली काम पड़ताल करने का है उसको पूरा नहीं कर पायगा, यह विचारने की बात है।

इसके अतिरिक्त श्रीमन, यदि हम इतने खातों की नकल देने की व्यवस्था करें भी तो यह देखना भी आवश्यक होगा कि जो नकल दी जाय वह लोगों को शुद्ध मिले। इसके देखने के लिये सुपरवाइजर, कानूनगो या नायब तहसीलदार को रखना पड़ेगा और इसमें महीनों क्या वर्षों लग जायेंगे कि लोगों को शुद्ध रिकार्ड मिले। इसके अतिरिक्त जो खतौनी है उसमें भी आये दिन कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। खातेदारों को मरने के कारण उत्तराधिकारी बदलते रहते हैं, कानून के अन्दर जो हस्तान्तरण के अधिकार हैं उनके कारण भूमि हस्तान्तरित होती रहती है। यदि इसका अनुपात ५ प्रतिशत ही मान लिया जाय तो भी ऐसे खातों की लाखों की तादाद होगी जिनमें परिवर्तन होते हैं। इसलिये इस बात की आवश्यकता होगी कि यह क्रम सदा जारी रहे और जैसे-जैसे परिवर्तन हों उनकी नकल मिलती रहे। ऐसी दशा में एक रेकरिंग व्यय करना पड़ेगा। अपनी इच्छा से तो अभी भी लोग अपने खाते की नकल कीमत देकर ले सकते हैं लेकिन जबर्दस्ती किसान को देने की व्यववस्था की जाय मूल्य देने पर तो शासन के ऊपर जहां रेकरिंग व्यय करने की बात आयगी वहां इनको भी व्यय करना पड़ेगा। ऐसी दशा में मैं नहीं समझता कि यह किस प्रकार व्यावहारिक है।

मान्यवर, जहां तक खतौनी की नकल देने का प्रस्ताव है, पहले तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, न उनके अधिकारों में वृद्धि होगी और न स्थायित्व ही आयगा। इसलिये यह अव्य वहारिक है। यह किसी भी माने में किसानों के लिये हितकर नहीं हो सकता है। जहां तक खसरे के

[श्री महावीरप्रसाद शुक्ल]

कैफियत के खाने में काबिज लिखने के लेखपाल के अधिकार को समाप्त करने और उसमें भूस्वामिक तथा गांव सभा की स्वीकृति लेने का प्रश्न है। इसके संबंध मे मेरा निवेदन यह है कि पहली बात तो यह है कि माननीय सदस्य भी स्वंय इसमें स्पष्ट नहीं है कि वह चाहते क्या हैं? जहां वह यह कहते हैं कि इस अधिकार को समाप्त किया जाय तो इसके आगे का जो अंश है उसकी आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि जब अधिकार ही नहीं रहेगा तो स्वीकृति लेने की भी बात नहीं रह जायगी।

मैं पहले यह कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्यों ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि काबिज लिखने के अधिकार से भूमिहीनों का अहित होगा और जिनके पास जमीन है या गरीब नहीं हैं उनका हित होगा, छोटे काश्तकारों का अहित होगा। आप शायद यह कहें कि लेखपाल इस अधिकार का ठीक से उपयोग नहीं करता। हमने पहले भी जब १३५६ और १३५९ फसली में खसरे में जो काबिज दर्ज था उसको अधिकार देने के लिये इस प्रदेश के भूतपूर्व राजस्व मंत्री जी ने विधेयक सदन में प्रस्तुत किया था तो आलोचना की गई थी कि जितना लिखना चाहिये था उतना नहीं लिखा गया। यदि यह सत्य भी हो तो भी जितना उसने लिखा उससे हित उन्हीं का हुआ जिनके पास भूमि नहीं थी या कम भूमि थी और छोटे तबके के लोग थे। शिकमी जुताने वाले काश्तकार बड़े-बड़े थे। बड़े न भी हों तो ऐसे रहे जो जमीन पर खुद खेती नहीं करते थे और दूसरों के श्रम के शोषण पर अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो सिद्धान्ततः अगर आप देखें तो उस समय काबिज लिखने के परिणाम स्वरूप हमारे प्रदेश के लगभग ५८ लाख ऐसे लोग थे जिनके पास भूमि नहीं थी या कम भूमि थी या दूसरे की भूमि पर निरन्तर काबिज चले आ रहे थे लेकिन स्थायी अधिकार नहीं था, उनको अधिकार मिला। काबिज लिखने के अधिकार को जो कुंठित करने की बात कर रहे हैं, वह देखें कि इस अधिकार से ही इस प्रदेश की लगभग आधी करोड़ जनता का हित हुआ और लगभग २५ लाख एकड़ भूमि जो ज्यादा भूमि वालों, या भूमि का उपयोग न करके शोषण करने वालों के पास थी, उनकी जमीन भूमिहीनों के पास, या जो भूमि पर श्रम करते थे उनके पास गई। इतना होते हुये भी जब यह देखा गया कि काबिज लिखने के अधिकार से लेखपाल उसका दुरुपयोग भी कर सकता है तो उसके अधिकार को कुंठित करने की व्यवस्था नियमों में की गयी। इस समय क्या व्यवस्था है उसका मैं संक्षेप में जिक्र कर देना चाहता हूं--

"Lekhpals are prohibited from making any changes in the *khatauni* affecting the possession or right of any tenure-holder whether they be corrections of even a clerical nature—except on the basis of an order from a competent authority already recorded in columns 7 and 8 of the current year's *khatauni*. At the time of preparing a new *khatauni*, however, lekhpals can make changes on their own initiative in such cases as the division and union of fields, entries of minor's age and the name of his guardian."

पहली बात तो यह है कि खतौनी में कोई परिवर्तन लेखपाल अपने आप कर ही नहीं सकता। केवल किसी अधिकारी के आदेश से कर सकता है। स्वंय जब नयी खतौनी तैयार करता है तो अगर दो खेत एक में मिला दिये गये हों या दो टुकड़े एक खेत के हो गये हों, तो इसका जिक्र कर सकता है या किसी नाबालिग की उम्र और गार्जियन का नाम लिख सकता है। और कोई नयी बात नहीं लिख सकता। इसके अतिरिक्त जहां तक खसरे का सवाल है--

"The Lekhpal is prohibited from making any changes in columns 4 and 5 of the *khasra* without first obtaining the orders of the competent authority which, as has already been stated, he is required to record in columns 7 and 8 of the *khatauni*. Whenever a change is ordered to be made by a competent authority, the same is carried over in red ink in the relevant column of the new *khasra* and the order quoted in columns 7 and 8 of the *khatauni* is reproduced in the remarks column of the *khasra* for making the change."

खसरे के चौथे पांचवें खाने में किसी अधिकारी की आज्ञा के बिना कोई इन्दराज नहीं कर सकता। जहां तक रिमार्क्स कालम का ताल्लुक है, उसको क्या अधिकार है ?

"The Lekhpal is permitted to make entries in remarks column of the *khasra* in the following cases :

(*a*) If a person other than the one recorded in columns 4 and 5 is found in actual occupation of the plot at the time of *partal* his name is recorded in the remarks column as *baqabza* so and so."

यदि चौथे पांचवें कालम में जिसका नाम है उसके अलावा कोई काबिज है तो उसका नाम लिखता है और अगर कोई टेन्योर होल्डर का नाम चौथे पांचवें खाने में है, जो कि खेत को छोड़ कर चला गया तो लिख सकता है कि खेती नहीं हो रही है। तीसरे साझी का नाम लिख सकता है खसरे में। लेकिन इसके लिये उस पर और भी प्रतिबन्ध हैं। उसको पहले तीन प्रतिलिपियां बनानी पड़ेंगी। एक उसको देनी पड़ेगी जिस किसी के खिलाफ इंदराज करता है। एक गांव समाज के चेयरमैन को देनी पड़ेगी और एक उसको देनी पड़ेगी जिसके हक में करता है। फिर अपने सुपरवाइजर कानूनगो की रिपोर्ट करेगा और उसका फर्ज होगा कि गांव में गांव समाज के चेयरमैन के सामने इस बात की जांच करे कि इंदारज ठीक है या नहीं। फिर इंदराज करने के साथ ही रिपोर्ट आगे करेगा। इस तरह से उसके अधिकारों को काफी कुंठित कर दिया गया है।

मान्यवर, जब तक हमारे कानून में वह व्यवस्था है, जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में हमने बहुतसे ट्रान्सफर को, सबलेटिंग को इल्लीगल कर दिया है, बहुत से ग्राम समाज भूमि रखते हैं, उन ग्राम समाजों की भूमि पर लोग नाजायज कब्जा कर लेते हैं, कुछ लोग शिकमी पर खेत जोतवाते हैं, वे नहीं चाहते हैं कि उनका इन्दराज किया जाय। कुछ लोग कानून के खिलाफ रेहन कर देते हैं, उसको अवाइड करना चाहते हैं, जो कानून के खिलाफ ट्रान्सफर कर देते हैं, वे चाहते हैं कि उनका नाम न लिखा जाय। इन सारे इन्दराजों से भूमि वालों का अहित और भूमिहीनों का हित होगा।

आज हमारे प्रदेश के अधिनियम में व्यवस्था है कि कोई भूमि वाला आदमी १२॥ एकड़ से अधिक भूमि ग्रहण नहीं कर सकता है। अगर २,४ एकड़ जिसके पास है वह लेना चाहे तो वह १२॥ एकड़ तक ग्रहण कर सकता है। इससे अधिक जिनके पास हैं वह ग्रहण नहीं कर सकता है। ऐसे ट्रान्सफर का इन्दराज होना आवश्यक है। इस वजह से जो कब्जा रखने का अधिकार है यदि उसका ठीक ठीक पालन हो तो उससे भूमिहीन लोगों का या जिनके पास कम भूमि है उनका हित अधिक है। इस इन्दराज के खिलाफ उचित अधिकारों के लिये उनको आवाज उठानी चाहिये जिनके खेतों पर बावजूद इसके दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है। वह चाहते हैं कि उनको काबिज न लिखा जाय। मान लीजिये कि कहीं लेखपाल अगर ऐसा करता है कि उसने गलत इन्दराज कर दिया हो तो वह ऐसे लोगों के खेतों पर ही करता है जो कमजोर आदमी हैं, वह दो चार गलत इन्दराज ऐसे हो सकते हैं। ७५ फीसदी या ९० फीसदी वह गलती नहीं करता है। जैसा कि सिद्ध हुआ है और मैंने बतलाया है कि ५८ लाख लोगों का कब्जा लिखा गया है जिनको अधिवासी और सीरदारी के अधिकार प्राप्त हुये हैं। ऐसी स्थिति में यदि इसको तौला जाय कि इससे किसका हित या अहित होगा तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि इस अधिकार को सुरक्षित रहना चाहिये। मैं इस बात को जरूर मानता हूं और सरकार भी यह समझती है कि इस बात की हमेशा चेष्टा रहनी चाहिये कि लेखपाल, जो उस सम्बन्ध में नियम बनाये गये हैं, उनका ठीक ठीक पालन करे। इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से और राजस्व विभाग की तरफ से निरन्तर छानबीन होती रहती है और आदेश भी जाते रहते हैं और जो सुपरवाईजिंग अथारिटी हैं उनको भी सख्ती के साथ आदेश जाते रहते हैं ताकि सख्ती के साथ नियमों का पालन हो क्योंकि इन नियमों के पालन करने पर ही ग्रामीण जनता

[श्री महाबीरप्रसाद शुक्ल]

में शान्ति की व्यवस्था रह सकती है । सरकार की यह इच्छा कदापि नहीं रहती है कि किसानों को किसी प्रकार से कष्ट हो या किसी प्रकार से भी भूमि व्यवस्था सम्बन्धी जो अभिलेख नियम हैं, उनका किसी प्रकार से उल्लंघन हो । माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में जो भी सुझाव दिये हैं जिससे इस दिशा में ऐसे कदम उठाने आवश्यक हैं । जिससे इन नियमों का ठीक ठीक परिपालन हो सके, जिससे नियमों में संशोधन करके सही सही तस्वीर भूमि अभिलेखों की रहे, इसकी चेष्टा की जायगी । इन शब्दों के साथ मैं अपने आदरणीय मित्र विकल जी से इस बात का अनुरोध करूंगा कि वह अपने प्रस्ताव को, जो इस समय आवश्यक प्रतीत नहीं होता, वापस ले लें ।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस मन्शा से माननीय रामचन्द्र विकल ने इस प्रस्ताव को पेश किया है वह मन्शा बहुत ही साफ है । यह सही है कि जिस रूप में इस प्रस्ताव को पेश करना चाहिये था उसको माननीय विकल जी ने पेश नहीं किया, लेकिन जिस मन्शा को लेकर माननीय विकल ने इस प्रस्ताव को पेश किया है वह बहुत ही साफ है और उससे सभी माननीय सदस्य सहमत हैं । भले ही कुछ माननीय सदस्य इससे सहमत न हों । एक माननीय सदस्य ने अभी इसी सदन में कहा कि यदि यह प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो इसका नतीजा यह होगा कि सारे प्रदेश में गड़बड़ी फैल जायगी और अदालतों में मुकदमों की बाढ़ आ जायगी और सारे प्रदेश में एक झगड़ा खड़ा हो जायगा और इसकी उज्र-दारी होगी । तो मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि जो काम सरकार करती है या कोई बात करती है तो क्या उज्रदारी के डर से या किसी मुकदमे के डर से अपने काम को बन्द कर देती है । हम जानते हैं कि इस प्रस्ताव के पास होने से प्रदेश के किसानों का बहुत बड़ा हित होगा और लाखों करोड़ों किसानों का भला होगा जिनको आज यह भी पता नहीं है कि उनके जमीन पर उनका किस तरह का अधिकार है । यह सही है कि उनके अधिकार क्या हैं यह खतौनी में दर्ज हैं । खतौनी में यह है कि उनको किस प्रकार का अधिकार उनके जमीन पर है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि कितने किसानों को अपने इस प्रकार के अधिकारों का ज्ञान है ।

जमींदारी एबालिशन ऐक्ट पास हुआ और उस के द्वारा किसानों को अधिकार दिये गये । इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन अधिकारों के बारे में किसानों को कोई जानकारी नहीं करायी गयी । उस ऐक्ट की दफा १८, १९ और ९ के मुताबिक बहुत बड़ा बंदोबस्त किया गया, लेकिन उस संबंध में कोई जानकारी लिखित रूप में किसानों को दी गयी ? नहीं । आज भी बहुत से किसानों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि खतौनी में किस प्रकार का उनका इंदराज है, आज उनको अपने लगान के बारे में जानकारी नहीं है । मैं इस बात को दावे के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत से किसान जो एक वर्ष लगान देते हैं, उनको दूसरे साल में दूसरे तरीके पर लगान देना पड़ता है और उन को इस बात की जानकारी नहीं हो पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है । तो अगर यह प्रस्ताव पास कर दिया जाता है तो उनको भी कुछ जानकारी हो सकेगी । यह सही है कि इस प्रस्ताव से उनको कोई भौमिक अधिकार प्राप्त होने वाले नहीं हैं, लेकिन उनको अपने खेत के बारे में पूरी जानकारी अवश्य हो सकेगी और जो उनको आज बहुत से मुकदमे लड़ने पड़ते हैं उनमें कमी हो सकेगी । उनकी जानकारी बढ़ जाने से उनका बहुत बड़ा फायदा होगा ।

माननीय विकल जी ने जिस मंशा से यह प्रस्ताव रखा है वह यह है कि लेखापालों द्वारा जो गांवों में गड़बड़ी होती है और माल विभाग में इंदराज और कागजात के बारे में जो गड़बड़ी है, जो भ्रष्टाचार करने का एक रास्ता खुला हुआ है, उसे बंद किया जा सकता है, उस पर काबू पाया जा सकता है । अगर लेखपाल से इंदराज करने की शक्ति छीन ली जाय तो निश्चित है कि माल विभाग से जो असंतोष है । किसानों को, और जो उसमें भ्रष्टाचार है, वह सब समाप्त हो जायगा । तो मैं समझता हूं कि अगर लेखपाल से अधिकार ले लिये जायं तो जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में जो उद्देश्य है कि जोतने वाले को जमीन मिले, वह पूरा हो सकेगा । विकल जी का यह मंशा नहीं है कि भूमि पर काबिज न लिखे जायं या उनका मंशा यह भी नहीं है कि गलत लोगों के

हाथों में जमीन का अधिकार चला जाय, लेकिन उनका मंशा है कि भ्रष्टाकार और गड़बड़ी जो फैली हुई है वह दूर हो।

मैं जानता हूं कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने यह कोशिश की थी कि भ्रष्टाचार दूर किया जाय और इसी बात को ध्यान में रख कर उन्होंने गांव समाज मैनुअल और लैंड रिकार्ड्स मैनुअल की दफ़ा २६ में यह व्यवस्था की थी कि अगर कोई नया इंदराज होगा तो उसकी य० क० १० में परची दी जायगी और गांव सभापति को, कानूनगो को और जिस किसान से उसका संबंध होगा उसको परची मिलेगी और जब उस गांव में कानूनगो दौरे पर जायगा तो वह परची की जांच करेगा और अगर उसमें गड़बड़ी होगी तो वह देखेगा और ठीक करेगा इसके अलावा किसान को भी अधिकार होगा कि उस के सम्बन्ध में वह अपनी उज्रदारी दाखिल कर सके। यह सही है कि यह सारा झगड़ा इन्द्राजों के किये जाने में भ्रष्टाचार के बारे में है, लेखपालों द्वारा नियमों का सही रूप में पालन न करने के बारे में है यह सही है कि गांव समाज मैनुअल गांव पंचायतों तथा उनकी भूमि प्रबन्धक समितियों के लिये बनायी गयी हैं, किसानों के लिये बनायी गयी है, लेकिन वह इन तक पहुंच नहीं पायी। इसका कारण यह है कि गांव समाज का सेक्रेटरी साथ ही साथ लेखपाल बना दिया गया है। जो काग़ज़ात हैं गांव समाज के वह लेखपाल अपने पास रखता है और वह प्रधान को देता नहीं, प्रधान को दिखाता नहीं, समझाता नहीं, जब कि उसके लिये यह ज़रूरी है कि प्रधान को हर बात की वह जानकारी कराये। यह सही है कि अगर लेखपाल उसको जानकारी करा दे तो यह जो गड़बड़ी है जिसे वह करता है या जो उसके हथकंडे हैं, यह जो लड़ाई भिड़ाई है यह बहुत हद तक दूर हो जाय, मगर वह ऐसा क्यों करें? तो इसलिये गवर्नमेंट को इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि जो व्यवस्था उसने बनायी है, जो करप्शन को रोकने का तरीका उन्होंने बनाया है उसका सही रूप में पालन हो और जिस अधिकारी को उसे रोकने के लिये अधिकार हो वह खास तौर से कोशिश करे। यदि वह कोशिश करते हैं तो यह सही है कि इन्दराज भी सही रूप में होगा और जो दूसरे ग़लत तरीकों से खेतों पर काबिज हो जाते हैं न हो सकें। साथ ही उन्हें इस तरह का अधिकार न हो ताकि जमींदारी प्रथा फिर से खड़ी हो जाय इस प्रदेश में। यह बात सही है कि इस तरफ प्रयत्न हो तो यह सभी बातें ठीक हो जायं। इसकी जानकारी आप सभी को होगी कि ज्यादातर उन्हीं लोगों के खातों पर जो ग़रीब किसान होते हैं, दूसरों के नाम कब्जे के रूप में लिखा जाता है। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो बड़े लोग होते हैं उन बड़े लोगों के खातों पर लेखपाल इन्दराज नहीं करते। जैसे कि किसी छोटे किसान का कब्जा बड़े आदमी के खाते पर हो जाय तो वह इन्दराज नहीं होगा और यदि बड़े आदमी का कब्जा किसी छोटे किसान के खाते पर हो जाय तो ज़रूर लिख दिया जायगा। यह सही है कि कब्जे का इन्दराज लिख जाने से ही तुरन्त किसी को अधिकार नहीं मिल जाता लेकिन अगर ६ साल तक उस किसान ने बेदखल नहीं कराया या एतराज़ नहीं किया, उज्रदारी नहीं दाखिल की तो निश्चय है कि वह व्यक्ति सीरदार के रूप में काबिज़ हो जायगा। मगर इस सीरदार की बेदखली करने का गांव सभा को दफ़ा २११ में अधिकार हासिल है लेकिन अधिकार केवल किताबों में है उसका प्रचार नहीं होता, यदि प्रधानों को जानकारी हो और किसानों को भी जानकारी हो तो गड़बड़ी दूर हो सकती है।

हम सरकार की नीयत पर शुबहा नहीं करते हैं, हम जानते हैं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में जानकारी कराने की कोशिश की है लेकिन उसे इस बात से भी इन्कार नहीं करना चाहिये कि वह इन गड़बड़ियों को दूर नहीं कर पायी है। ठीक है, कुछ हद तक गड़बड़ियां दूर हुई हैं इससे भी हम सहमत हैं लेकिन ज्यादातर गड़बड़ियां दूर नहीं हुई हैं और वही हाल है। पटवारी १ रुपये में इन्तखाब दे देता था लेकिन माननीय रामेश्वर प्रसाद जी भी इससे इन्कार नहीं करेंगे कि आज लेखपाल क्या कर रहा है। भले ही वह एम० एल० ए० हैं उन्होंने अपने इन्तखाब ४ आने या ८ आने में ले लिये हों लेकिन एक ग़रीब किसान को वह ४ आने या ८ आने में इन्तखाब नहीं मिल पाता है। सरकार ने दिलाने की कोशिश की है लेकिन मिलता नहीं है। अगर

[श्री अमरनाथ]

यह गड़बड़ी दूर नहीं होती है तो जरूरी है कि उनके (लेखपाल) के अधिकार ले लिये जायं और कहीं भी ऐसे अधिकार उन लोगों के हाथ में न दिये जायं जो किसानों के साथ ईमानदारी का व्यवहार न रक्खे। ऐसे आदमियों के हाथ में अधिकार रखे जो किसानों के साथ ईमानदारी के साथ उनके सुविधाओं का ध्यान रखें और गड़बड़ियों को दूर करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हो सकता है कि रामेश्वरप्रसाद जी की कांस्टीटूयेंसी के सब लेखपाल दूध के धुले हों लेकिन हमारी कांस्टीटूयेंसी में और दूसरे सदस्यों की कांस्टीटूयेंसी में ऐसी बात नहीं है। वहां तो पांच रुपये, १० रुपये और सौ रुपये से कम में इन्तखाब देने की बात नहीं की जाती। किसी किस्म का झगड़ा नहीं है तब तो रुपये आध रुपये में इन्तखाब मिल जायगी लेकिन अगर वह इन्तखाब किसी झगड़े की बुनियाद पर है तो सौ, दो सौ, पांच सौ से कम की बात नहीं करते, इसके उदाहरण मौजूद हैं इस सम्बन्ध में किसानों के बैल लिये गये हैं, उनकी जमीनें उनके पेड़ भी ले लिये गये हैं और क्या क्या नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से गड़बड़ियां हैं।

माननीय विकल जी ने जिस मंशा से इस प्रस्ताव को पेश किया है उसके लिये हम उनके आभारी हैं वह प्रदेश के किसानों का हित करने वाला है और अगर वह पास हो गया तो निश्चय ही किसानों का हित होगा। हमारे प्रदेश के किसानों को इस प्रस्ताव से कोई जहमत नहीं होगी और जो गांवों में आज लेखपाल गड़बड़ियां करते हैं इस प्रस्ताव के जरिये उन पर अंकुश लगेगा। इस प्रस्ताव के जरिये अगर उनका यह अधिकार ले लिया गया तो निश्चय ही इस प्रदेश के किसानों का भला होगा। हम यह नहीं कहते कि इंदराज बन्द कर दिये जायं, हम यह कहते हैं कि इसे किसी दूसरी एजेन्सी द्वारा कराया जाय। हम यह भी कहते हैं कि जो पर्चियां और जो मैनुअल वगैरह वहां नहीं पहुंच पाते हैं वे उन लोगों तक पहुंचें, इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये। अगर किसानों को यह जानकारी हो जाती है कि वह इंदराज अमुक-अमुक व्यक्ति के बारे में है, तो इससे जो झगड़े वगैरह होते हैं वे काफ़ी हद तक दूर हो जाते और उससे उन लोगों को काफी फ़ायदा होता, यदि यह होता है तो इससे जमींदारी एबालिशन कानून के जो उद्देश्य हैं उनकी भी पूर्ति होगी।

दूसरी बात हम यह चाहते हैं, आज किसानों को अपने लगान के बारे में भी जानकारी नहीं है। यदि इस बात की भी कोई व्यवस्था सरकार करे तो यह भी उनके लिये फ़ायदे की चीज होगी। माननीय विकल जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है अगर उसको स्वीकार करने में सरकार यह समझती है कि खर्चा अधिक पड़ता है, तो वह इसके लिये कोई दूसरी व्यवस्था कर सकती है। उसको कोई दूसरा उपाय करना चाहिये जिससे कि किसानों को उनके बारे में हर बात की जानकारी हो जाय। अभी तक जो बन्दोबस्त किये गये हैं, जमींदारी एबालिशन के जरिये भी जो बन्दोबस्त हुए, उनके जरिये भी उनको कोई जानकारी नहीं करायी गयी। यह हमारा विश्वास है कि अगर इस तरह की जानकारी उनको हो तो इससे निश्चय ही झगड़े खत्म हो सकते हैं। यह जरूर है कि इससे सरकार का कुछ खर्चा बढ़ जायेगा लेकिन इससे उसके मुकाबले में फायदा ज्यादा होगा। सरकार, जनता की सरकार है। उससे जनता के हित के लिये ही कानून बनाना होगा। जनता के यह हित में है कि लेखपाल के अधिकार समाप्त किये जायं। इससे सरकार का बहुत बड़ा बर्डेन भी समाप्त होगा।

इसके अलावा लेखपाल जो इन्दराज करते हैं, वे उन पार्टियों से मिल कर करते हैं और जो पार्टी उनको पैसा दे देती है उसी के नाम वह इन्दराज कर देते हैं वे उसी के मुआफिक लिख देते हैं। लेखपाल को कोई अधिकार नहीं है कि वह खाना नम्बर ४ और ५ में कोई तरमीम कर सके। हम इसके लिये माननीय चौधरी चरणसिंह जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस ओर ध्यान दिया और ऐसी व्यवस्था की कि उनके खाना नम्बर ४ और ५ में कोई तरमीम करने के अधिकार को समाप्त किया। आप देखें कि जो इन्दराज जमींदारी टूटने से पहिले किये गये थे, चाहे वह कैफियत में थे या खाना ५ में थे, आपने उनको अधिवासी बनाया, उनको आपने सीरदारी का अधिकार दिया, उनसे दस गुना लेकर उनको भूमिधर बनाया। आज इसको इतनी अहमियत दी जा रही है। इसी के कारण लेखपाल जिससे चाहता है।

५००-६०० रुपये ले लेता है। अगर कैफियत के खाने में यह लिखा जाता है कि कब्जा फलां आदमी का है, तो उसमें यह भी होना चाहिये कि उसकी बेसिस क्या है? यानी वह बटाई के तौर पर है, साझी के तौर पर है, या हुन्डा के तौर पर है या जिस किसी बेसिस पर भी हो, उसको स्पष्ट तौर से उसमें लिखा जाना चाहिये। उसमें यह भी लिखा जाना चाहिये कि वह ट्रान्सफर करा कर के है, या विरासत के जरिये है, या किसी जरिये से है। अगर यह हो जाता है तो निश्चय ही इससे उन किसानों का भला होगा। मैं सदन का और समय नहीं लेना चाहता। मैं अधिष्ठाता महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का इतना समय दिया। इन शब्दों के साथ मैं माननीय विकल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

एक सदस्य—मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—मैं इसका विरोध करता हूं, इसलिये कि शायद मंत्री जी कुछ सोच रहे हैं सदस्यों की भावना को और इसको दूसरे दिन के लिये बढ़ाना चाहते हैं, कुछ इसमें परिवर्तन करने की बात सोची जा रही है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं, मैं तो नहीं बढ़ाना चाहता। आप चाहें तो आज ही खत्म कर दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—कोई बोलने वाला तो दिख नहीं रहा है। श्री राजाराम बोलना चाहते हैं।

श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, विकल जी का कितना हम आभार मानें कि उन्होंने जनता, काबिज के लिखने से और इन्तखाब न मिलने से कितनी विकल है उसकी विकलता को इस प्रस्ताव को रख कर जाहिर कर दिया। यह प्रस्ताव टेढ़ा है या सीधा, हम इसके फेर में नहीं पड़ना चाहते। सरकार न जाने कितने मामले जो टेढ़े होते हैं उनको सीधा करती है और सीधों को टेढ़ा करती है, इसलिये यह कह कर कि बड़ा खर्चा होगा, इन्तखाब कैसे दे दिये जायं, तो मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

अभी-अभी हमारे शुक्ल जी ने कहा कि जो पैसा देंगे उनको इन्तखाब मिल ही जायंगे और जो न देना चाहें, क्या हम उनसे जबरदस्ती लेंगे? मैं आप से ही पूछना चाहता हूं कि जब आप चकबन्दी करते हैं तो सब से खर्चा लेते हैं या नहीं? तो, कृपा कर के लगान के साथ, मालगुजारी के साथ वारंट कर के, कुर्की करके इन्तखाब देने का खर्चा ले लें, लेकिन उनका इन्तखाब जिस तरह से आप भूमिधरी का सार्टिफिकेट देते हैं, उसी तरह से छपे छपाये इन्तखाब दे दीजिये।

हमारे वर्मा जी ने कहा कि इससे बड़ी गड़बड़ी हो जायगी और इन्तखाब पर उज्रदारियां होंगी, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि कचहरियों में जगह नहीं मिलती है, यह क्यों? आज हम लगान कुछ देते हैं, कल कुछ दूसरा लग जाता है, बोल नहीं पाते, किसान बांध लिये जाते हैं, यदि लगान मालूम हो तो उसे देकर छुट्टी ले सकते हैं। शुक्ल जी ने कहा कि जब लेखपाल के कागज में गलती है तो क्या इन्तखाब लिया जाय? गलत ही सही, लेकिन एक बहुत बड़ी मांग है कि हमारे इन्तखाब हमको मिलने चाहिये।

टिप्पणी के बारे में मैं चौधरी साहब को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत बातें बना दी, हैं लेकिन लेखपाल कुछ नहीं मानता है, वह तो घर फूंक देता है। एक बार चौधरी साहब ने कहा था कि तुम लेखपालों और पटवारियों के खिलाफ बहुत रहते हो इसका कारण क्या है? वह यह कि चौधरी साहब सुन लेते हैं, शुक्ल जी सुन लेते हैं, हुकुम सिंह साहब जो मिनिस्टर माल हैं वह हमारी सुन लेते हैं लेकिन लेखपाल नहीं सुनता है। भाई रामेश्वर जी बैठे हुए हैं। इनको इन्तखाब जरूर मिल जायगा, लेकिन अगर इनके चचा साहब जायंगे तो बिना दिये इन्तखाब नहीं मिलेगा। यदि इनके भाई पहुंच जायंगे तो उन्हें भी नहीं मिलेगा। हम माल मंत्री महोदय से इन्तखाब पा सकते हैं, लेकिन लेखपाल से नहीं पा सकेंगे। आज अभी पता चला है कि तमाम गांव सभाओं के रजिस्टर भाई बटोर लाये हैं..

श्री अधिष्ठाता—माननीय राजाराम जी, अब आप अगले असरकारी दिन जारी रखेंगे।

अब हम उठते हैं और सोमवार, २९ अगस्त, १९६० को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, २९ अगस्त, १९६० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्रथल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२६ अगस्त, १९६०।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४–५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२० पर)

तारांकित प्रश्न संख्या ४ से सम्बन्धित घटना का विवरण

पुन्ना उर्फ पूरन पुत्र छकौड़ी लोधी, निवासी टिहुला मजरा, ग्राम मठपुरा, थाना इन्दरगढ़ ग्राम गोपालपुर में इन्दल लोधी के मकान में डकैती के विचार से सदलबल उपस्थित था, सूचना मिलने पर सर्किल इंस्पेक्टर अलीनजीर एवं सौरिख, इन्दरगढ़ तथा ठठिया के थानाध्यक्षों ने १० फरवरी के प्रातःकाल इन्दल के मकान पर छापा मारा और डाकुओं को घेर लिया। डाकुओं ने पुलिस पर गोली चलाई। उत्तर में पुलिस ने भी गोली चलाई। यह संघर्ष ८ घंटे तक जारी रहा। अन्त में पुलिस ने पुन्ना और उसके तीन साथियों को एक बन्दूक तीन पिस्तौल एवं २० भरे और बहुत से खाली कारतूसों के साथ पकड़ लिया। दल के बाकी सदस्य भाग गये। इस संबंध में एक अभियोग धारा ३९९/४०२/३०७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज किया गया है और न्यायालय के विचाराधीन है।

तारांकित प्रश्न संख्या ५ से सम्बन्धित घटना का विवरण

दिनांक ५–२–६० को सुबह ९ बजे एक सब-इन्सपेक्टर, तीन कांस्टेबुल तथा कुछ अन्य व्यक्ति एक फरार अभियुक्त जंगली को पकड़ने के लिये लखीमपुर शहर स्थित अहाता मोहल्ला ईदगाह पहुंचे और अभियुक्त को घेर लिया। अभियुक्त ने भागने की कोशिश की और अपने तमंचे की गोली से कांस्टेबुल असदुल्ला खां को घायल कर दिया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर के चालान किया गया। कांस्टेबुल का अस्पताल में उपचार किया गया जहां वह ठीक हो गया।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९–१० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२३ पर)

तालिका 'अ'

सोशलिस्ट पार्टी द्वारा चलाये गये आन्दोलन के सिलसिले में मई व जून, १९६० में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या

क्रम संख्या	जिला		मई १९६० में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	जून, १९६० में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	योग
१	सहारनपुर	..	५३	२६	७९
२	बुलन्दशहर	..	–	१४	१४
३	मेरठ	..	१७	१०	२७
४	अलीगढ़	..	३७	१४	५१
५	आगरा	..	३३	५	३८
६	मथुरा	..	३८	४	४२
७	एटा	..	२३	८	३१
८	बरेली	..	१७	४	२१
९	बदायूं	..	२१	६	२७
१०	बिजनौर	..	१०	४	१४
११	मुरादाबाद	..	२८	१	२९
१२	शाहजहांपुर	..	१५८	–	१५८
१३	पीलीभीत	..	१२	–	१२
१४	रामपुर	..	१	–	१
१५	फर्रुखाबाद	..	३३	३	३६
१६	इटावा	..	११९	२१	१४०
१७	कानपुर	..	१०१	२७	१२८
१८	जालौन	..	६	२	८
१९	झांसी	..	–	१५	१५
२०	वाराणसी	..	९७	८	१०५
२१	मिर्जापुर	..	३०	–	३०
२२	जौनपुर	..	६५	२	६७
२३	गाजीपुर	..	६२	–	६२
२४	बलिया	..	१९	३	२२
२५	गोरखपुर	..	६९	–	६९

तालिका 'अ'—(समाप्त)

क्रम-संख्या	जिला		मई, १९६० में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	जून, १९६० में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	योग
२६	आजमगढ़	..	५७	१	५८
२७	बस्ती	..	३३	२	३५
२८	देवरिया	..	४८	१९	६७
२९	अल्मोड़ा	..	३	९	१२
३०	लखनऊ	..	४५	२१	६६
३१	सीतापुर	..	११४	५	११९
३२	रायबरेली	..	२१	२	२३
३३	हरदोई	..	१०	३	१३
३४	फैजाबाद	..	५	१०	१५
३५	गोंडा	..	३१	९	४०
३६	उन्नाव	..	५	..	५
३७	प्रतापगढ़	..	७५	२०	९५
३८	सुल्तानपुर	..	४	१	५
३९	बाराबंकी	..	८८	१८	१०६
	योग ..		१,५८८	२९७	१,८८५

विधान सभा उत्तर प्रदेश

तालिका 'ब'

कानून की विविध धारायें जिनके अन्तर्गत सोशलिस्ट सत्याग्रहियों पर मुकदमे चलाये गये या चलाये जा रहे हैं

१८८ आई०पी०सी०	४२६ आई०पी०सी०	४३० आई० पी० सी०
१४३ आई०पी०सी०	४४७ आई०पी०सी०	११७ आई०पी० सी०
१८६ आई०पी०सी०	२४ आई०पी०सी०	१४७ आई०पी०सी०
४२७ आई०पी०सी०	३५३ आई०पी०सी	४४८ आई० पी० सी०
३४१ आई०पी०सी०	३४२ आई०पी०सी०	४३४ आई०पी०सी०
२९० आई०पी०सी०	२०९ आई०पी०सी०	
२२८ आई०पी०सी०	१४३/४२६ आई०पी०सी०	१४७/४४८ आई०पी०सी०
४८० सी०आर०पी०सी०		
४४७ ४२६ आई०पी०सी०	१४३/४४८ आई०पी०सी०	४५१/३५३/४२६ आई०पी०सी०
४४७/४७६/४३४/१२० बी० आई०पी०सी०	१४३/३४१ आई०पी०सी०	४२६/५११ आई०पी०सी
१४३/४४८/१८६ आई०पी०सी०	४४७/४२६/३४ आई०पी०सी०	१४३/४४७ आई०पी०सी०
१४३/४३४ आई०पी०सी०	२२८/३४ आई०पी०सी०	३४१/४४७/४४८ आई०पी०सी
४५२/४३८ आई०पी०सी०	१०७/११७ सी०आर०पी०सी०	
१११/१२०	रेलवे ऐक्ट	
१११	,,	,,
१२०/१२२	,,	,,
१११/१३२	,,	,,
१११/१२१/११३	,,	,,
१२१	,,	,,
१२०/१११/१३२	,,	,,
१२६/१२१/१२२	,,	
१२२	,,	
१२२/१११	,,	
११२/११३	,,	
१११/११३	,,	,,
१२०/१२१/१२२	,,	,,

क्रिमिनल ला अमेंडमेंट की धारा ७।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२५ पर)

सोशलिस्ट पार्टी द्वारा चलाये गये आन्दोलन के सिलसिले में ३० जून, १९६० तक दफा १०७/११७ सी० आर० पी० सी० व ११७ आई० पी० सी० के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या

क्रम-संख्या	जिला		१०७/११७ सी०आर० पी०सी०के० अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	११७ आई० पी०सी०के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	सी०आर०पी० सी०१५१/१०७/११७ व आई पी० सी०११७ के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	योग
१	सहारनपुर	..	११	..	..	११
२	मेरठ	..	११	..	..	११
३	अलीगढ़	..	५	१५	..	२०
४	मथुरा	..	४	..	..	४
५	बदायूं	..	१	..	..	१
६	मुरादाबाद	..	१३	..	..	१३
७	पीलीभीत	..	१२	..	..	१२
८	फर्रुखाबाद	..	३३	..	..	३३
९	इटावा	..	१५	..	..	१५
१०	कानपुर	..	८९	११	१५	११५
११	झांसी	..	९	..	..	९
१२	वाराणसी	..	५४	..	..	५४
१३	गोरखपर	..	१२	..	..	१२
१४	आजमगढ़	..	२०	..	..	२०
१५	बस्ती	..	३४	..	..	३४
१६	देवरिया	..	२२	१०	..	३२
१७	लखनऊ	..	..	४१	..	४१
१८	रायबरेली	..	२३	..	..	२३
१९	फैजाबाद	..	३	..	..	३
२०	प्रतापगढ़	..	१	..	..	१
२१	सुल्तानपुर	..	१	..	..	१
२२	बाराबंकी		२३	..	..	२३
	योग	..	३९६	७७	१५	४८८

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२७ पर)

घटना का विवरण

शेरकोट जि० बिजनौर में दि० ५/६ जुलाई सन् १९६० की रात में जब ताजिये का जलूस लगभग ११ बजे पुलिस चौकी पर पहुंचा तो सैय्यद व कसाइयों के अखाड़ों में झगड़ा हुआ और आपस में लाठी चलने लगी। यह झगड़ा एक ताजिये के कागज में आग लग जाने से और बढ़ा। मैजिस्ट्रेट ने जो पुलिस के साथ ड्यूटी पर थे, भीड़ को झगड़ा न करने व जलूस को शांति पूर्वक ले जाने की प्रार्थना की परन्तु वे न माने। इस पर चेतावनी देने के बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिये मैजिस्ट्रेट ने लाठी चार्ज का आदेश दिया। इसका कुछ विशेष प्रभाव नहीं हुआ और भीड़ ने कुछ व्यक्तियों के भड़काने के फलस्वरूप पुलिस पर ईंटा पत्थर बरसाना प्रारम्भ किया और नारे लगाना शुरू किया। जलूस के चौक तक पहुंचते पहुंचते भीड़ ने और उग्र रूप धारण किया। मैजिस्ट्रेट ने तब भीड़ को अवैध घोषित किया और हट जाने का आदेश दिया। इस पर भीड़ ने और जोर से ईंटा पत्थर फेंकना प्रारम्भ किया। स्थिति को बिगड़ती देख, मैजिस्ट्रेट ने शांति व्यवस्था कायम करने के लिये और अपनी व पुलिस की रक्षा के लिये, फायरिंग का आदेश देना पड़ा जिसके कारण घटनास्थल पर २ व्यक्तियों की व बिजनौर अस्पताल ले जाते समय १ की मृत्यु हो गई और ८ अन्य व्यक्ति गोली की चोट से घायल हुये। मैजिस्ट्रेट व कुछ कांस्टेबुलों को भी चोटें आईं।

२—इस घटना के संबंध में मैजिस्ट्रेट ने जांच की और पुलिस द्वारा गोली चलाने को न्याय संगत पाया। मैजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३२ पर)

जिला सीतापुर के थाना महमूदाबाद में १ जनवरी, १९५९ से ३० सितम्बर, १९५९ तक प्रति माह दर्ज की गई रिपोर्टों की संख्या

क्रम-सं०	माह	कत्ल	डकैती	चोरी	राहजनी
१	जनवरी	..	..	१	..
२	फरवरी	..	..	५	..
३	मार्च	..	१	५	..
४	अप्रैल	..	..	२	..
५	मई	..	..	५	..
६	जून	..	१	१	..
७	जुलाई	..	१	३	..
८	अगस्त	..	..	२	..
९	सितम्बर	..	१	५	..
	योग	..	२	२९	..

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३५ पर)

सरकारी भवन	निवासी
१—चीफ मिनिस्टर्स रेसीडेंस, बंदरियाबाग	मुख्य मंत्री
२—मिनिस्टर्स रेसीडेंस नं१, विक्रमादित्य मार्ग	न्याय मंत्री
३—बंगला नं० ३ हैवलेक रोड	सार्वजनिक निर्माण मंत्री
४—मिनिस्टर्स रेसीडेंस नं०२, विक्रमादित्य मार्ग	वित्त मंत्री
५—बंगला नं० १३ए, माल एवेन्यू	गृह मंत्री
६—मिनिस्टर्स रेसीडेंस नं०३ विक्रमादित्व मार्ग	सहकारिता मंत्री
७—बंगला नं० १, माल एवेन्यू	परिवहन मंत्री
८— बंगला नं० ३ कालीदास मार्ग	खाद्य मंत्री
९—मिनिस्टर्स रेसीडेंस नं० ४ विक्रमादित्य मार्ग	समाज कल्याण मंत्री
किराये का मकान	
१०—बंगला नं० ८, माल एवेन्यू	स्वायत्त शासन मंत्री

पी० एस० यू० पी०—ए० बी० १३५ एल० ए०—१९६०—८४५ ।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय